



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2024-25

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2024-2025 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
विनियोग लेखे की भूमिका	1-3
विनियोग लेखों का सारांश	4-19
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	20-21
विनियोग लेखे :	
01. राज्यपाल	22
02. राज्य विधान मण्डल	23-24
03. ब्याज अदायगियां	25
04. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	26-29
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड	30-31
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग	32-36
07. मन्त्रिपरिषद	37-38
08. सचिवालय	39-42
09. निर्वाचन विभाग	43-44
10. वाणिज्यिक कर विभाग	45-47
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	48
12. आबकारी विभाग	49
13. कोष एवं लेखा प्रशासन	50-53
14. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	54-56
15. पेंशन	57-58
16. राजस्व विभाग	59-63
17. सामान्य प्रशासन विभाग	64-67
18. गृह विभाग	68-74
19. कारागार विभाग	75-76
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	77-83
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग	84-90
22. उच्च शिक्षा विभाग	91-95
23. संस्कृत शिक्षा विभाग	96-97
24. तकनीकी शिक्षा विभाग	98-100
25. कला एवं संस्कृति विभाग	101-103
26. युवा मामले एवं खेल विभाग	104-107
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	108-117
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग	118-130

	पृष्ठ सं.
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	131-135
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग	136-227
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	228-239
32. महिला एवं बाल विकास विभाग	240-246
33. सैनिक कल्याण विभाग	247-249
34. श्रम एवं रोजगार विभाग	250-253
35. अल्पसंख्यक मामलात विभाग	254-258
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	259-269
37. देवस्थान विभाग	270-271
38. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	272-273
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	274-275
40. स्वायत्त शासन विभाग	276-290
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	291-305
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	306-322
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	323-328
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग	329-338
45. वन एवं पर्यावरण विभाग	339-348
46. कृषि विभाग	349-357
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	358-360
48. उद्यानिकी विभाग	361-363
49. गोपालन विभाग	364-365
50. सहकारिता विभाग	366-369
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	370-460
52. पंचायती राज विभाग	461-465
53. ग्रामीण विकास विभाग	466-471
54. ऊर्जा विभाग	472-474
55. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	475-477
56. उद्योग विभाग	478-484
57. पेट्रोलियम विभाग	485-486
58. खान विभाग	487-488
59. पर्यटन विभाग	489-491
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	492-499

	पृष्ठ सं.
61. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	500-501
62. परिवहन विभाग	502-505
63. आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग	506-507
64. अन्य सामान्य सेवाएं	508-510
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	512-517

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय *तिरछे* अंकों से दिखाये गये हैं।

फरवरी 2016 में राजस्थान राज्य विधानसभा की पीएसी द्वारा अपने पत्र संख्या एफ.9(3) पीएसी/सिविल/2018/4182 दिनांक 03.02.2016 द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित मानदंड को विनियोग लेखों में टिप्पणियों के लिए अपनाया गया है:

अ. अनुदान या विनियोग में समग्र बचत

1. यदि किसी अनुदान/विनियोग में किये गये कुल प्रावधान से 2 प्रतिशत से कम समग्र बचत है तो उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत के लिये टिप्पणी या टीका की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोजन के लिए राजस्व (दत्तमत), राजस्व (प्रभारित), पूंजी (दत्तमत) तथा पूंजी (प्रभारित) को पृथक अनुदान/विनियोग माना जावे।

2. उन मामलों में भी जहां अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत समग्र बचत 2 प्रतिशत या इससे अधिक है:

क. उपशीर्ष/समूह शीर्ष जहां बचत के लिए किये गए प्रावधान के 10 प्रतिशत या कम है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत उसके अन्तर्गत किये गये कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक भी है, तो विनियोग लेखों में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है-

i. यदि अनुदान के नीचे 'राजस्व एवं पूंजी के अन्तर्गत कुल प्रावधान दत्तमत एवं प्रभारित' दोनों के संबंध में है-

1. ₹ 100 करोड़ से अधिक है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 1 करोड़ से कम है;
2. ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹ 50 लाख से कम है;
3. ₹ 50 करोड़ से कम है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 40 लाख से कम है ।

ii. 'राजस्व-प्रभारित' तथा 'पूंजी-प्रभारित' के संबंध में (प्रभारित विनियोग के अलावा) यदि उप शीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹ 10 लाख से कम है ।

3. बचत को आधिक्य से प्रति संतुलित किये जाने पर आधिक्य के लिये ऊपरलिखित प्रावधान ही रहेंगे।

ब. अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य

1. यदि किसी अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत किया गया व्यय उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से अधिक हुआ है तो आधिक्य का नियमन आवश्यक है यद्यपि, विनियोग लेखों में उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य के लिये स्पष्टीकरण केवल नीचे दिये अनुसार दिये जावें:

क. यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य, उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक है तथा अंतिम आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है ।

ख. निम्नलिखित मामलों में यदि किसी उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उसके अन्तर्गत किये गये प्रावधान से 10 प्रतिशत से कम है (पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में) तो भी विनियोग लेखों में स्पष्टीकरण दिया जावे:

i. यदि अनुदान के नीचे 'राजस्व एवं पूंजी के अन्तर्गत कुल प्रावधान दत्तमत एवं प्रभारित' दोनों के संबंध में है-

1. ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹ 1 करोड़ से अधिक है।

2. ₹ 50 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 50 लाख से अधिक है;
3. ₹ 50 करोड़ से कम है तथा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य ₹ 10 लाख से ज्यादा तथा/अथवा उपशीर्ष/समूह शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित आधिक्य ₹ 40 लाख से ज्यादा हो ।

ii. 'राजस्व-प्रभारित' तथा 'पूंजी-प्रभारित' के सम्बन्ध में (प्रभारित विनियोग के अलावा) उपशीर्ष/ समूह शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य यदि ₹ 10 लाख से अधिक है ।

2. आधिक्य को बचत द्वारा प्रति संतुलित किये जाने पर बचत के लिये उपरोक्त बचत के प्रावधान लागू होंगे।
3. उपशीर्ष/समूह शीर्ष के संदर्भ में यदि आधिक्य 10 प्रतिशत से कम है तो विनियोग लेखे में स्पष्टीकरण बताया जायेगा ।
4. प्रावधान के बिना व्यय होने पर राजस्व तथा पूंजी दोनों प्रकरणों में स्पष्टीकरण दिया जायेगा ।

महालेखाकार (लेखा व हक.) को भिन्नता के ऐसे सभी मामलों को उपरोक्त सीमाओं का ध्यान किये बिना विनियोग लेखों में शामिल करने का अधिकार होगा जहां मामलों को विधानसभा के ध्यान में लाया जाना आवश्यक समझा जाये।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
01. राज्यपाल दत्तमत प्रभारित	.. 22,47,05	10,92,25 20,44,27
02. राज्य विधान मण्डल दत्तमत प्रभारित	1,19,84,00 63,41	16,90,24 ..	98,07,23 41,69
03. ब्याज अदायगियाँ प्रभारित	3,91,18,13,88	..	3,83,44,64,14
04. लोक ऋण का पुनर्भुगतान प्रभारित	..	16,55,88,64,79	..
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड दत्तमत प्रभारित	1,69,88,24 95,23,61	22,31,01 ..	1,16,17,60 84,49,68
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग दत्तमत प्रभारित	22,18,04,67 2,53,12,50	3,74,62,12 ..	19,31,94,84 2,46,55,75
07. मन्त्रिपरिषद् दत्तमत	22,25,00	14,90,80	19,02,09
08. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	4,75,44,70 2	60,00,02 ..	4,25,93,91 ..
09. निर्वाचन विभाग दत्तमत प्रभारित	5,52,08,79 57,64	3,00,00 ..	4,92,99,69 57,64
10. वाणिज्यिक कर विभाग दत्तमत प्रभारित	12,11,65,56 2,82	37,54,97 ..	11,37,82,38 2,82
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग दत्तमत प्रभारित	2,64,51,37 24,27	7,08,51 ..	2,52,77,93 24,27

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,60,26	..	9,31,99
..	2,02,78
7,40,58	21,76,77	9,49,66
..	21,72
..	7,73,49,74
15,28,72,20,78	..	1,27,16,44,01
11,18,62	53,70,64	11,12,39
..	10,73,93
2,09,21,39	2,86,09,83	1,65,40,73
..	6,56,75
9,17,88	3,22,91	5,72,92
19,77,18	49,50,79	40,22,84
..	2
34,80	59,09,10	2,65,20
..
35,44,88	73,83,18	2,10,09
..
4,58,54	11,73,44	2,49,97
..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
12. आबकारी विभाग दत्तमत प्रभारित	2,06,98,20 8,45	4,26,02 ..	1,97,99,36 8,44
13. कोष एवं लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	19,01,50,62 13	14,58,05 ..	13,34,97,01 10
14. राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग दत्तमत प्रभारित	24,66,83,04 23	1,28,00,01 ..	23,83,43,39 23
15. पेंशन दत्तमत प्रभारित	3,02,19,62,31 20,00,04	2,93,20,12,90 1,23,33
16. राजस्व विभाग दत्तमत प्रभारित	20,84,79,75 79,16	22,03,04 ..	18,33,50,10 74,12
17. सामान्य प्रशासन विभाग दत्तमत प्रभारित	3,70,30,64 3,55	2,53,78,77 ..	3,43,69,24 3,54
18. गृह विभाग दत्तमत प्रभारित	1,02,55,27,57 2,01,62	3,77,90,63 ..	93,80,10,08 2,01,52
19. कारागार विभाग दत्तमत प्रभारित	3,27,00,95 2	19,88,77 ..	2,84,17,10 ..
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	2,06,03,08,87 3,00,04	6,20,04,51 ..	1,57,03,67,87 1,64,92
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	2,63,83,74,53 16,00,01	6,41,28,48 ..	2,53,72,25,93 8,56,45

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,33,42	8,98,84	2,92,60
..	1
10,10	5,66,53,61	14,47,95
..	3
80,26,34	83,39,65	47,73,67
..
..	8,99,49,41
..	18,76,71
11,85,95	2,51,29,65	10,17,09
..	5,04
1,67,70,78	26,61,40	86,07,99
..	1
2,32,92,04	8,75,17,49	1,44,98,59
..	10
4,87,02	42,83,85	15,01,75
..	2
2,21,73,70	48,99,41,00	3,98,30,81
..	1,35,12
3,36,64,36	10,11,48,60	3,04,64,12
..	7,43,56

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
22. उच्च शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	21,17,04,36 6,00,00	6,24,28,22 ..	17,82,94,21 5,97,16
23. संस्कृत शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	6,48,43,36 5,50,00	12,00,13 ..	6,25,92,03 5,32,66
24. तकनीकी शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	4,13,23,40 11,53	57,92,93 ..	3,90,02,44 11,52
25. कला एवं संस्कृति विभाग दत्तमत प्रभारित	1,19,55,15 46	33,33,83 ..	89,56,88 42
26. युवा मामले एवं खेल विभाग प्रभारित	1,81,45,61	85,58,48	1,49,07,89
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दत्तमत प्रभारित	1,07,02,02,26 90,02	11,74,05,27 ..	99,17,84,78 88,19
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग दत्तमत प्रभारित	38,93,46,20 7,61	15,61,56,94 ..	35,41,01,67 6,56
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग दत्तमत प्रभारित	14,48,68,04 1,61	51,51,10 ..	12,79,05,01 55
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग दत्तमत प्रभारित	2,39,62,29,96 35,99	84,03,71,08 ..	2,03,85,80,01 35,98

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
4,44,09,12	3,34,10,15	1,80,19,10
..	2,84
10,72,75	22,51,33	1,27,38
..	17,34
10,97,16	23,20,96	46,95,77
..	1
18,98	29,98,27	33,14,85
..	4
(-1,91,47,09	32,37,72	2,77,05,57
10,51,60,98	7,84,17,48	1,22,44,29
..	1,83
9,95,58,43	3,52,44,53	5,65,98,51
..	1,05
40,26,68	1,69,63,03	11,24,42
..	1,06
58,05,47,31	35,76,49,95	25,98,23,77
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दत्तमत प्रभारित	1,16,85,96,06 1,50	3,68,57,36 ..	1,04,88,52,91 1,46
32. महिला एवं बाल विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	31,77,64,28 3,83	34,46,08 ..	25,99,39,74 3,81
33. सैनिक कल्याण विभाग दत्तमत	83,11,38	12,25,53	61,57,45
34. श्रम एवं रोजगार विभाग दत्तमत प्रभारित	19,30,68,09 5	2,28,66,02 ..	17,99,26,11 ..
35. अल्पसंख्यक मामलात विभाग दत्तमत	2,46,60,87	2,45,45,05	1,99,75,46
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग दत्तमत प्रभारित	64,18,70,45 50,13	8,80,00 ..	36,83,39,06 50,12
37. देवस्थान विभाग दत्तमत प्रभारित	96,46,30 2	26,00,00 ..	87,58,59 ..
38. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग दत्तमत प्रभारित	1,57,62,88 1	3,63,27 ..	1,31,14,14 ..
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग दत्तमत प्रभारित	1,34,02,45 1	6,87,02 ..	73,05,45 ..

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,56,07,70	11,97,43,15	2,12,49,66
..	4
3,25,36	5,78,24,54	31,20,72
..	2
4,60,29	21,53,93	7,65,24
1,25,30,77	1,31,41,98	1,03,35,25
..	5
1,45,04,23	46,85,41	1,00,40,82
10,47	27,35,31,39	8,69,53
..	1
1,56,25	8,87,71	24,43,75
..	2
2,19,51	26,48,74	1,43,76
..	1
6,87,00	60,97,00	2
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
40. स्वायत्त शासन विभाग दत्तमत प्रभारित	77,53,91,24 1	46,13,07,03 9,24,18	58,22,65,65 ..
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दत्तमत प्रभारित	58,73,58,28 3,62,44	41,83,03,01 ..	56,98,81,86 3,58,13
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग दत्तमत प्रभारित	32,22,15,95 1,78,45	33,62,93,51 16,52	30,03,88,25 1,70,00
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	89,45,31 10	4,62,59,86 21,53	80,16,97 ..
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग दत्तमत प्रभारित	33,61,15,01 1,17,88	85,77,38,13 ..	31,78,03,29 1,16,60
45. वन एवं पर्यावरण विभाग दत्तमत प्रभारित	13,21,72,61 2,27,00	5,35,87,64 ..	9,76,35,24 1,66,65
46. कृषि विभाग दत्तमत प्रभारित	35,45,33,76 6,22	2,04,30,59 ..	25,25,28,01 5,20
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग दत्तमत प्रभारित	15,09,86,83 4,92	61,61,76 ..	13,22,30,36 3,89

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
25,70,55,60	19,31,25,59	20,42,51,43
9,20,54	1	3,64
36,34,38,10	1,74,76,42	5,48,64,91
..	4,31
25,90,47,15	2,18,27,70	7,72,46,36
15,57	8,45	95
3,54,70,82	9,28,34	1,07,89,04
21,45	10	8
86,52,24,53	1,83,11,72	74,86,40
..	1,28	..	(आधिक्य ₹ 74,86,40,119)	
3,36,88,01	3,45,37,37	1,98,99,63
..	60,35
1,48,79,72	10,20,05,75	55,50,87
..	1,02
38,08,48	1,87,56,47	23,53,28
..	1,03

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
48. उद्यानिकी विभाग दत्तमत प्रभारित	10,14,12,36 6,74	5,84,09 ..	7,82,64,01 6,73
49. गोपालन विभाग दत्तमत	20,26,87,14	50,00,01	17,62,00,14
50. सहकारिता विभाग दत्तमत प्रभारित	20,52,47,72 1	11,54,00 ..	19,03,96,68 ..
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत प्रभारित	3,03,58,81,97 1	74,29,96,65 ..	2,64,78,22,75 ..
52. पंचायती राज विभाग दत्तमत प्रभारित	93,58,84,78 75	14,58,01 ..	72,64,73,92 58
53. ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत प्रभारित	47,49,81,40 4,71	11,83,56,76 ..	29,48,66,26 4,71
54. ऊर्जा विभाग दत्तमत प्रभारित	2,11,84,32,43 1	10,89,46,23 ..	2,08,77,78,18 ..
55. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग दत्तमत प्रभारित	9,59,98,15 69,62	1,70,05 ..	7,46,74,69 69,55
56. उद्योग विभाग दत्तमत प्रभारित	8,98,98,76 4	77,84,05 ..	8,60,81,14 ..
57. पेट्रोलियम विभाग दत्तमत	2,71,36	4,00,00,01	2,07,27

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
5,84,09	2,31,48,35
..	1
15,97,06	2,64,87,00	34,02,95
8,63,02	1,48,51,04	2,90,98
..	1
50,71,81,36	38,80,59,22	23,58,15,29
..	1
(-)28,39	20,94,10,86	14,86,40
..	17
10,50,34,00	18,01,15,14	1,33,22,76
..
1,70,00,00	3,06,54,25	9,19,46,23
..	1
3,16	2,13,23,46	1,66,89
..	7
52,00,73	38,47,62	25,83,32
..	4
..	64,09	4,00,00,01

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
58. खान विभाग दत्तमत प्रभारित	2,39,28,52 1,49	7,86,80 ..	1,64,89,09 1,47
59. पर्यटन विभाग दत्तमत प्रभारित	1,09,90,86 1	2,57,51,73 ..	93,76,02 ..
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग दत्तमत प्रभारित	6,10,92,41 1	6,14,94,21 ..	4,35,16,41 ..
61. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग दत्तमत प्रभारित	20,37,35 1,00	17,16,40 ..	16,97,99 ..
62. परिवहन विभाग दत्तमत प्रभारित	15,39,33,09 56,37	85,05,93 ..	9,18,44,90 54,06
63. आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग दत्तमत	1,43,60,91	2,27,01	1,15,09,42
64. अन्य सामान्य सेवाएं दत्तमत प्रभारित	88,96,89 3	26,89,00 ..	78,22,92 ..
योग	दत्तमत	4,88,44,78,98	23,59,71,03,82 *
	प्रभारित	16,55,98,27,02	3,87,34,58,91 #
कुल योग	30,88,62,74,04	21,44,43,06,00	27,47,05,62,73 *

* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 02 हजार का अन्तर है।

पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 01 हजार का अन्तर है।

लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	74,39,51	7,86,80
..	2
45,56,62	16,14,84	2,11,95,11
..	1
3,53,50,81	1,75,76,00	2,61,43,40
..	1
3,63,58	3,39,36	13,52,82
..	1,00
39,49,15	6,20,88,19	45,56,78
..	2,31
68,13	28,51,49	1,58,88
2,74,65	10,73,97	24,14,35
..	3
3,51,14,74,12 @	3,33,35,41,18	1,38,04,91,26	..	74,86,40
15,28,81,78,34 \$	8,21,70,13	1,27,16,48,68
18,79,96,52,46 &	3,41,57,11,31	2,65,21,39,94	..	74,86,40

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 03 हजार का अन्तर है ।

\$ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 01 हजार का अन्तर है ।

& पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 04 हजार का अन्तर है ।

2024-25 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

पूँजीगत अनुभाग में निम्नलिखित एक दत्तमत अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूँजीगत
		₹	₹
01.	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	..	₹ 74,86,40,119

2024-25 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग/अग्रिम नहीं लिया गया ।

2024-25 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेख में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2024-25 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

दत्तमत			
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
(₹ सहस्र में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	23,59,71,03,82	3,51,14,74,12	27,10,85,77,94
घटाइये : वसूलियों का योग	55,05,56,73	41,30,33,07	96,35,89,80
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	23,04,65,47,09	3,09,84,41,05	26,14,49,88,14
प्रभारित			
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
(₹ सहस्र में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	3,87,34,58,91	15,28,81,78,34	19,16,16,37,25
घटाइये : वसूलियों का योग	3	..	3
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	3,87,34,58,88	15,28,81,78,34	19,16,16,37,22

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 512-517 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

राजस्थान सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राजस्थान सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे राजस्थान सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राजस्थान के प्रधान अमहालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत राजस्थान के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और राजस्थान सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: - 15 जनवरी, 2026

स्थान: नई दिल्ली

अनुदान संख्या 01 -राज्यपाल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
प्रभारित			
मूल	22,47,05		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		20,44,27	- 2,02,78
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	10,92,25		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		1,60,26	-9,31,99
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
प्रभारित			
1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2012. राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
103. पारिवारिक स्थापना			
(01) गृह स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	819.53		
पु.	- 117.89	701.64	701.42
			-0.22

राजस्व

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष

कुल विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य +
बचत -

2012. राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
103. पारिवारिक स्थापना
(01) गृह स्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	819.53		
पु.	- 117.89	701.64	701.42
			-0.22

₹ 117.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान पदों के रिक्त रहने तथा नई भर्ती नहीं होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य +
बचत -

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80. सामान्य
051. निर्माण
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)

मू.	1,092.25		
पु.	- 931.99	160.26	160.26
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 931.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 02 –राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल,
2059. लोक निर्माण कार्य,
2075. विविध सामान्य सेवाएं और
2216. आवास
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,19,84,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		1,19,84,00	98,07,23 - 21,76,77
प्रभारित			
मूल	63,41		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		63,41	41,69 - 21,72
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	16,90,24		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		16,90,24	7,40,58 - 9,49,66
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			
1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(01) विधान मंडल-प्रतिबद्ध			
मू.	4,670.10		
पु.	- 640.02		
		4,030.08	4,030.08 ..
₹ 640.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माननीय सदस्यों को देय मकान किराया भत्तों की दर में कटौती, अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा सरकारी आवास की सुविधा का लाभ लेने तथा उपाध्यक्ष के पद के साथ ही विधानसभा में पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			

अनुदान संख्या 02- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
103. विधान मंडल सचिवालय			
(01) विधान मंडल			
[01] स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,044.26	4,327.98	4,327.43
पु.	- 716.28		- 0.55

₹ 716.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं होने, (ii) सोलर एनर्जी के कारण विद्युत व्यय तथा विद्युत उपभोग में कमी होने, (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विद्युत कार्यों की वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध (ए.एम.सी.) पर कम व्यय होने, (iv) स्वीकृत पदों के विरुद्ध अनुबन्ध नियुक्ति पर कम व्यय तथा संविदा सेवाओं के अन्य कार्यों पर कम व्यय होने तथा (v) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटीकरण से संबंधित कार्यों को शामिल करने के कारण कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय होने तथा मेन विद मशीन के स्वीकृत पदों से कम कर्मचारियों की नियुक्ति को आरोपित की गयी।

02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल
103. विधान मंडल सचिवालय
(02) नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)
[01] पेपरलेस स्टेट लेजिसलेचर्स

मू.	1,812.00	1,006.58	1,006.58	..
पु.	- 805.42			

31 मार्च 2025 को ₹ 805.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से चौथी किस्त प्राप्त नहीं होने, कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय होने तथा कोष कार्यालय द्वारा कुछ बिलों के ई.सी.एस. नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधानसभा भवन का निर्माण)			
मू.	1,690.23	740.58	740.58
पु.	- 949.65		..

31 मार्च 2025 को ₹ 949.65 लाख का प्रावधान बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं होने, स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 03 - ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2049. ब्याज अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	3,75,37,82,89		
अनुपूरक	15,80,30,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	3,91,18,13,88	3,83,44,64,14	- 7,73,49,74
			2,68,35,56

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. ₹ 77,349.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 1,58,030.99 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
2. ₹ 77,349.74 लाख की अन्तिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 50,514.18 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 04-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[06] राजस्थान वानिकी विकास योजना फेज II जे.आई.सी.ए.			
₹.	3,684.18	2,674.99	2,674.99
₹.	- 1,009.19		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,009.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[13] राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (ए.डी.बी.)			
₹.	4,196.78
₹.	- 4,196.78		..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,196.78 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[14] राजस्थान जलक्षेत्र लाइवलीहुड इम्पूमेंट परियोजना (जाइका)			
₹.	8,662.98	6,803.61	6,803.61
₹.	- 1,859.37		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,859.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[15] राजस्थान मरुक्षेत्र जल पुनर्संरचना कार्यक्रम ब्रिक्स एनडीबी			
₹.	4,321.58	2,853.77	2,853.77
₹.	- 1,467.81		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,467.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			

अनुदान संख्या 04-(क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को आधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
(01) मार्गोपाय अग्रिम			
₹.	20,00,000.00		
₹.	4,91,784.33	31,02,890.00	31,02,890.00
₹.	6,11,105.67		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,11,105.67 लाख की अतिरिक्त निधियां भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[09] राजस्थान अक्षत उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम, एडीबी			
₹.	2,243.23		
₹.	1,133.86	3,377.09	3,377.09
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,133.86 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[11] डिस्काम राजस्थान को वित्तीय स्थिरता सुधार हेतु सहायता (विश्व बैंक)			
₹.	20,781.08		
₹.	4,837.22	25,618.30	25,618.30
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,837.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 04 (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[16] राजस्थान में लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढीकरण			
₹ .	1,683.72		
		2,095.99	..
₹ .	412.27		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 412.27 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[20] राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (विश्व बैंक) II			
₹ .	5,917.99		
		7,439.30	..
₹ .	1,521.31		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,521.31 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 05 – लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग और

2059. लोक निर्माण कार्य

पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,15,64,06		
अनुपूरक	54,24,18	1,69,88,24	1,16,17,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-53,70,64
प्रभारित			
मूल	69,48,92		
अनुपूरक	25,74,69	95,23,61	84,49,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-10,73,93
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	22,31,01		
अनुपूरक	..	22,31,01	11,18,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-11,12,39
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			
1. ₹ 5,370.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,424.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः प्रशासनिक तथा संस्थापन व्यय, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन तथा कार्यालय भवन के मरम्मत तथा अनुरक्षण के व्यय की पूर्ति हेतु अत्यधिक था।			
2. ₹ 5,370.64 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 3.41 लाख अनुभ्यर्पित रही।			
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-			

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,370.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,424.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः प्रशासनिक तथा संस्थापन व्यय, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन तथा कार्यालय भवन के मरम्मत तथा अनुरक्षण के व्यय की पूर्ति हेतु अत्यधिक था।
- ₹ 5,370.64 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 3.41 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------------	-------------------

2051. लोक सेवा आयोग

103. कर्मचारी चयन आयोग

(01) राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड-प्रतिबद्ध

मू.	11,524.05		
अ.	5,413.00	11,586.42	11,583.01
पु.	- 5,350.63		- 3.41

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,413.00 लाख का प्रावधान प्रशासनिक तथा संस्थापन व्यय तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 05 - (समाप्त)

₹ 5,350.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों के स्थानान्तरण तथा पदों के रिक्त रहने, (ii) कोषालयों द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ई.सी.एस. द्वारा बिलों का भुगतान नहीं होने, (iii) आर.आई.एस.एल. को भुगतान नहीं होने तथा परीक्षाओं के आयोजन में ली जाने वाली सुरक्षा सेवाओं के बिल प्राप्त नहीं होने, (iv) वाहन प्रदाताओं द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने तथा (v) नवीन आईटम क्रय नहीं होने तथा निविदा में हवी इयूटी प्रिन्टर कम दरों पर क्रय करने को आरोपित की गयी।

प्रभारित

- ₹ 1,073.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,574.69 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
102. राज्य लोक सेवा आयोग			
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध			
मू.	6,948.91		
अ.	2,564.49	8,440.84	8,439.49
पु.	- 1,072.56		- 1.35

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु लिया गया ₹ 2,564.49 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,072.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 151 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तो, (ii) परीक्षाओं से संबंधित गोपनीय कार्यों, आर.आई.एस.एल. को प्राप्त आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु संविक्षा (रिव्यू) परीक्षा के आयोजन हेतु, विशेषज्ञ के मानदेय भुगतान हेतु विधिक तथा विविध व्यय, साक्षात्कार, वार्किंग लंच आदि पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

पूँजी

दत्तमत

- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)			
मू.	1,231.00		
पु.	- 1,112.37	118.63	118.62
			-0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 1,112.37 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,

2059. लोक निर्माण कार्य,

2216. आवास और

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और

4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	22,18,04,66		
अनुपूरक	1	22,18,04,67	- 2,86,09,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			2,85,21,18
प्रभारित			
मूल	2,52,17,78		
अनुपूरक	94,72	2,53,12,50	- 6,56,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5,91,05
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3,74,62,12		
अनुपूरक	..	3,74,62,12	- 1,65,40,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1,65,35,84
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			

1. ₹ 28,609.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 88.65 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध मू.	37,632.40		
पु.	- 4,641.07		
	32,991.33	32,983.97	- 7.36
₹ 4,641.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने, तथा (ii) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंषाओं के क्रम में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न भत्तों के बकाया राशि का आहरण अनुमान से कम होने तथा (iii) न्यायालयों द्वारा प्रिन्टर कार्टिज पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(17) ग्राम न्यायालय			
मू.	2,348.79		
पु.	- 370.25		
	1,978.54	1,977.84	- 0.70
₹ 370.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंषाओं के क्रम में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न भत्तों के बकाया राशि का आहरण अनुमान से कम होने को आरोपित की गयी।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(21) राजस्थान न्यायिक अकादमी			
[01] राजस्थान न्यायिक अकादमी- प्रतिबद्ध			
मू.	880.81		
पु.	- 162.87		
	717.94	716.33	- 1.61
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(23) महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन- (निर्भया फण्ड)			
[01] त्वरित विशेष न्यायालय			
मू.	16,589.36		
पु.	- 10,111.61		
	6,477.75	6,477.10	- 0.65

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 10,274.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंषाओं के क्रम में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न भत्तों के बकाया राशि का आहरण अनुमान से कम होने तथा (iii) अकादमी तथा न्यायालयों में जल तथा विद्युत प्रभार बिल अनुमान से कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल)			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा- प्रतिबद्ध			
मू. 12,425.92	10,722.80	10,718.02	- 4.78
पु. - 1,703.12			
₹ 1,703.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय महाधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकीय कॉउंसिल/अतिरिक्त राजकीय कॉउंसिल/उप-राजकीय कॉउंसिल/सहायक राजकीय अधिवक्ता आदि की रिटेनरशिप फीस, अपीरियन्स फीस और ड्राफ्टिंग एवं सेटिंग चार्जेज आदि की दरे संशोधित किये जाने, (ii) 19 लोक अभियोजकों को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने तथा (iii) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 24.03.2025 को जारी होने के कारण समय अवधि के अभाव में नवीन आईटम क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी।			
116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण			
(01) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण- प्रतिबद्ध			
मू. 5,485.62	3,918.89	3,913.84	- 5.05
पु. - 1,566.73			
₹ 1,566.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2016 से देय उच्च शैक्षणिक योग्यता भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान न्यायिक अधिकारियों को नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)			
के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड			
[01] राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से- प्रतिबद्ध			
मू. 2,732.26	1,814.92	1,814.70	- 0.22
पु. - 917.34			
₹ 917.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी तथा अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंषाओं के क्रम में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न भत्तों के बकाया राशि का आहरण अनुमान से कम होने को आरोपित की गयी।			
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(02) न्याय विभाग			
[02] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू. 1,760.00	1,356.81	1,356.81	..
पु. - 403.19			
31 मार्च 2025 को ₹ 403.19 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमान से कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 06 - (क्रमशः)

प्रभारित

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 94.72 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 656.75 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 65.70 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 16,540.73 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4.89 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	------------------------------	-------------------

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01. कार्यालय भवन

051. निर्माण

(01) न्यायिक कार्यालय भवन

[01] राजस्थान उच्च न्यायालय

मू . 961.64

204.81

204.81

..

पु . - 756.83

31 मार्च 2025 को ₹ 756.83 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजना पर अनुमान से कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य

051. निर्माण

(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)

[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर

(आर.एस.आर.डी.सी.सी.के माध्यम से)

मू . 5,500.00

2,651.61

2,651.61

..

पु . - 2,848.39

31 मार्च 2025 को ₹ 2,848.39 लाख का प्रावधान राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन में विभिन्न निर्माणाधीन कार्य में कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी.लिमिटेड द्वारा अनुमान से कम व्यय होने तथा जोधपुर एवं जयपुर में अतिथि गृह के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य

051. निर्माण

(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)

[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर

(आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)

मू . 1,200.00

500.00

500.00

..

पु . - 700.00

₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड द्वारा विभिन्न निर्माणाधीन परियोजना पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 06 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	22,444.00	14,075.86	14,075.86
पु.	- 8,368.14		..
31 मार्च 2025 को भारत सरकार द्वारा मूल बजट अनुमान से कम राशि स्वीकृत करने के कारण ₹ 8,368.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 8,215.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 152.26 लाख) किया गया।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	6,015.00	2,029.82	2,029.82
पु.	- 3,985.18		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,985.18 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा मूल बजट अनुमान से कम राशि स्वीकृत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)			
[01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू.	231.46	380.05	379.97
पु.	148.59		- 0.08
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 148.59 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 07 - मन्त्रिपरिषद

(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2013. मन्त्रिपरिषद

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	21,65,03		
अनुपूरक	59,97		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		22,25,00	19,02,09
			- 3,22,91
पूंजी			
मूल	14,90,80		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		14,90,80	9,17,88
			- 5,72,92
			3,26,00
			5,72,92

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 59.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः प्रशासनिक तथा संस्थापन व्यय हेतु अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 322.91 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 326.00 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रीपरिषद			
101. मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन			
(01) संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	835.03		
पु .	- 336.43		
		498.60	498.60
			..

₹ 336.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवीन सरकार में मंत्रियों की कम नियुक्ति होने तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं होने तथा (ii) मंत्रियों के आवास पर विद्युत बिल कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 07 –(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रीपरिषद			
105. मन्त्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
(01) मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि- प्रतिबद्ध			
मू .	50.00	7.88	7.73
पु .	- 42.12		-0.16
31 मार्च 2025 को ₹ 42.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

800. अन्य व्यय

(04) मोटर कारों का संधारण और परिचालन - प्रतिबद्ध

मू .	400.00	359.16	359.16	..
पु .	- 40.84			

31 मार्च 2025 को ₹ 40.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2013. मंत्रीपरिषद				
104. मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
(01) मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते				
[01] मंत्री परिषद पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते- प्रतिबद्ध				
मू .	800.00	974.55	974.55	..
अ.	59.97			
पु .	114.58			

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 114.58 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
01. सरकारी रिहायशी भवन				
700. अन्य आवास				
(08) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के बंगले				
[90] निर्माण कार्य				
मू .	1,490.80	917.88	917.88	..
पु .	- 572.92			

31 मार्च 2025 को ₹ 572.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 08 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,
 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और
 3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,35,22,16			
अनुपूरक	40,22,54	4,75,44,70	4,25,93,91	- 49,50,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				49,45,38
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	60,00,02			
अनुपूरक	..	60,00,02	19,77,18	- 40,22,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				39,43,91

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,022.54 लाख का प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 4,950.79 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5.41 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 08 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[01] कार्मिक विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू. 6,824.41	5,432.16	5,432.16	..
पु. - 1,392.25			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,392.25 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 906.64 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 485.61 लाख) किया गया।			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[02] सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू. 900.00	2,198.10	2,198.10	..
अ. 1,580.00			
पु. - 281.90			
31 मार्च 2025 को ₹ 281.90 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा व्यय नहीं किये जाने तथा (ii) शिक्षा विभाग एवं राजस्थान राज्य परिवहन निगम के बिलों का ईसीएस नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
090. सचिवालय			
(17) बीकानेर हाउस प्रबन्धन समिति, नई दिल्ली को अनुदान			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू. 360.01	250.00	250.00	..
पु. - 110.01			
31 मार्च 2025 को ₹ 110.01 लाख का प्रावधान जॉब कार्य पर 18 कार्मिकों की जगह 7 की नियुक्ति किये जाने, कार्यक्रम आयोजन कम होने, आन्तरिक कार्यक्रम कम होने से कम व्यय तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
092. अन्य कार्यालय			
(01) राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण- प्रतिबद्ध			
मू. 754.96	648.25	646.97	- 1.28
पु. - 106.71			
₹ 106.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 08 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01). शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति-प्रतिबद्ध			
मू.	1,822.01		
अ.	290.00	1,868.06	1,868.06
पु.	- 243.95		..
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय हेतु लिया गया ₹ 290.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 243.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर बजट अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(02). चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग एवं आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	1,444.21		
पु.	- 170.04	1,274.17	1,274.17
₹ 170.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर बजट अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[01] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
मू.	861.61		
पु.	- 631.29	230.32	230.32
₹ 631.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर द्वारा प्रस्तावित 12 अध्ययनों/अनुसंधानों के लिए संबंधित विभागों से सहमति नहीं मिलने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[11] स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र			
मू.	250.00		
पु.	- 250.00
31 मार्च 2025 को ₹ 250.00 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर को समाप्त करने से अध्यक्ष, निजी सचिव, निजी सहायक और कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
090. सचिवालय			
(07) कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	1,484.01		
पु.	- 300.12	1,183.89	1,183.89
31 मार्च 2025 को ₹ 300.12 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 09 – निर्वाचन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,52,08,79	5,52,08,79	4,92,99,69	– 59,09,10
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				59,19,66
प्रभारित				
मूल	1	57.64	57.64	..
अनुपूरक	57,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				..

पूंजी

दत्तमत				
मूल	3,00,00	3,00,00	34,80	– 2,65,20
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,65,20

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,909.10 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 5,919.66 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2015. निर्वाचन				
103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण				
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध				
मू.	6,450.00	6,139.39	5,548.33	– 591.06
पु.	– 310.61			

₹ 310.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः संबंधित फर्मों से लोकसभा आम चुनाव, 2024 एवं विधानसभा उपचुनाव, 2024 के लिए मतदाता सूचियों के मुद्रण हेतु बिल प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 591.06 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 09 –(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार- प्रतिबद्ध			
मू.	33,300.00		
पु.	- 3,900.88	29,399.12	29,991.47
			+592.35

31 मार्च 2025 को ₹ 3,900.88 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा व्यय में कमी के लिए किये गये निरीक्षण की अनुपालना के परिणामस्वरूप विधानसभा आम चुनाव 2023 की तुलना में लोकसभा आम चुनाव 2024 पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,639.58 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 261.30 लाख) किया गया ।

₹ 592.35 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार- प्रतिबद्ध

मू.	7,000.00		
पु.	- 943.11	6,056.89	6,066.16
			+9.27

31 मार्च 2025 को ₹ 943.11 लाख का प्रावधान विधानसभा आम चुनाव 2023 की तुलना में विधानसभा उपचुनाव 2024 पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 9.27 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार- प्रतिबद्ध

मू.	700.00		
पु.	- 153.40	546.60	546.60
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 153.40 लाख का प्रावधान डाक विभाग द्वारा अक्टूबर, 2024 के बाद मतदाता पहचान पत्र वितरण पर हुए व्यय के बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिये)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	300.00		
पु.	- 265.20	34.80	34.80
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 265.20 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला निर्वाचन कार्यालय, झालावाड में ईवीएम/वीवीपीएटी मशीनों के रखरखाव हेतु गोदाम की मरम्मत से संबंधित बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 10 – वाणिज्यिक कर विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,

2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार,

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,

2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं,

2059. लोक निर्माण कार्य,

2062. सतर्कता और

3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत –
--------------------------	------------------	-------------------

(₹ सहस्र में)

राजस्व

दत्तमत

मूल	12,11,65,56			
अनुपूरक	..	12,11,65,56	11,37,82,38	- 73,83,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				73,65,08

प्रभारित

मूल	2,77			
अनुपूरक	5	2,82	2,82	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				..

पूंजी

दत्तमत

मूल	37,54,97			
अनुपूरक	..	37,54,97	35,44,88	- 2,10,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,10,09

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 7,383.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 18.10 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 10 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) राजस्थान कर बोर्ड- प्रतिबद्ध			
मू . 616.16	453.01	453.01	..
पु . - 163.15			
₹ 163.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों पर नयी भर्ती नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि			
मू . 15,000.00	7,819.81	7,819.82	+0.01
पु . - 7,180.19			
31 मार्च 2025 को ₹ 7,180.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिप्स योजना के अन्तर्गत इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के			
दावों कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,715.97 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,464.22 लाख) की			
गयी।			
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(10) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग- प्रतिबद्ध			
मू . 300.00	20.99	20.99	..
पु . - 279.01			
31 मार्च 2025 को ₹ 279.01 लाख का प्रावधान आई.एफ.एम.एस.3.0 मॉड्यूल द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी			
स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2062. सतर्कता			
105. अन्य सतर्कता एजेन्सीज			
(01) आर्थिक अपराध की रोकथाम			
[01] राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय			
मू . 711.53	528.33	528.11	-0.22
पु . - 183.20			
₹ 183.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों पर नयी भर्ती नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 10 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
800. अन्य व्यय			
(03) हॉटल्स एवं टूर ऑपरेटर्स को राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण			
[01] हॉटल्स एवं टूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण			
मू .	500.00		
पु .	440.57		
	940.57	922.72	-17.85
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 440.57 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः योजना के अन्तर्गत होटल अनुदान हेतु प्रकरण अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 11 - पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण

पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,46,03,07		
अनुपूरक	18,48,30	2,64,51,37	2,52,77,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-11,73,44
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	24,26	24,27	24,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			11,63,20
			..
			..

पूंजी

दत्तमत			
मूल	7,08,51		
अनुपूरक	..	7,08,51	4,58,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-2,49,97
			2,47,07

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,173.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,848.30 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 1,173.44 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 10.24 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,49.97 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2.90 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
मू.	708.51		
पु.	- 247.07	461.44	458.54
			- 2.90

31 मार्च 2025 को ₹ 247.07 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 12 - आबकारी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क,
2059. लोक निर्माण कार्य और
2875. अन्य उद्योग

पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--	--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल

2,06,98,20

2,06,98,20

1,97,99,36

- 8,98,84

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

8,98,76

प्रभारित

मूल

8,45

8,45

8,44

- 1

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

1

पूंजी

दत्तमत

मूल

3,92

4,26,02

1,33,42

- 2,92,60

अनुपूरक

4,22,10

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

2,92,60

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 292.60 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 422.10 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------------	-------------------

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80. सामान्य

051. निर्माण

(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)

मू .

3.90

अ .

422.10

133.42

133.42

..

पु .

- 292.58

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों हेतु लिया गया ₹ 422.10 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2025 को ₹ 292.58 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4 नवीन निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 13 – कोष एवं लेखा प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2048. ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन

2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन,

2059. लोक निर्माण कार्य,

2075. विविध सामान्य सेवाएं और

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत –
	(₹ सहस्र में)		
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	19,01,50,61		
अनुपूरक	1	19,01,50,62	13,34,93,63 – 5,66,53,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5,66,51,90
प्रभारित			
मूल	13		
अनुपूरक	..	13	10 – 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	14,58,04		
अनुपूरक	1	14,58,05	10,10 – 14,47,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			14,47,95

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 56,653.61 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1.71 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 13 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशक, निरीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू. 1,765.88	1,317.72	1,317.72	..
पु. - 448.16			
31 मार्च 2025 को ₹ 448.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना			
[02] पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट			
मू. 487.53	150.00	150.00	..
पु. - 337.53			
31 मार्च 2025 को ₹ 337.53 लाख का प्रावधान 32 स्वीकृत पदों में से 25 पद रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) मद 8235-117 गारन्टी मोचन निधि को			
अन्तरण- प्रतिबद्ध			
मू. 1,10,000.00
पु. - 1,10,000.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,10,000.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 56,028.52 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 53,971.48 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2048. ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन			
101. निपेक्ष निधि			
(01) ऋण घटाने या उनका परिहार करने हेतु			
8222-101 निक्षेप निधि को अन्तरण			
मू. 30,000.00	80,000.00	80,000.00	..
पु. 50,000.00			
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 13 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय			
(01) निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	3,390.46	4,237.14	4,237.14
पु.	846.68		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 846.68 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) माननीय विधायकों और सांसदों को आईपैड उपलब्ध कराने, कनिष्ठ लेखाकार की नई भर्ती, कोषागार नियम और बजट नियमावली तैयार करने तथा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन करने तथा (ii) राजस्व विभाग के अन्तर्गत पीएमयू (कार्यक्रम निगरानी ईकाई) के लिए सलाहकार सेवा पर व्यय, रेक्सको के माध्यम से नियोजित होमगार्ड की दर में वृद्धि और राजस्थान एकीकृत वित्तीय नियमों का पुनर्लेखन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटीकरण			
मू.	3,740.50	4,562.71	4,562.71
पु.	822.21		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 822.21 लाख की अतिरिक्त निधियां आरआईटीएमएस में आईएम सर्वर एवं आईएफएमएस के वास्तुकला लेखापरीक्षा पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना			
[01] विश्व बैंक पोषित			
मू.	644.91	1,443.75	1,443.74
पु.	798.84		- 0.01
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 798.84 लाख की अतिरिक्त निधियां विधानसभा चुनाव 2023 आचार संहिता लागू होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्यों की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु तथा कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी प्रणाली में त्रुटि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान अस्वीकृत करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(05) राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम			
[01] राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम			
मू.	140.22	1,492.08	1,492.08
पु.	- 1,351.86		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,351.86 लाख की अतिरिक्त निधियां विकसित राजस्थान दस्तावेजों में योजनाओं/घोषणाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए पीएमयू हेतु एनआईसीएसआई/आरआईएसएल/आरएफएसजीएल में नियोजित तीस संसाधनों हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 13 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(06) सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण			
[01] राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण			
मू .	231.00	445.00	445.00
पु .	214.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 214.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्राधिकरण के अन्तर्गत आरजीएचएस में आ रही अनियमितताओं की जांच हेतु गठित क्यूसी एवं पीए सेल पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			..
800. अन्य व्यय			
(07) एकल समग्र उपापन पोर्टल			
[01] कोष एवं लेखा			
अ .	0.01	1,424.61	1,424.61
पु .	1,424.60		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,424.60 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी परियोजना एकल समग्र खरीद पोर्टल (एसएचपीपी) के व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			..

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू .	1,458.00	10.10	10.10
पु .	- 1,447.90		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,447.90 लाख का प्रावधान निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 14 –राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
मुख्य शीर्ष : राजस्व-2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी -4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	21,53,34,67		
अनुपूरक	3,13,48,37		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		24,66,83,04	-83,39,65
प्रभारित			
मूल	2		
अनुपूरक	21	23	23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			83,39,61
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,28,00,01		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		1,28,00,01	- 47,73,67
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 8,339.65 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 31,348.37 लाख का प्रावधान अत्याधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------------	-------------------

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम
104. निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि
- (02) प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण- प्रतिबद्ध

मू.	4,403,23		
पु .	- 681.28	3,721.95	3,721.94
			- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 681.28 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति अप्रैल, 2025 में प्राप्त होने तथा कुछ कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 2024-25 में नहीं हो पाने से बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 14 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	7,822.00		
पु .	- 1,137.58	6,684.42	6,684.41
			-0.01

₹ 1,137.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अप्रैल, 2025 में मंहगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) वर्ष 2024-25 में कुछ कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं होने, (iii) आईएफएमएस 3.0 में एएफएस की ऑनलाइन स्वीकृति के परिणामस्वरूप एएफएस में देरी के कारण कार्यों पर कम व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुई बचत का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में होना और कार्यालय भवन के किराये का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(27) मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग			
मू.	31,154.77		
पु .	- 6,748.77	24,406.00	24,405.99
			- 0.01

₹ 6,748.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए वित्त विभाग की संशोधित स्वीकृति के अनुसार योजना के व्यक्तिगत खाते में कम निधियों के हस्तान्तरण को आरोपित की गयी ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
102. समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(04) मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग			
मू.	0.14		
पु .	308.98	309.12	309.11
			- 0.01

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 308.98 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 14 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 12,800.00			
पु. - 4,772.09		8,027.91	8,027.91
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 4,772.09 लाख का प्रावधान (i) विगत वर्ष बीमा भवन मुख्यालय के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने तथा (ii) आईएफएमएस 3.0 पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी करने एवं कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण व्यय नहीं होने को अभ्यर्पित (₹ 4,771.17 लाख) तथा (₹ 0.92 लाख) अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 15 - पेंशन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,89,96,55,83	3,02,19,62,31	2,93,20,12,90	- 8,99,49,41
अनुपूरक	12,23,06,48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,06,89,53
प्रभारित				
मूल	20,00,04	20,00,04	1,23,33	- 18,76,71
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				18,76,71
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 89,949.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,22,306.48 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 89,949.41 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 19,259.88 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01. सिविल				
102. पेंशन का सांराशिकृत मूल्य				
(01) पेंशन का सांराशिकृत मूल्य				
[01] कर्मचारियों की पेंशन का सांराशिकृत मूल्य- प्रतिबद्ध				
मू.	2,60,000.00	2,29,615.59	2,29,465.78	- 149.81
पु.	- 30,384.41			
31 मार्च 2025 को ₹ 30,384.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 26,338.98 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,045.43 लाख) करने तथा ₹ 149.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।				
01. सिविल				
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन				
(06) स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन				
[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड- प्रतिबद्ध				
मू.	2,400.00	1,971.89	1,971.89	..
पु.	- 428.11			
31 मार्च 2025 को ₹ 428.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।				

अनुदान संख्या 15 (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
200. अन्य पेंशन			
(01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू. 13,000.00			
पु. - 1,860.54	11,139.46	11,097.72	- 41.74
31 मार्च 2025 को ₹ 1,860.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 41.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. सिविल			
800. अन्य व्यय			
(01) पेंशन हित लाभ भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू. 500.00			
पु. - 382.39	117.61	117.61	..
31 मार्च 2025 को ₹ 382.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधी प्रभार			
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन संबंधी प्रभार (प्रभृत्त)- प्रतिबद्ध			
मू. 2,000.00			
पु. - 1,876.67	123.33	123.33	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,876.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 16 – राजस्व विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व,
 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
 2053. जिला प्रशासन,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2216. आवास,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	20,84,79,67			
अनुपूरक	8	20,84,79,75	18,33,17,72	- 2,51,29,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,51,05,53
प्रभारित				
मूल	11,57			
अनुपूरक	67,59	79,16	74,12	- 5,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,04
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	22,03,03			
अनुपूरक	1	22,03,04	11,85,95	- 10,17,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10,17,08
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 25,129.65 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 24.12 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(01) मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	882.06	685.17	685.14
पु.	- 196.89		
₹ 196.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 0.03
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,168.34	3,381.57	3,381.54
पु.	- 786.77		
₹ 786.77 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 0.03
103. भू-अभिलेख			
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,02,278.32	90,619.44	90,619.24
पु.	- 11,658.88		
₹ 11,658.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नव सृजित 09 जिलों को समाप्त करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने,(ii) मंहगाई भत्ते की दरों में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने, (iii) कोषालयों द्वारा कम व्यय करने, (iv) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्तों के कम दावों करने तथा (v) पानी एवं बिजली के शुल्क पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			- 0.20
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर- प्रतिबद्ध			
मू.	1,188.75	928.53	928.54
पु.	- 260.22		
31 मार्च 2025 को ₹ 260.22 लाख का प्रावधान (i) राजस्व अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पदस्थापन के कारण रिक्त रहने वाले पदों पर वेतन और भत्तों पर कम व्यय,(ii) राज्य के प्रतिनियुक्त अधिकारियों के ए.सी.पी. एवं पदोन्नती आदेश समय पर जारी नहीं होने के कारण एरियर राशि का कम भुगतान,(iii) पटवार कार्यशालाओं में आवासीय प्रशिक्षण आयोजन नहीं होने के कारण कार्यलय व्यय बिजली शुल्क एवं वॉटर चार्ज पर कम व्यय होने तथा (iv) सितम्बर 2024 में अत्यधिक बरसात के कारण प्रशिक्षुओं के बाहरी दौरे की अवधि कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			+ 0.01
103. भू-अभिलेख			
(04) राष्ट्रीय भू-अभिलेख सुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
[02] भू-प्रबन्धन विभाग			
मू.	750.05
पु.	- 750.05		
31 मार्च 2025 को ₹ 750.05 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
099. राजस्व बोर्ड			
(01) मण्डल और उसकी स्थापना- प्रतिबद्ध			
मू.	3,939.01		
पु .	- 446.60		
	3,492.41	3,492.41	..
₹ 446.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सदस्यों और अन्य पद रिक्त रहने एवं मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) सरकारी दौरे में कमी के कारण कर्मचारियों द्वारा यात्रा दावे कम प्रस्तुत होने को आरोपित की गयी ।			
099. राजस्व बोर्ड			
(02) राजस्व अपीलीय अधिकारी- प्रतिबद्ध			
मू.	1,074.57		
पु .	- 227.47		
	847.10	847.10	..
₹ 227.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्व अपीलीय अधिकारियों के पद रिक्त रहने एवं मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) सभी आरएए कार्यालयों में होम गार्ड/ रेक्सकों कर्मियों की अनुपलब्धता तथा (iii) कम्प्यूटर खरीद हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी ।			
2053. जिला प्रशासन			
093. जिला स्थापनाएँ			
(01) जिलाधीश कार्यालय			
मू.	700.00		
पु .	- 433.57		
	266.43	266.43	..
31 मार्च 2025 को ₹ 433.57 लाख का प्रावधान कम्प्यूटर खरीद प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक कोषालयों द्वारा बिलों पर आपत्ति लगाने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
093. जिला स्थापनाएँ			
(02) दण्डाधीश - प्रतिबद्ध			
मू.	3,432.81		
पु .	- 441.89		
	2,990.92	2,990.92	..
₹ 441.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मंहगाई भत्तों की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने तथा (iii) कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक बिलों पर आपत्ति लगाने के कारण कम व्यय को आरोपित की गयी।			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएं- प्रतिबद्ध			
मू.	16,453.53		
पु .	- 1,821.48		
	14,632.05	14,629.35	- 2.70
₹ 1,821.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने एवं मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने तथा (ii) कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय एवं कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक बिलों पर आपत्ति किये जाने के कारण कम व्यय को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 16 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन 094. अन्य स्थापनाएँ (02) तहसील कार्यालय- प्रतिबद्ध मू. 45,744.95	39,547.11	39,549.86	+2.75
पु. - 6,197.84			

₹ 6,197.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने एवं महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने, (ii) कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने, (iii) कम यात्राओं के परिणामस्वरूप यात्रा भत्ता दावों पर कम व्यय तथा (iv) कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक बिलों पर आपत्ति किये जाने के कारण कम व्यय को आरोपित की गयी।

101. आयुक्त (01) आयुक्त [01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध मू. 2,432.56	2,060.80	2,060.75	- 0.05
पु. - 371.76			

₹ 371.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) तीन नये संभागीय आयुक्त कार्यालयों के निरस्त होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) महंगाई भत्ते की दरों में अनुमानों से कम वृद्धि होने, (iii) सभी कार्यालयों में होम गार्ड/ रेक्सको कर्मियों की अनुपलब्धता/नियोजन में देरी होने तथा (iv) कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक बिलों पर आपत्ति किये जाने के कारण कम व्यय को आरोपित की गयी।

2059. लोक निर्माण कार्य 80. सामान्य 053. रखरखाव तथा मरम्मत (04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध मू. 700.00	124.44	124.44	..
पु. - 575.56			

31 मार्च 2025 को ₹ 575.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80. सामान्य 051. निर्माण (01) सामान्य भवन (भू-राजस्व) [01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से मू. 1,213.00	1,087.02	1,087.02	..
पु. - 125.98			

31 मार्च 2025 को ₹ 125.98 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों पर कम व्यय एवं कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस तक बिलों पर आपत्ति किये जाने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 16--(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(52) सामान्य भवन (भू-प्रबन्धन विभाग)			
मू .	400.00
पु .	- 400.00
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	560.00	74.70	74.70
पु .	- 485.30		..
31 मार्च 2025 को ₹ 485.30 लाख का प्रावधान नवीन कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 17 – सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,				
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,				
2075. विविध सामान्य सेवाएं,				
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और				
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं				
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,				
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और				
5054. सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
कुल अनुदान या		वास्तविक		आधिक्य +
विनियोग		व्यय		बचत –
		(₹ सहस्र में)		

राजस्व

दत्तमत				
मूल	3,39,40,54			
अनुपूरक	30,90,10	3,70,30,64	3,43,69,24	- 26,61,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				26,65,12
प्रभारित				
मूल	4			
अनुपूरक	3,51	3.55	3.54	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,53,78,77			
अनुपूरक	..	2,53,78,77	1,67,70,78	- 86,07,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				86,07,80

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 2,661.40 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 2,665.12 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 17 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(05) राजस्थान उड्डयन विश्वविद्यालय की स्थापना			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू .	1,000.02
पु .	- 1,000.02
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.02 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,000.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग- प्रतिबद्ध			
मू .	7,889.52	7,398.17	7,395.77
अ.	1,005.00		- 2.40
पु .	- 1,496.35		
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,005.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था			
₹ 1,496.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवीन पदों की भर्ती नहीं होने एवं पदों के रिक्त रहने, (ii) फोर्ड एंडेवर कार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से सक्षम स्तर पर अनुमोदन नहीं मिलने तथा (iii) आयोग/बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप वाहनों के संचालन पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(07) क्षेत्रीय उडान सम्पर्क योजना			
[01] सेवा प्रदाताओं को सहायता			
मू .	1,000.00	832.77	832.77
पु .	- 167.23		..
31 मार्च 2025 को ₹ 167.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों उनके आश्रितों आदि को पेंशन			
सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू .	1,300.00	999.45	1,014.15
पु .	- 300.55		+ 14.70
31 मार्च 2025 को ₹ 300.55 लाख का प्रावधान स्वतन्त्रता सेनानी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 14.70 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 17 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू .	4,000.00		
		3,523.45	3,523.45
पु .	- 476.55		..
31 मार्च 2025 को ₹ 476.55 लाख का प्रावधान लोकतन्त्र सेनानी पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 255.57 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 220.98 लाख) तथा किया गया।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(01) राजकीय अतिथियों पर व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	400.00		
		899.19	899.19
पु .	499.19		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 499.19 लाख की अतिरिक्त निधियां अधिक राजकीय अतिथियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(11) जोधपुर हाउस, नई दिल्ली			
[01] जोधपुर हाउस, नई दिल्ली- प्रतिबद्ध			
मू .	262.86		
		466.87	466.43
पु .	204.01		- 0.44
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 204.01 लाख की अतिरिक्त निधियां सेवाकर के भुगतान एवं विश्राम भवन में अधिक अतिथियों के आगमन पर होने वाले व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(12) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस			
[01] चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस- प्रतिबद्ध			
मू .	667.51		
		857.83	857.83
पु .	190.32		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.32 लाख की अतिरिक्त निधियां सेवाकर के भुगतान एवं विश्राम भवन में अधिक अतिथियों के आगमन पर होने वाले व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 18 – गृह विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,

2055. पुलिस,

2059. लोक निर्माण कार्य,

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2075. विविध सामान्य सेवाएं,

2216. आवास,

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और

2250. अन्य सामाजिक सेवाएं

पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

कुल अनुदान या

विनियोग

वास्तविक

व्यय

(₹ सहस्र में)

आधिक्य +

बचत –

राजस्व

दत्तमत

मूल

1,02,02,39,95

1,02,55,27,57

93,80,10,08

- 8,75,17,49

अनुपूरक

52,87,62

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

8,72,07,95

प्रभारित

मूल

20,04

2,01,62

2,01,52

- 10

अनुपूरक

1,81,58

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

10

पूंजी

दत्तमत

मूल

3,59,66,86

3,77,90,63

2,32,92,04

- 1,44,98,59

अनुपूरक

18,23,77

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

1,45,03,77

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,287.62 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 87,517.49 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, राशि ₹ 309.54 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(01) राजस्थान पुलिस अकादमी			
[01] अकादमी में प्रशिक्षण- प्रतिबद्ध			
मू .	4,678.71		
पु .	- 547.37		
	4,131.34	4,128.27	- 3.07
₹ 547.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(02) पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय- प्रतिबद्ध			
मू .	14,325.51		
पु .	- 2,104.42		
	12,221.09	12,218.47	- 2.62
₹ 2,104.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा कार्यालय व्यय कम होने को आरोपित की गयी, यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(03) पुलिस विश्व विद्यालय			
[01] सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर को अनुदान			
मू .	720.00		
पु .	- 153.98		
	566.02	566.02	..
31 मार्च 2025 को ₹ 153.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) आपराधिक शाखा			
[02] अपराध शाखा- प्रतिबद्ध			
मू .	14,554.22		
पु .	- 1,910.26		
	12,643.96	12,643.53	- 0.43
₹ 1,910.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) आपराधिक शाखा			
[03] आपराधिक शाखा			
मू .	365.42		
पु .	- 365.42		

31 मार्च 2025 को ₹ 365.42 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों और औजार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 18 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(03) मेवाड भील निकाय- प्रतिबद्ध			
मू.	8,516.03		
		7,476.45	7,476.45
पु.	- 1,039.58		..
₹ 1,039.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा यात्रा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[04] यातायात पुलिस- प्रतिबद्ध			
मू.	26,892.01		
		14,905.98	14,905.63
पु.	- 11,986.03		- 0.35
₹ 11,986.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
113. पुलिस कार्मिकों का कल्याण			
(01) पुलिस विभाग के कार्मिकों हेतु विशेष अनुदान- प्रतिबद्ध			
मू.	1,800.00		
		1,531.92	1,531.92
पु.	- 268.08		..
31 मार्च 2025 को ₹ 268.08 लाख का प्रावधान पुलिस कार्मिकों के कल्याण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वितंतु (विशेष पुलिस)-प्रतिबद्ध			
मू.	10,141.78		
		8,360.08	8,350.85
पु.	- 1,781.70		- 9.23
₹ 1,781.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा मशीनरी और साज सामान पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.23 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(03) कम्प्यूटर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,876.21		
		1,648.72	1,648.73
पु.	- 227.49		+0.01
₹ 227.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(11) पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू.	3,250.00
पु.	- 3,250.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,250.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			
2025)			
118. विशेष सुरक्षा समूह			
(01) लाडली सुरक्षा योजना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू.	1,300.00
पु.	- 1,300.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			
2025)			
800. अन्य व्यय			
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	1,200.01	981.69	981.26 - 0.43
पु.	- 218.32		
31 मार्च 2025 को ₹ 218.32 लाख का प्रावधान पुलिस विकास निधि पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(12) महानिरीक्षक पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	3,500.00	828.23	827.76 - 0.47
पु.	- 2,671.77		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,671.77 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2216. आवास			
05. साधारण पुल आवास			
053 रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन- प्रतिबद्ध			
मू.	3,500.00	828.64	828.58 - 0.06
पु.	- 2,671.36		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,671.36 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 18 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(18) राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान			
[01] गृह (ग्रुप-2) विभाग			
मू .	646.01		
		490.00	490.00
पु .	- 156.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 156.01 लाख का प्रावधान राज्य मानवाधिकार आयोग को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,823.77 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 14,498.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 14,503.77 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] आपराधिक शाखा			
मू .	140.00		
	
पु .	- 140.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 140.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू .	2,190.09		
		1,899.29	1,899.29
पु .	- 290.80		..
31 मार्च 2025 को ₹ 290.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 18 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[03] वितंतु पुलिस			
मू .	5,000.01		
		701.28	706.73
			+5.45
पु .	- 4,298.73		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,298.73 लाख का प्रावधान मशीनरी और साज सामान/संयंत्रों एवं औजारों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,300.00		
		155.46	155.46
			..
पु .	- 1,144.54		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,144.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
211. पुलिस आवास			
(05) केन्द्रीय ऋण से पुलिस में पूंजी निवेश			
[01] शहरी थानों पर पुलिस आवास निर्माण			
मू .	11,400.00		
		4,000.00	4,000.00
			..
पु .	- 7,400.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 7,400.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,672.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 727.97 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	800.01		
		215.38	215.38
			..
पु .	- 584.63		
31 मार्च 2025 को ₹ 584.63 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 19 – कारागार विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल और

2059. लोक निर्माण कार्य

पूँजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

कुल अनुदान या
विनियोग

वास्तविक
व्यय
(₹ सहस्र में)

आधिक्य +
बचत –

राजस्व

दत्तमत

मूल

3,22,95,54

3,27,00,95

2,84,17,10

- 42,83,85

अनुपूरक

4,05,41

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

42,77,16

प्रभारित

मूल

2

2

..

- 2

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

2

पूँजी

दत्तमत

मूल

19,88,77

19,88,77

4,87,02

- 15,01,75

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

15,01,74

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 405.41 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

2. ₹ 4,283.85 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6.69 लाख अनुभ्यर्पित रही।

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में)

आधिक्य +
बचत –

2056. जेल

001. निदेशन और प्रशासन

(01) प्रशासन

[01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू .

1,420.52

1,175.20

1,190.62

+ 15.42

पु .

- 245.32

31 मार्च 2025 को ₹ 245.32 लाख का प्रावधान डी.पी.सी. समय पर आयोजित नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 15.42 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(01) मुख्य जेल- प्रतिबद्ध			
मू.	28,142.02	25,107.18	25,085.14
पु.	- 3,034.84		- 22.04
₹ 3,034.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) डी.पी.सी.समय पर आयोजित नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने, (ii) बंदियों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं होने के कारण बंदी मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने तथा (iii) ई.सी.एस. के द्वारा बिल पारित नहीं होने के कारण आर.एम.एस.सी.एल. के खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 22.04 लाख के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

101. जेल			
(06) जेलों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा			
मू.	657.93	751.16	751.16
अ.	405.41		..
पु.	- 312.18		
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा जेलों में विडियों कांफ्रेंसिंग की अधिक सुविधा हेतु लिया गया ₹ 405.41 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			

31 मार्च 2025 को ₹ 312.18 लाख का प्रावधान (i) राज्य की विभिन्न केन्द्रीय जेलों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर) में टीएचसीबीएस प्रणाली की स्थापना हेतु बी एस एन एल (भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान टॉवरों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण शेष रही राशि लैप्स होने, (ii) चिकित्सा उपकरणों की दरें कम प्राप्त होने एवं स्थापना के अभाव में फर्म को भुगतान नहीं होने तथा (iii) बिलों का ई सी एस नहीं होने तथा आधुनिक रसोईघर हेतु मशीन की दर कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न मदों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग- प्रतिबद्ध			
मू.	700.00	290.34	290.29
पु.	- 409.66		- 0.05

31 मार्च 2025 को ₹ 409.66 लाख का प्रावधान (i) वर्ष के अन्त में विभिन्न स्वीकृत कार्यों के लिए निविदा/कार्यादेश जारी करने और अन्तिम बिल का भुगतान करना संभव नहीं था क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देरी से जारी की गयी तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा वास्तविक स्वीकृत राशि के विरुद्ध कम राशि जेल विभाग को स्वीकृत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलों)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,988.77	487.03	487.02
पु.	- 1,501.74		- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 1,501.74 लाख का प्रावधान (i) कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर, 2023 से आगामी आदेशों तक निविदा/कार्यादेश जारी करने पर रोक लगाये जाने तथा (ii) बोलीदाताओं द्वारा भाग नहीं लिये जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्य आरम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 20 – प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और

2202. सामान्य शिक्षा

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,06,03,08,85		
अनुपूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	2,06,03,08,87	1,57,03,67,87	- 48,99,41,00
प्रभारित			
मूल	3,00,04		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	3,00,04	1,64,92	- 1,35,12
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	5,50,85,37		
अनुपूरक	69,19,14		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	6,20,04,51	2,21,73,70	- 3,98,30,81
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 4,89,941.00 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 332.26 लाख अनुभ्यर्पित रही ।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय-निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	2,410.53		
पु .	- 563.69		
		1,846.84	1,846.84
			..

₹ 563.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के कारण अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण			
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू .	16,000.02		
		2,678.21	
पु .	- 13,321.81	2,678.21	..
31 मार्च 2025 को ₹ 13,321.81 लाख का प्रावधान (i) शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने तथा (ii) शिक्षा विभाग द्वारा 31.03.2025 को स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के व्यक्तिगत जमा खाते में निधियों के हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय- प्रतिबद्ध			
मू .	16,672.72		
		13,509.96	
पु .	- 3,162.76	13,507.80	- 2.16
31 मार्च 2025 को ₹ 3,162.76 लाख का प्रावधान (i) शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने तथा (ii) राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवन किराया बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
[01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	2,562.47		
		2,035.37	
पु .	- 527.10	2,034.53	- 0.84
31 मार्च 2025 को ₹ 527.10 लाख का प्रावधान शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(09) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू .	8,472.01		
		1,424.22	
पु .	- 7,047.79	1,419.64	- 4.58
31 मार्च 2025 को ₹ 7,047.79 लाख का प्रावधान छात्रों के बैंक खातों का प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(11) पी.एम.श्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत विकास			
मू .	4,783.00		
		4,299.78	
पु .	- 483.22	4,299.78	..
31 मार्च 2025 को ₹ 483.22 लाख का प्रावधान पी एम श्री योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक योजना एवं बजट में स्वीकृत राशि की अपेक्षा कम निधियों की स्वीकृति जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(09) शिक्षा का अधिकार (आरटीई)			
[01] शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण			
मू .	61,200.01		
		32,568.83	32,381.27
			- 187.56
पु .	- 28,631.18		
31 मार्च 2025 को ₹ 28,631.18 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को समसा (SAMSA) द्वारा जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

₹ 187.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
104. निरीक्षण			
(01) सामान्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	904.50		
		731.07	731.05
			- 0.02
पु .	- 173.43		
31 मार्च 2025 को ₹ 173.43 लाख का प्रावधान रजिस्ट्रार एवं विधि विभाग, जयपुर और जोधपुर में पदस्थापित अधिकारियों के पदौन्नत होने से स्थानान्तरण तथा उनकी नियुक्ति अन्य कार्यालयों में होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)			
(01) मिड डे मील			
[02] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू .	81,932.00		
		64,477.36	64,477.36
			..
पु .	- 17,454.64		
₹ 17,454.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से तीसरी एवं चौथी किश्त जारी नहीं होने तथा तदनुसार वित्त विभाग द्वारा आनुपातिक राज्यांश जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी ।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)			
(03) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना			
[01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार			
मू .	57,400.00		
		12,652.62	12,652.62
			..
पु .	- 44,747.38		
31 मार्च 2025 को ₹ 44,747.38 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं किये जाने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में इसे जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 20 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू .	10,14,246.50		
		7,20,637.24	7,20,561.79
पु .	- 2,93,609.26		- 75.45
₹ 2,93,609.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को वेतन मद में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने, (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (iii) पिछले शेष राशि के समायोजन को आरोपित की गयी ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय			
[04] स्टार परियोजना (सामान्य)			
मू .	24,510.00		
		5,708.02	5,708.02
पु .	- 18,801.98		..
31 मार्च 2025 को ₹ 18,801.98 लाख का प्रावधान (i) स्टार्स योजना की द्वितीय किश्त का हस्तान्तरण सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में नहीं होने तथा (ii) अनुमोदित वार्षिक योजना और बजट में स्वीकृत राशि से कम निधियों की स्वीकृति जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय			
[01] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) पर व्यय			
मू .	6,850.01		
		4,561.92	4,561.92
पु .	- 2,288.09		..
₹ 2,288.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से वेतन के अन्तर्गत प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा राजकीय शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराने तथा (ii) मार्च के अन्तिम दिनों के दौरान पारित बिलों के ईसीएस नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय			
[04] राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(आरएससीईआरटी), उदयपुर पर व्यय			
मू .	3,886.01		
		2,930.18	2,930.18
पु .	- 955.83		..
₹ 955.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 31.03.2025 को चतुर्थ किश्त की स्वीकृति जारी करने तथा (ii) अनुमोदित वार्षिक योजना और बजट में स्वीकृत राशि से कम निधियां जारी करने की स्वीकृति को आरोपित की गयी ।			

अनुदान संख्या 20 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,99,862.40	1,64,851.71	1,64,817.00
पु .	- 35,010.69		
₹ 35,010.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
₹ 34.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			- 34.71
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	49,954.72	37,924.19	37,920.67
पु .	- 12,030.53		
₹ 12,030.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	42,181.72	35,330.83	35,325.92
पु .	- 6,850.89		
31 मार्च 2025 को ₹ 6,850.89 लाख का प्रावधान शिक्षकों की भर्ती/स्थायीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	13,580.02	10,960.99	10,956.59
पु .	- 2,619.03		
₹ 2,619.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सीबीईओ में कार्यरत मंत्रालयिक अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं पदोन्नति पर अन्यत्र नियुक्ति होने को आरोपित की गयी ।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)			
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	2,564.47	2,161.41	2,152.28
पु .	-403.06		
31 मार्च 2025 को ₹ 403.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 9.13

अनुदान संख्या 21 – माध्यमिक शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति और
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और
 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,61,18,44,36		
अनुपूरक	2,65,30,17	2,63,83,74,53	2,53,72,25,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-10,11,48,60
प्रभारित			
मूल	10,00,03		
अनुपूरक	5,99,98	16,00,01	8,56,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-7,43,56
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	6,41,28,47		
अनुपूरक	1	6,41,28,48	3,36,64,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			- 3,04,64,12

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 26,530.17 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,01,148.60 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5,735.95 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(02) शिक्षा विभाग			
[02] माध्यमिक शिक्षा- प्रतिबद्ध			
मू .	200.00		
		52.28	
पु .	- 147.72	52.28	..

31 मार्च 2025 को ₹ 147.72 लाख का प्रावधान विद्यालय भवनों की मरम्मत पर कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2202. सामान्य शिक्षा

02. माध्यमिक शिक्षा

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) सामान्य व्यय

मू .	879.61		
		703.05	
पु .	- 176.56	701.15	- 1.90

₹ 176.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्डीय कार्यालयों में वाहन किराये पर लेने पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा

001. निदेशन तथा प्रशासन

(03) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

[01] माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा

मू .	6,500.01		
		2,207.35	
पु .	- 4,292.66	2,207.35	..

31 मार्च 2025 को ₹ 4,292.66 लाख का प्रावधान निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अनतर्गत वास्तविक बिलों के आधार पर आरएसटीवी को भुगतान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

107. छात्रवृत्तियां

(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू .	5,653.74		
		..	
पु .	- 5,653.74

31 मार्च 2025 को ₹ 5,653.74 लाख का समस्त प्रावधान ओबीसी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार से संबंधित अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(09) मॉडल स्कूल

[01] मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय

मू .	33,680.00		
		18,592.00	
पु .	- 15,088.00	18,592.00	..

₹ 15,088.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(20) गार्गी/बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू .	6,210.00		
पु .	- 2,809.47		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,809.47 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के लिए बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को किये गये वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।	3,400.53	3,400.53	..
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू .	864.00		
पु .	- 864.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 864.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार			
[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	1,963.14		
पु .	- 1,963.14		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,963.14 लाख का समस्त प्रावधान कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी की खरीद के लिए कार्यवाही नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(32) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू .	1,494.00		
पु .	- 996.01		
31 मार्च 2025 को ₹ 996.01 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	497.99	497.99	..

अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(34) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम			
[01] सामान्य व्यय			
मू .	340.00
पु .	- 340.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 340.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष 2024-25 में छात्रों को एपीजे अब्दुल कलाम सांस्कृतिक दौरे हेतु राज्य सरकार द्वारा देरी से अनुमति मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक स्कूल			
[02] सैनिक स्कूल झुंझुनू को सहायता			
मू .	980.00	340.00	340.00
पु .	- 640.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 640.00 लाख का प्रावधान (i) सैनिक स्कूल, झुंझुनू के लिए राज्य सरकार से स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने, (ii) सैनिक स्कूल, झुंझुनू के लिए पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने तथा (iii) निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(08) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस का पुनर्भरण			
मू .	3,815.70
पु .	- 3,815.70		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,815.70 लाख का प्रावधान शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत बाल प्रतिपूर्ति योजना अन्तर्गत राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू .	1,26,782.49	98,908.16	93,621.64
पु .	- 27,874.33		- 5,286.52
₹ 27,874.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी			
₹ 5,286.52 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 21 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[01] उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान (आईएएसई)			
मू.	669.01	333.24	333.23
पु.	- 335.77		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 335.77 लाख का प्रावधान विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप वेतन में बचत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	739.32	585.44	585.44
पु.	- 153.88		..
31 मार्च 2025 को ₹ 153.88 लाख का प्रावधान विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप वेतन में बचत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(04) शारीरिक शिक्षा विद्यालय			
[01] शारीरिक शिक्षा विद्यालयों का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	1,138.35	844.52	844.52
पु.	- 293.83		..
₹ 293.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) आवासीय छात्रों के लिए मेस व्यवस्था पर वास्तविक व्यय होने को आरोपित की गयी।			
2205. कला एवं संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) पुस्तकालय, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से			
[01] पुस्तकालयों का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	1,670.52	1,443.26	1,438.74
अ.	0.01		- 4.52
पु.	- 227.27		
₹ 227.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 227 स्वीकृत पदों में से 128 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के लागू होने के कारण प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय में सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब होने को आरोपित की गयी।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(45) बधिर, मूक और नेत्रहीनों के विद्यालय (आयुक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] बधिर, मूक और नेत्रहीनों के विद्यालयों का संचालन व्यय (आयुक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से)- प्रतिबद्ध			
मू.	1,040.95	913.38	913.38
पु.	- 127.57		..
₹ 127.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मूक-बधिर विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 21 - (समाप्त) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(20) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू .	39,901.00	20,530.17	20,530.17
पु .	- 19,370.83		..
31 मार्च 202 को ₹ 19,370.83 लाख का प्रावधान समसा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,325.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 44.99 लाख) किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(21) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू .	430.00	239.28	239.28
पु .	- 190.72		..
31 मार्च 2025 को ₹ 190.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(26) नाबार्ड आर आई डी एफ XXVIII के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू .	3,500.00	1,500.00	1,500.00
पु .	- 2,000.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(28) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIX के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों का निर्माण			
[01] के.जी.बी.वी. छात्रावासों का निर्माण (राज्य निधि)			
अ .	4,379.00	2,450.00	2,450.00
पु .	- 1,929.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,929.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. कला तथा संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(01) पुस्तकालय भवन			
[01] भवन			
मू .	405.69
पु .	- 405.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 405.69 लाख का प्रावधान मार्च के अन्त तक वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राशि कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं होने से बचत रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को उधार			
मू .	360.00
पु .	- 360.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 360.00 लाख का प्रावधान सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ को ऋण राशि की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2202. सामान्य शिक्षा और

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं

पूंजी - 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	21,17,04,31		
अनुपूरक	5	21,17,04,36	17,82,94,21 -3,34,10,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			3,34,09,78
प्रभारित			
मूल	3,00,01		
अनुपूरक	2,99,99	6,00,00	5,97,16 - 2,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			2,84
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	6,24,28,22		
अनुपूरक	..	6,24,28,22	4,44,09,12 - 1,80,19,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1,80,19,10
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			

अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः)

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशालय			
मू .	418.77		
पु .	-164.03	254.74	254.73
			- 0.01

₹ 164.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
102. विश्वविद्यालयों को सहायता
(08) कोटा विश्वविद्यालय को अनुदान

मू .	100.02			
पु .	- 100.02

31 मार्च 2025 को ₹ 100.02 लाख का समस्त प्रावधान (i) ऑडिटरियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने तथा (ii) कार्यकारी एजेन्सी से पूर्व में जारी निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
102. विश्वविद्यालयों को सहायता
(20) विश्वविद्यालयों को अनुदान
[04] वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

मू .	1,000.00			
पु .	- 120.00	880.00	880.00	..

31 मार्च 2025 को ₹ 120.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
(10) स्कूटी वितरण योजना
[01] मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण

मू .	4,476.66			
पु .	- 4,436.03	40.63	40.63	..

31 मार्च 2025 को ₹ 4,436.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 22 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू .	4,708.06	899.78	899.78
पु .	- 3,808.28		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,808.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(18) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-एम एम ई आर			
[01] आरयूएसए- एम एम ई आर			
मू .	450.11	23.55	23.55
पु .	- 426.56		
31 मार्च 2025 को ₹ 426.56 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(01) छात्रवृत्ति और वजीफा			
मू .	22,501.00	10,050.16	10,050.16
पु .	- 12,450.84		
31 मार्च 2025 को ₹ 12,450.84 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,232.95 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 4,217.89 लाख) किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू .	2,000.00	1,292.97	1,292.98
पु .	- 707.03		
31 मार्च 2025 को ₹ 707.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	346.50	178.39	178.39
पु .	- 168.11		
31 मार्च 2025 को ₹ 168.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 22 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(07) नेट स्लैट उत्तीर्ण छात्रों हेतु फेलोशिप			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू.	800.00	280.31	280.31
पु.	- 519.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 519.69 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
112. उच्च शिक्षा के संस्थान			
(01) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज			
[01] कॉलेज शिक्षा के माध्यम से			
मू.	230.00	75.00	75.00
पु.	- 155.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 155.00 लाख का प्रावधान (i) नये भवन में स्थानान्तरित नहीं होने, (ii) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने भवन का बिजली/पानी का खर्चा वहन करने तथा (iii) अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
112. उच्च शिक्षा के संस्थान			
(03) अन्य संस्थाओं को शोध हेतु सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा के माध्यम से			
मू.	1,000.01
पु.	- 1,000.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (RAJ-CES)			
[01] नवीन राजकीय महाविद्यालय (सामान्य)			
मू.	6,456.00
पु.	- 6,456.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,456.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/ नवीन योजनाएं			
मू.	200.02
पु.	- 200.02		..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 22 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(06) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम			
[01] कॉलेज शिक्षा			
अ .	800.00
पु .	- 800.00
31 मार्च 2025 को ₹ 800.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	51,405.00	39,177.62	39,177.62
पु .	- 12,227.38
31 मार्च 2025 को ₹ 12,227.38 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(07) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू .	7,023.18	2,231.50	2,231.50
पु .	- 4,791.68
31 मार्च 2025 को ₹ 4,791.68 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(11) सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स फॉर एजुकेशन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 23 – संस्कृत शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और

2202. सामान्य शिक्षा

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,48,43,36	6,48,43,36	6,25,92,03	- 22,51,33
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				22,51,29
प्रभारित				
मूल	2,67	5,50,00	5,32,66	- 17,34
अनुपूरक	5,47,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				17,34
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,55,00	12,00,13	10,72,75	- 1,27,38
अनुपूरक	9,45,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,27,38
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

अनुदान संख्या 23 - (समाप्त)

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू . 900.01	800.00	800.00	..
पु . - 100.01			

31 मार्च 2025 को ₹ 100.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 945.13 लाख का प्रावधान ₹ 127.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
205. भाषा विकास			
(01) राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
[01] संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू . 150.00
पु . - 150.00			

31 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं होने/कार्य का आंशिक निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 24 – तकनीकी शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2203. तकनीकी शिक्षा,

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,13,23,40	4,13,23,40	3,90,02,44	- 23,20,96
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				23,20,95
प्रभारित				
मूल	1	11,53	11,52	- 1
अनुपूरक	11,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	57,92,93	57,92,93	10,97,16	- 46,95,77
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				46,95,77
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

अनुदान संख्या 24 –(क्रमशः)

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू .	792.46		
पु .	- 132.98	659.48	659.48 ..

₹ 132.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ चयन पर त्यागपत्र/कुछ कार्मिकों की बरखास्तगी होने तथा (ii) अर्जित अवकाश का कम नकदीकरण तथा (iii) गैर-संवेतन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

800. अन्य व्यय
(04) राजस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार योजना
[01] उच्च तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

मू .	150.00		
पु .	- 147.00	3.00	3.00 ..

31 मार्च 2025 को ₹ 147.00 लाख का प्रावधान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	448.92		
पु .	- 270.04	178.88	178.88 ..

31 मार्च 2025 को ₹ 270.04 लाख का प्रावधान बजट के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 24 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	2,708.98	918.28	918.28
पु.	- 1,790.70		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,790.70 लाख का प्रावधान (i) निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने, (ii) वित्त विभाग द्वारा सिविल विभागों के कम्प्यूटर एवं उपकरणों की खरीद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iii) राज्य के 26 महाविद्यालयों में से केवल 5 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में गैर-इंजीनियरिंग शाखा शुरू करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. तकनीकी शिक्षा
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)
(08) पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन (अपग्रडेशन),
सुदृढीकरण, एवं संबन्धीकरण
[01] राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

मू.	1,625.00
पु.	1,625.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,625.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. तकनीकी शिक्षा
105. इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान
(01) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
[01] निर्माण कार्य

मू.	1,010.00
पु.	- 1,010.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,010.00 लाख का समस्त प्रावधान राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर के स्वयं के भवन हेतु भूमि आवंटित नहीं होने के कारण भवन तथा मशीनरी एवं यन्त्रों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 25 – कला एवं संस्कृति विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2202. सामान्य शिक्षा और
2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,19,55,12		
अनुपूरक	3		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	1,19,55,15	89,56,88	- 29,98,27
प्रभारित			
मूल	46		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	46	42	- 4
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	33,33,82		
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	33,33,83	18,48	- 33,14,85
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			
राजस्व			
दत्तमत			

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2205. कला एवं संस्कृति			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(01) शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय			
[01] प्रधानास्पद व्यय			
मू .	498.29		
पु .	- 167.96		
	330.33	330.33	..

₹ 167.96 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः त्यौहारों आदि के कम आयोजन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	अनुदान संख्या 25 – (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(02) ललित कला अकादमी को प्रोत्साहन हेतु अनुदान			
मू .	260.00		
पु .	- 187.34	72.66	72.66
31 मार्च 2025 को ₹ 187.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(11) जवाहर कला केन्द्र			
मू .	941.00		
पु .	- 101.00	840.00	840.00
31 मार्च 2025 को ₹ 101.00 लाख का प्रावधान त्योंहारों आदि के कम आयोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू .	165.00		
पु .	- 126.50	38.50	38.50
31 मार्च 2025 को ₹ 126.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(33) आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण			
[01] आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	3,333.00		
पु .	- 1,009.00	2,324.00	2,324.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,009.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 569.32 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 439.68 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(35) शान्ति एवं अहिंसा विभाग			
[01] महात्मा गांधी विद्यापीठ- गांधी अध्ययन केन्द्र, जयपुर			
मू .	125.00		
पु .	- 125.00
31 मार्च 2025 को ₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
2025)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(35) शान्ति एवं अहिंसा विभाग			
[02] गांधी दर्शन म्यूजियम, जयपुर			
मू .	350.00		
पु .	- 350.00
31 मार्च 2025 को ₹ 350.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 25 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
103. पुरातत्व			
(06) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू .	460.00		
		200.38	200.38
पु .	- 259.62		..
31 मार्च 2025 को ₹ 259.62 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
107. संग्रहालय			
(01) संग्रहालय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,077.76		
		966.99	966.68
पु .	- 111.07		- 0.01
₹ 111.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने तथा (ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ कार्मिकों की मृत्यु होने को आरोपित की गयी ।			

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(09) आर्मड फोर्स म्युजियम			
[01] पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से			
मू .	3,250.00		
	
पु .	- 3,250.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 3,250.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) सिंगल नोडल एजेन्सी के परिवर्तन के परिणामस्वरूप कार्य का कार्यान्वयन नहीं होने तथा (ii) वित्त विभाग के मौखिक निर्देशों के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 26 – युवा मामले एवं खेल विभाग

(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	1,81,45,61			
अनुपूरक	..	1,81,45,61	1,49,07,89	- 32,37,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
पूंजी				
मूल	85,58,48			
अनुपूरक	..	85,58,48	-1,91,47,09	- 2,77,05,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
35,14,26				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. ₹ 3,237.72 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 57.55 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
101. व्यायाम शिक्षा				
(06) स्टेट यूथ महोत्सव				
[01] राजस्थान युवा बोर्ड				
मू .	650.00			
पु .	- 650.00

31 मार्च 2025 को ₹ 650.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(07) खेलो राजस्थान यूथ गेम्स			
[01] राजस्थान क्रीडा परिषद			
मू.	1,625.00	91.44	91.44
पु.	- 1,533.56		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,533.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 739.43 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 794.13 लाख) किया गया जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[01] बड़ी शाखाएं			
मू.	273.21	128.12	125.56
पु.	- 145.09		- 2.56
₹ 145.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[02] छोटी शाखाएं- प्रतिबद्ध			
मू.	800.01	663.49	639.03
पु.	- 136.52		- 24.46
31 मार्च 2025 को ₹ 136.52 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, उसके तथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 24.46 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[03] बड़ी शाखाएं-निदेशालय- प्रतिबद्ध			
मू.	3,211.57	2,862.67	2,832.14
पु.	- 348.90		- 30.53
₹ 348.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, उसके तथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 30.53 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
104. खेल-कूद			
(09) राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान			
[01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू.	400.00	60.00	60.00
पु.	- 400.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 26 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
104. खेल-कूद			
(11) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना			
[01] महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन			
मू .	325.00
पु .	- 325.00
31 मार्च 2025 को ₹ 325.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान			
मू .	4,920.00	5,579.00	..
पु .	659.00	5,579.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 659.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से- जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू .	6,800.00	4,919.37	- 24,191.31
पु .	- 1,880.63	19,271.94	- 24,191.31
31 मार्च 2025 को ₹ 1,880.63 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

₹ 24,191.31 लाख की अन्तिम बचत राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा 27.03.2025 को चालान के माध्यम से ₹ 24,191.00 लाख जमा कराने से हुई, क्योंकि युवा छात्रावास भवन के निर्माण की योजना को दिल्ली नगर निगम द्वारा निरस्त कर दिया गया

अनुदान संख्या 26 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(03) नेशनल कैडेट कोर			
[01] बडी शाखा			
मू .	263.44		
पु.	- 138.59	124.85	124.85
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 138.59 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(07) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना			
[01] महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण			
मू .	1,300.00		
पु.	- 1,300.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,300.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(08) स्टेट ऑफ आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेन्टर, जयपुर			
[01] फिटनेस सुविधा			
मू .	195.01		
पु.	- 195.01
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 195.01 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 27 – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
2211. परिवार कल्याण और
3055. सडक परिवहन

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,07,02,02,26	1,07,02,02,26	99,17,84,78	-7,84,17,48
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,81,82,36
प्रभारित				
मूल	55,04	90,02	88,19	- 1,83
अनुपूरक	34,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,83
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,16,29,52	11,74,05,27	10,51,60,98	- 1,22,44,29
अनुपूरक	57,75,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,22,44,29
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

1. ₹ 78,417.48 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 235.12 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-प्रतिबद्ध			
मू .	800.00	497.99	497.99
पु .	- 302.01		
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 302.01 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) प्रधान कार्यालय			
[01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	6,679.71	5,582.53	5,573.88
पु .	- 1,097.18		
			- 8.65

₹ 1,097.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[03] क्षय क्लिनिक			
मू .	1,013.30	12.80	12.60
पु .	- 1,000.50		
			- 0.20

31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू .	81,519.01	68,106.87	68,084.90
पु .	- 13,412.14		
			- 21.97

₹ 13,412.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू .	14,584.71		
पु .	- 3,058.17	11,526.54	11,518.83
			- 7.71
₹ 3,058.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय और जिला संस्थापन			
मू .	2,221.52		
पु .	- 463.94	1,757.58	1,756.44
			- 1.14
₹ 463.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[07] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना- प्रतिबद्ध			
मू .	7,517.31		
पु .	- 1,272.59	6,244.72	6,239.42
			- 5.30
₹ 1,272.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[08] क्षय क्लिनिक- प्रतिबद्ध			
मू .	4,490.86		
पु .	- 780.90	3,709.96	3,707.77
			- 2.19
₹ 780.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	2,631.51	1,940.11	1,939.31
पु .	- 691.40		
₹ 691.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	82,829.01	71,504.11	71,471.66
पु .	- 11,324.90		
₹ 11,324.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	81,399.01	65,033.06	65,006.69
पु .	- 16,365.95		
₹ 16,365.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[05] स्वास्थ्य उप केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	10,212.21	8,254.20	8,254.08
पु .	- 1,958.01		
₹ 1,958.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	1,001.64	889.76	889.72
पु .	-111.88		- 0.04

31 मार्च 2025 को ₹ 111.88 लाख का प्रावधान (i) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने, (ii) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत मुखबिर योजना संचालित करने के लिए आवेदन कम प्राप्त होने तथा (iii) वर्ष के दौरान विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य (प्रयोगशालाओं) और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एफएसएसआई नई दिल्ली से अनुबन्ध के अन्तर्गत राशि प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(06) दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			
[20] दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण-प्रतिबद्ध			
मू .	1,108.19	748.99	748.98
पु .	- 359.20		- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 359.20 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	4,940.41	3,358.82	3,357.34
पु .	- 1,581.59		- 1.48

₹ 1,581.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं नये पदों की भर्ती नहीं होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(24) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	341.56	240.62	240.62
पु .	- 100.94		..

31 मार्च 2025 को ₹ 100.94 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(25) नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से			
मू.	200.00		
पु.	- 167.23	32.77	32.77
31 मार्च 2025 को ₹ 167.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान			
मू.	61,200.00		
पु.	- 13,174.55	48,025.45	48,025.45
31 मार्च 2025 को ₹ 13,174.55 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी- प्रतिबद्ध			
मू.	14,650.31		
पु.	- 3,102.97	11,547.34	11,545.86
₹ 3,102.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 1.48
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(11) मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ			
मू.	1,29,105.00		
पु.	- 35,360.00	93,745.00	93,745.00
31 मार्च 2025 को ₹ 35,360.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू .	1,389.29	1,160.18	1,160.14
पु .	- 229.11		
₹ 229.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
003. प्रशिक्षण			
(02) आक्जलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू .	1,662.43	1,424.04	1,418.05
पु .	- 238.39		
31 मार्च 2025 को ₹ 238.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[01] राज लक्ष्मी यूनिट योजना			
मू .	200.00	57.60	57.60
पु .	- 142.40		
31 मार्च 2025 को ₹ 142.40 लाख का प्रावधान राज लक्ष्मी ईकाई योजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू .	2,330.00	776.67	776.67
पु .	- 1,553.33		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,553.33 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[01] परिवार कल्याण केन्द्र			
मू .	11,556.02	10,304.29	10,303.52
पु .	1,251.73		
₹ 1,251.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापना			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र- प्रतिबद्ध			
मू .	9,477.01	7,732.18	7,726.01
पु .	1,744.83		- 6.17
₹ 1,744.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उप केन्द्रों का संचालन			
[01] ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू .	66,852.01	58,162.97	58,152.16
पु .	-8,689.04		- 10.81
₹ 8,689.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विस (इ.एम.आर.आई.)			
मू .	18,811.00	27.56	27.56
पु .	- 18,783.44		..
₹ 18,783.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(11) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू .	3,766.00
पु .	- 3,766.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,766.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू .	9,069.01	12,325.84	12,322.81
पु .	3,256.83		-3.03
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,256.83 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर किये व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 27 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(27) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर			
मू .	14,580.01		
पु .	2,629.62		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,629.62 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
		17,209.63	17,199.15
			- 10.48
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू .	1,579.01		
पु .	228.97		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 228.97 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर किये व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
		1,807.98	1,807.98
			..
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(08) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू .	40,895.00		
पु .	34,000.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
		74,895.00	74,895.00
			..
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	1,81,123.00		
पु .	- 35,401.12		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,401.12 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
		2,16,524.12	2,16,523.98
			- 0.14

पूँजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,775.75 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 27 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(17) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)			
मू .	33,791.00		
पु .	- 15,599.06	18,191.94	18,191.94
			..

₹ 15,599.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
200. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
(01) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	635.00		
अ .	1,209.60	5,453.42	5,453.42
पु .	3,608.82		..

₹ 1,209.60 लाख का प्रावधान फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु लिया गया।

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,608.82 लाख की अतिरिक्त निधियां अलवर एवं भरतपुर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला भवन निर्माण, नवीनीकरण और 250 केवीए डीजी सेट, ऑन-लाइन यूपीएस, उच्च तकनीकी उपकरण, लिम्प्स सॉफ्टवेयर आदि की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	6,441.00		
पु .	1,000.00	7,441.00	7,441.00
			..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 28 – चिकित्सा शिक्षा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	38,93,46,14			
अनुपूरक	6	38,93,46,20	35,41,01,67	-3,52,44,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,50,19,77
प्रभारित				
मूल	1,05			
अनुपूरक	6,56	7,61	6,56	- 1,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,04
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	15,61,56,94			
अनुपूरक	..	15,61,56,94	9,95,58,43	- 5,65,98,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5,65,29,22

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 35,244.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 224.76 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर			
मू .	1,600.01		
	1,250.49	1,245.43	- 5.06
पु .	- 349.52		

31 मार्च 2025 को ₹ 349.52 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 21 पदों के रिक्त रहने, (ii) केटीपीएल के द्वारा सरकारी अस्पतालों में एक करोड से कम मूल्य की मशीनों की मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को किये जाने के कारण इन पर कम व्यय होने तथा (iii) ऑक्सीजन गैस संयंत्र के चालू होने से ऑक्सीजन की कम मांग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[36] पंडित दीनदयान उपाध्याय अस्पताल, जयपुर			
मू .	1,830.92		
	1,465.81	1,465.81	..
पु .	- 365.11		

₹ 365.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय (i) 94 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 39 कर्मचारियों के पदों के रिक्त रहने तथा (ii) जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सौर पैनलों की प्रतिपूर्ति के दावा प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[37] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू .	5,962.44		
	5,345.88	5,345.67	- 0.21
पु .	- 616.56		

₹ 616.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने और पानी एवं विद्युत शुल्क पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[44] पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र जयपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	802.66		
	686.43	685.43	- 1.00
पु .	- 116.23		

31 मार्च 2025 को ₹ 116.23 लाख का प्रावधान नई भर्तियां नहीं करने और पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[47] मानसिक अस्पताल जयपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	1,970.11		
		1,758.30	1,758.31
			+ 0.01
पु .	- 211.81		

₹ 211.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नर्सिंग कर्मचारियों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय एवं बकाया भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[50] पं. दीनदाल उपाध्याय अस्पताल, जयपुर- प्रतिबद्ध

मू .	1,098.21		
		967.04	967.03
			- 0.01
पु .	- 131.17		

₹ 131.97 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः 83 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 09 पद रिक्त रहने एवं कर्मचारियों के एम.ए.सी.पी. के बकाया दावों का भुगतान नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[56] महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर- प्रतिबद्ध

मू .	8,810.81		
		7,911.08	7,910.66
			- 0.42
पु .	- 899.73		

₹ 899.73 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं मंहगाई भत्ता वृद्धि आदेश देरी से जारी होने के कारण बकाया दावों का भुगतान नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[57] पन्नाध्याय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर- प्रतिबद्ध

मू .	1,897.74		
		1,694.21	1,694.20
			- 0.01
पु .	- 203.53		

₹ 203.53 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं मंहगाई भत्ता वृद्धि आदेश देरी से जारी होने के कारण बकाया दावों का भुगतान नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[64] सेठी कॉलोनी सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर- प्रतिबद्ध			
मू.	1,301.41		
		1,079.76	1,079.76
पु.	- 221.65		..
31 मार्च 2025 को ₹ 221.65 लाख का प्रावधान मुख्यतः 98 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 31 पद रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[67] जिला अस्पताल, पावटा जोधपुर- प्रतिबद्ध			
मू.	1,755.01		
		1,576.55	1,576.56
पु.	- 178.46		+ 0.01
₹ 178.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों के रिक्त रहने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[68] महिला जिला अस्पताल, जोधपुर- प्रतिबद्ध			
मू.	676.91		
		553.64	553.65
पु.	- 123.27		+ 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 123.27 लाख का प्रावधान मुख्यतः कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[71] श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट अस्पताल पावटा उदयपुर- प्रतिबद्ध			
मू.	1,453.22		
		1,191.10	1,191.10
पु.	- 262.12		..
₹ 262.12 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय एवं मंहगाई भत्ता वृद्धि आदेश देरी से जारी होने के कारण बकाया दावों का भुगतान नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[75] शिवराम नत्थूराम टांक चिकित्सालय मण्डोर, जोधपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	1,419.51		
पु .	- 229.86	1,189.65	1,189.64
			- 0.01
₹ 229.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों के रिक्त रहने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा (ii) यू.टी.बी.कर्मचारियों को भुगतान न होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[82] जिला अस्पताल, पावटा जोधपुर- प्रतिबद्ध			
मू .	655.15		
पु .	- 116.43	538.72	538.72
			..
₹ 116.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों के रिक्त रहने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[85] प्रतापनगर सैटेलाइट अस्पताल, जोधपुर			
मू .	462.42		
पु .	- 107.01	355.41	355.40
			- 0.01
₹ 107.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों के रिक्त रहने एवं कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[93] सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, उदयपुर			
मू .	1,018.90		
पु .	- 609.40	409.50	409.49
			- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 609.40 लाख का प्रावधान (i) आईएफएमएस पर कुल स्वीकृत पदों के वेतन के लिए खोले गये नये शीर्षों की मैपिंग अपलोड नहीं होने से राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो सकने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कपड़ों और चादरों का भुगतान संबंधित शीर्ष के बजाय आरएमआरएस से किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	3,095.51		
अ .	0.01	2,784.05	2,784.05
पु .	- 311.47		
₹ 311.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	1,951.68		
	0.01	1,591.71	1,591.72 +0.01
पु .	- 359.98		
31 मार्च 2025 को ₹ 359.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	1,020.01		
		20.00	20.00
पु .	- 1,000.01		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.01 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कम अनुदान प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेन्टर			
[01] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	2,173.02		
		1,881.30	1,881.30
पु .	- 291.72		
31 मार्च 2025 को ₹ 291.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(09) यू. जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	720.00
पु.	- 720.00
31 मार्च 2025 को ₹ 720.00 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कम अनुदान प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(09) यू. जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] राजसेम अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	16,057.11	579.39	579.39
पु.	- 15,477.72
31 मार्च 2025 को ₹ 15,477.72 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,092.72 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 3,385.00 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(10) नवीन नर्सिंग कॉलेज			
[01] निदेशक, चिकित्सा शिक्षा			
मू.	2,090.00	1,441.01	1,441.01
पु.	- 648.99
₹ 648.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) पी. जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] राजसेम अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	579.03
पु.	- 579.03
31 मार्च 2025 को ₹ 579.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) रेयर डिजीज ट्रीटमेन्ट योजना			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,625.00
पु.	- 1,625.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,625.00 लाख का समस्त प्रावधान दुर्लभ रोगों के लिए योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	650.00
पु .	- 650.00
31 मार्च 2025 को ₹ 650.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(03) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	1,325.00	806.80	801.80 - 5.00
पु .	- 518.20		
₹ 518.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आरएमएससीएल द्वारा औषधि उपलब्ध कराने के कारण एमएनडीवाई से औषधियों की कम खरीद होने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(04) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-जांच			
[06] राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	2,250.41	2,026.89	1,989.68 - 37.21
पु .	- 223.52		
31 मार्च 2025 को ₹ 223.52 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	208.42	57.25	57.25 ..
पु .	- 151.17		
31 मार्च 2025 को ₹ 151.17 लाख का प्रावधान हरिवक्स कावंटिया अस्पताल में अग्निशमन प्रणाली एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिए दरों में वृद्धि के संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	200.00	3.72	3.72
पु .	- 196.28		..

31 मार्च 2025 को ₹ 196.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर
[90] निर्माण कार्य

मू .	974.32	59.75	59.75	..
पु .	- 914.57			

31 मार्च 2025 को ₹ 914.57 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चालू कार्यों के कम निष्पादन एवं मथुरादास माथुर अस्पताल में नये शवगृह और ओवरहेड वाटर टैंक के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू .	4,095.97	3,249.57	3,249.57	..
पु .	- 846.40			

₹ 846.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) ई सी एस नहीं होने, (ii) उपकरणों की स्थापना रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं होने, (iii) वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपकरणों के लिए निविदा का अन्तिमीकरण नहीं होने तथा (iv) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय नहीं करने को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर

मू .	590.01	..	-0.39	-0.39
पु .	- 590.01			

31 मार्च 2025 को ₹ 590.01 लाख का प्रावधान नवीन योजना के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	987.01		
		304.91	304.91
पु .	- 682.10		..

31 मार्च 2025 को ₹ 682.10 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा सिलिकोसिस विंग के निर्माण हेतु बजट का उपयोग नहीं करने, (ii) कोषालय द्वारा कुछ बिलों के पारित होने के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ईसीएस) के माध्यम से भुगतान नहीं होने तथा (iii) उपकरणों की खरीद हेतु निविदाएं प्राप्त नहीं होने, उच्च दरों में प्राप्त होने तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(07) अन्य व्यय
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू .	1,121.13		
		288.92	288.74
पु .	- 832.21		- 0.18

31 मार्च 2025 को ₹ 832.21 लाख का प्रावधान कम्प्यूटीकरण/मशीनरी और उपकरणों/औजारों एवं संयंत्र पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
[01] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय

मू .	21,403.00		
		15,379.70	15,379.70
पु .	- 6,023.30		..

₹ 6,023.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
[90] निर्माण कार्य

मू .	78,948.00		
		44,948.77	44,948.77
पु .	- 33,999.23		..

₹ 33,999.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 28 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	3,741.76		
		2,347.43	2,347.43
पु .	- 1,394.33		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,394.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने एवं राज्य कैंसर संस्थान के लिए उपकरणों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	706.84		
	
पु .	- 706.84		..
31 मार्च 2025 को ₹ 706.84 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	4,813.38		
		2,000.00	2,000.00
पु .	- 2,813.38		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,813.38 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	2,300.00		
		600.00	600.00
पु .	- 1,700.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,700.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 28 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	6,922.03		
पु .	- 5,878.33	1,043.70	1,043.70
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 5,878.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू .	2,600.00		
पु .	- 859.86	1,740.14	1,740.14
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 859.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू .	1,600.02		
पु .	-200.02	1,400.00	1,400.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 200.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(24) पीजी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू .	1,320.00		
पु .	- 320.00	1,000.00	1,000.00
			..

₹ 320.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) उम्मेद पी.जी. मातृत्व तथा नवजात विज्ञान संस्थान में उपकरण खरीद हेतु कोषालय द्वारा बिलों के पारित होने के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (ईसीएस) के माध्यम से भुगतान नहीं होने तथा (ii) उपकरणों की खरीद हेतु निविदाएं प्राप्त नहीं होने, उच्च दरों में प्राप्त होने तथा तकनीकी रूचिकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 28- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(25) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	7,200.00		
पु .	- 5,300.00		
	1,900.00	1,823.81	- 76.19

31 मार्च 2025 को ₹ 5,300.00 लाख का प्रावधान (i) कार्यालय भूजल विभाग के निर्माण प्रक्रियाधीन होने तथा (ii) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने तथा संस्थान के लिए द्वितीय चरण के उपकरणों की खरीद पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(20) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा			
मू .	9,120.02		
पु .	6,997.56		
	16,117.58	16,117.58	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,997.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 29 – आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	13,47,02,09	14,48,68,04	12,79,05,01	- 1,69,63,03
अनुपूरक	1,01,65,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,69,13,81
प्रभारित				
मूल	1,61	1,61	55	- 1,06
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,06

पूंजी

दत्तमत				
मूल	51,51,10	51,51,10	40,26,68	- 11,24,42
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				11,24,42

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,165.95 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 16,963.03 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 49.22 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101. आयुर्वेद (01) निदेशन और प्रशासन			
मू .	1,975.59	1,469.68	1,468.31
पु .	- 505.91		
			- 1.37

31 मार्च 2025 को ₹ 505.91 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) नवीन आईटम क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (iii) एकीकृत महाविद्यालयों में प्रेरण प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iv) अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस और आरोग्य मेलों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101. आयुर्वेद (02) अस्पताल तथा औषधालय [04] अस्पताल तथा औषधालय- प्रतिबद्ध			
मू .	14,311.40	12,112.77	12,106.37
पु .	- 2,198.63		
			- 6.40

₹ 2,198.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101. आयुर्वेद (02) अस्पताल तथा औषधालय [05] भ्रमणशील औषधालय आयुर्वेद- प्रतिबद्ध			
मू .	508.59	382.01	381.99
पु .	- 126.58		
			- 0.02

₹ 126.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101. आयुर्वेद (05) आयुर्वेदिक अनुसंधान [07] रसायन शालायें- प्रतिबद्ध			
मू .	1,113.22	945.97	956.06
पु .	- 167.25		
			- 0.91

₹ 167.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) संविदा पर आवश्यकतानुसार मशीनमैन रखे जाने के कारण मशीनमैन कम व्यय होने तथा (iii) औषधियों के बिलों का ईसीएस (ECS) नहीं होने के कारण आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(08) निदेशन और प्रशासन			
[01] निदेशन और प्रशासन- प्रतिबद्ध			
मू .	4,108.04	3,422.40	3,422.21
पु .	- 685.64		
₹ 685.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू .	1,595.51	1,381.56	1,381.55
पु .	-213.95		
31 मार्च 2025 को ₹ 213.95 लाख का प्रावधान 46 डॉक्टर एवं 86 अरा अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा पीएल सरेण्डर नहीं उठाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] यूनानी अस्पताल तथा औषधालय- प्रतिबद्ध			
मू .	1,179.33	1,029.90	1,029.88
पु .	- 149.43		
₹ 149.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू .	2,367.87	1,998.19	1,998.18
पु .	- 369.68		
31 मार्च 2025 को ₹ 369.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने एवं (ii) चिकित्सालयों में साफ-सफाई हेतु अनुबंध में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 29 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू .	74,227.82		
पु .	- 7,582.03		
		66,645.79	66,609.18
			- 36.61
31 मार्च 2025 को ₹ 7,582.03 लाख का प्रावधान (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण तथा न्यायिक निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) नर्सिंग एवं सहायक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वर्दी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू .	1,737.29		
पु .	- 249.88		
		1,487.41	1,487.40
			- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 249.88 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) नर्स/कम्पाउंडर के 21 पद रिक्त रहने एवं 15 नर्स/कम्पाउंडर का वेतन मैपिंग व अन्य कारणों से वेतन आहरित नहीं होने तथा (ii) चिकित्सा अधिकारी के एसीपी आदेश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू .	8,586.25		
अ .	10,165.95		
पु .	- 4,993.33		
		13,758.87	13,758.87
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,993.33 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति 31 मार्च 2025 को प्राप्त होने से कोषालय से अन्तिम दिवस को बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान			
[02] रसायन शालायें			
मू .	598.72		
पु .	878.44		
		1,477.16	1,477.16
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 878.44 लाख की अतिरिक्त निधियां विभागीय चिकित्सा ईकाइयों के लिए निर्मित औषधियों के उपापन (प्रोक्यूमेंट) हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 29 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(03) आयुर्वेद विभाग के माध्यम से			
मू .	4,121.41		
पु .	- 421.41		
31 मार्च 2025 को ₹ 421.41 लाख का प्रावधान आरएसआरडीसी के माध्यम से निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(08) अस्पताल और औषधालय- होम्योपैथी			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	119.69		
पु .	- 119.69		
31 मार्च 2025 को ₹ 119.69 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों में वृद्धि, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से निविदायें रद्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	500.00		
पु .	- 500.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30 – जनजाति क्षेत्र विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2048.	ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन,
	2055.	पुलिस,
	2056.	जेल,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2251.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2404.	डेयरी विकास,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3054.	सड़क तथा सेतु,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3075.	अन्य परिवहन सेवाएं,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
	4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6700.	मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल	2,30,40,14,69
-----	---------------

अनुपूरक	9,22,15,27
---------	------------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

2,39,62,29,96	2,03,85,80,01	- 35,76,49,95
---------------	---------------	---------------

35,47,70,20

प्रभारित

मूल	4
-----	---

अनुपूरक	35,95
---------	-------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

35,99

35,98

- 1

1

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	84,03,70,91	84,03,71,08	58,05,47,31 - 25,98,23,77
अनुपूरक	17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			25,35,12,01

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 92,215.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 3,57,649.95 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,879.75 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹ 1,21,737.99 लाख, ₹ 1,89,189.18 लाख, ₹ 2,40,203.95 लाख, ₹ 3,89,202.39 लाख तथा ₹ 3,57,649.95 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.46 प्रतिशत से 17.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) ग्राम न्यायालय			
मू .	626.01	468.50	468.47 - 0.03
पु .	- 157.51		

₹ 157.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी एवं अन्य संवर्गों के पदों के रिक्त रहने तथा (ii) न्यायिक अधिकारियों द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न भत्तों की बकाया राशि के अनुमान से कम आहरण को आरोपित की गयी।

2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)
- [01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज

मू .	1,875.00
पु .	- 1,875.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,875.00 लाख का समस्त प्रावधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा नकद अनुदान से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति किये जाने के परिणामस्वरूप ईकाईयों को भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	3,000.00		
पु.	- 358.50	2,641.50	2,641.50
31 मार्च 2025 को ₹ 358.50 लाख का प्रावधान अनुदान के अन्तर्गत अनुमान से दायित्वों के कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2041. वाहन कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण			
मू.	406.87		
पु.	- 287.37	119.50	119.50
31 मार्च 2025 को ₹ 287.37 लाख का प्रावधान कम्प्यूटीकरण एवं संबंधित संचार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2055. पुलिस			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू.	750.00		
पु.	- 750.00
31 मार्च 2025 को ₹ 750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) लाडली सुरक्षा योजना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू.	300.00		
पु.	- 300.00
31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान उडयन विश्वविद्यालय की स्थापना			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू.	300.02		
पु.	- 300.02
31 मार्च 2025 को ₹ 300.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति			
[02] अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु			
मू .	1,800.00		
पु .	- 756.05	1,043.95	1,033.78 - 10.17

31 मार्च 2025 को ₹ 756.05 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से निस्तारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 10.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय
[03] समग्र शिक्षा अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) पर व्यय

मू .	1,84,320.01		
पु .	- 65,589.46	1,18,730.55	1,18,720.25 - 10.30

₹ 65,589.46 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने, (ii) पदों के रिक्त रहने, (iii) नयी भर्ती के पूर्ण नहीं होने, (iv) मार्च माह के अन्तिम दिनों में ईसीएस के माध्यम से बिलों का निस्तारण नहीं होने, (v) भारत सरकार से समग्र शिक्षा की चौथी किश्त की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने तथा (vi) वार्षिक योजना एवं बजट की स्वीकृत राशि से कम राशि स्वीकृत होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.30 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय
[06] स्टार परियोजना (जनजाति क्षेत्र उपयोजना पर व्यय)

मू .	4,551.00		
पु .	- 2,454.39	206.61	206.61 ..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,454.39 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से प्राप्त स्टार्स योजना की दूसरी किश्त का राज्य सरकार द्वारा सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) को हस्तान्तरण नहीं करने तथा (ii) वार्षिक योजना में स्वीकृत राशि से राशि कम स्वीकृत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय
[03] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना (टी एस पी) पर व्यय

मू .	949.01		
पु .	- 584.98	364.03	364.03 ..

₹ 584.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) केन्द्रीयांश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा नहीं कराने तथा (ii) मार्च माह के अन्तिम दिनों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा (ई.सी.एस.) के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	16,320.59		
		14,252.49	14,248.97
पु .	- 2,068.10		- 3.52

31 मार्च 2025 को ₹ 2,068.10 लाख का प्रावधान शिक्षकों की भर्ती (नई)/स्थायी नहीं से वेतन और भत्ते पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	2,440.23		
		2,101.50	2,101.12
पु .	- 338.73		- 0.38

31 मार्च 2025 को ₹ 338.73 लाख का प्रावधान शिक्षकों की भर्ती (नई)/स्थायी नहीं से वेतन और भत्ते पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू .	12,599.99		
		5,659.14	5,638.48
पु .	- 6,940.85		- 20.66

31 मार्च 2025 को ₹ 6,940.85 लाख का प्रावधान समग्र शिक्षा (समसा) द्वारा बजट मद के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त ऋणात्मक राशि को जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू .	31,310.00		
		18,504.74	18,504.74
पु .	- 12,805.26		..

31 मार्च 2025 को ₹ 12,805.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी चतुर्थ किश्त राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाने तथा तदनुसार तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के सापेक्ष में राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	1,573.25		
पु.	- 1,291.28	281.97	281.40
31 मार्च 2025 को ₹ 1,291.28 लाख का प्रावधान छात्रों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.57
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता			
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	255.00
पु.	- 255.00
31 मार्च 2025 को ₹ 255.00 लाख का समस्त प्रावधान सहरिया योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना			
[01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार			
मू.	21,500.00	4,596.82	4,596.82
पु.	- 16,903.18		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,903.18 लाख पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण किया गया ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	3,540.00	662.90	662.90
पु.	- 2,877.10		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,877.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुमोदन बिलम्ब से प्राप्त होने तथा कोषालय से बिल पारित होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से बिलों का निष्पादन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	3,500.00		
		1,803.73	1,803.73
पु.	- 1,696.27		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,696.27 लाख का प्रावधान कक्षा 6-8 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वास्तविक छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[03] मॉडल स्कूल अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	6,190.00		
		3,427.20	3,427.20
पु.	- 2,762.80		..

₹ 2,762.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी ।

02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	22,085.86		
		19,178.75	18,136.68
पु.	- 2,907.11		- 1,042.07

31 मार्च 2025 को ₹ 2,907.11 लाख का प्रावधान विद्यालय में पदों के रिक्त रहने तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 1,042.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[07] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,393.70		
		5,310.53	5,310.53
पु.	- 1,083.17		..

₹ 1,083.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) गार्गी/बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू .	1,215.00	567.00	567.00
पु .	- 648.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 648.00 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत वास्तविक व्यय के कारण बालिका शिक्षा फाउंडेशन को अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(25) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू .	159.97
पु .	- 159.97		
31 मार्च 2025 को ₹ 159.97 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(26) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू .	278.00	92.66	92.66
पु .	- 185.34		
31 मार्च 2025 को ₹ 185.34 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) जनजाति क्षेत्र के बालकों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन सुविधा			
[01] जनजाति क्षेत्र के बालकों को राज्य के प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा			
मू .	2,730.02	1,616.91	1,616.91
पु .	- 1,113.11		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,113.11 लाख का प्रावधान जनजातीय क्षेत्रीय विभाग से हस्तान्तरित योजनाओं के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(30) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनांतर्गत (10वीं उत्तीर्ण) छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु			
[01] माध्यमिक शिक्षा			
मू.	3,360.36
पु.	- 3,360.36
31 मार्च 2025 को ₹ 3,360.36 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत स्कूटी वितरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(32) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस का पुनर्भरण			
मू.	967.75
पु.	- 967.75
31 मार्च 2025 को ₹ 967.75 लाख का समस्त प्रावधान आर्टीई बालक प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (आर.ए.जे.-सी.ई.एस.)			
[03] नवीन राजकीय महाविद्यालय (टी. एस.पी.)			
अ.	246.00
पु.	- 246.00
31 मार्च 2025 को ₹ 246.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	2,500.61	2,129.06	2,129.05
पु.	- 371.55		- 0.01
₹ 371.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	1,250.00	593.11	593.11
पु.	- 656.89		..
31 मार्च 2025 को ₹ 656.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू .	832.54	67.95	67.95
पु .	- 764.59		..
31 मार्च 2025 को ₹ 764.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	500.00
पु .	- 500.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान विभाग द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	915.00	390.00	390.00
पु .	- 525.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 525.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(14) जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	2,000.00	1,001.34	1,001.34
पु .	- 998.66		..
31 मार्च 2025 को ₹ 998.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(15) सहरिया जन जाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	340.00	170.40	170.40
पु .	- 169.60		..
31 मार्च 2025 को ₹ 169.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(17) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनांतर्गत (12 वीं उत्तीर्ण) छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु			
[01] कॉलेज शिक्षा			
मू .	16,488.88		
		2.43	
पु .	- 16,486.45	2.43	..
31 मार्च 2025 को ₹ 16,486.45 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) स्टेट यूथ महोत्सव			
[01] राजस्थान युवा बोर्ड			
मू .	150.00		
		..	
पु .	- 150.00
31 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) खेलो राजस्थान यूथ गेम्स			
[01] राजस्थान क्रीडा परिषद			
मू .	375.00		
		54.12	
पु .	- 320.88	54.12	..
31 मार्च 2025 को ₹ 320.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू .	11,236.18		
		9,632.24	
पु .	- 1,603.94	9,630.24	- 2.00
₹ 1,603.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	6,953.01	5,855.66	5,854.96
पु .	- 1,097.35		
			- 0.70

₹ 1,097.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
[01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू .	11,282.01	9,153.83	9,147.64
पु .	- 2,128.18		
			- 6.19

₹ 2,128.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	1,200.00	947.49	947.50
पु .	- 252.51		
			+0.01

₹ 252.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पीजी छात्रों के वजीफे एवं मंहगाई भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू .	3,395.41	2,575.99	2,575.98
पु .	- 819.42		
			- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 819.42 लाख का प्रावधान (i) यूटीवी में कार्यरत सहायक प्रोफेसर और अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा अवधि में समय पर विस्तार नहीं मिलने, (ii) अवकाश नकदीकरण आवेदन कम प्राप्त होने, (iii) समय पर मंहगाई भत्तों की घोषणा नहीं होने, (iv) 142 रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवा अवधि के विस्तार की स्वीकृति नहीं मिलने तथा (v) कम्प्यूटर हार्डवेयर विनिर्देशन हेतु अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] राजमेस अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	3,305.88	119.27	119.27
पु .	- 3,186.61		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,186.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(10) रेयर डिजीज ट्रीटमेंट योजना			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	375.00
पु .	- 375.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 375.00 लाख का समस्त प्रावधान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को योजना के हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(12) सुपर स्पेशियलिटी बलॉक			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	150.00
पु .	- 150.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(16) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान			
मू .	12,600.00	9,450.00	9,450.00
पु .	- 3,150.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,150.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(20) मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ			
मू .	27,395.00	20,635.00	20,635.00
पु .	- 6,760.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,760.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु परिवार कल्याण केन्द्र			
मू .	2,218.02	1,989.11	1,989.07
पु .	- 228.91		- 0.04
₹ 228.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उप केन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू .	12,137.01	10,320.53	10,320.03
पु .	- 1,816.48		- 0.50
31 मार्च 2025 को ₹ 1,816.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू .	470.00	156.67	156.67
पु .	- 313.33		..
31 मार्च 2025 को ₹ 313.33 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना			
मू .	3,490.00	5.66	5.66
पु .	- 3,484.34		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,484.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(14) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
[01] राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	1,363.11		
पु.	- 211.43		
₹ 211.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	1,151.68	1,149.03	- 2.65
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(16) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू.	693.00		
पु.	- 693.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 693.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(17) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) जयपुर			
मू.	5,390.00		
पु.	- 1,126.40		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,126.40 लाख का प्रावधान प्रोत्साहन राशि और मानदेय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	4,263.60	4,260.19	- 3.41
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[25] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (टी.एस.पी.)			
अ.	1,500.00		
पु.	- 1,500.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
मू.	2,426.40		
अ.	0.01		
पु.	- 2,169.09		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,169.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	257.32	257.32	..

		अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217.	शहरी विकास				
80.	सामान्य				
191.	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(50)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं				
[03]	मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)				
	मू .	2,224.00	511.17	511.17	..
	पु .	- 1,712.83			
80.	सामान्य				
191.	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(50)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं				
[06]	मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)				
	मू .	8,613.28	4,192.28	4,192.28	..
	पु .	- 4,421.00			
80.	सामान्य				
191.	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(50)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं				
[09]	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी एस पी)				
	मू .	856.08	502.16	502.16	..
	पु .	- 353.92			
80.	सामान्य				
191.	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(50)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं				
[12]	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)				
	मू .	1,283.61	753.22	753.22	..
	पु .	- 530.39			
80.	सामान्य				
191.	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(50)	केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं				
[18]	शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (टी एस पी)				
	मू .	156.00
	पु .	- 156.00			

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 7,174.14 लाख का प्रावधान योजना के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (टी एस पी)			
मू .	3,774.40	1,078.40	1,078.40
पु .	- 2,696.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,696.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(55) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (CAPACITY BUILDING)			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी एस पी)			
मू .	315.00
पु .	- 315.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 315.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(56) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई ई सी)			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी एस पी)			
मू .	629.00
पु .	- 629.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 629.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास- अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू .	9,705.60	1,675.77	1,675.77
अ .	0.01		..
पु .	- 8,029.84		..
31 मार्च 2025 को ₹ 8,029.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू .	7,299.27		
पु .	- 3,762.73	3,536.54	3,536.54
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[06] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू .	10,949.40		
पु .	- 5,644.60	5,304.80	5,304.80
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 9,407.33 लाख का प्रावधान योजना के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[09] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (टी.एस.पी.)			
मू .	372.00		
पु .	- 372.00
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[12] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू .	1,427.00		
पु .	- 1,427.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,799.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/ सुधार/पुनरुद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (टी.एस.पी.)			
मू .	5,661.60		
पु .	- 4,044.00	1,617.60	1,617.60
31 मार्च 2025 को ₹ 4,044.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(58) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (CAPACITY BUILDING)			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी.एस.पी.)			
मू .	445.00		
पु .	- 445.00
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(59) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई ई सी)			
[03] स्वायत्त शासन विभाग-(टी.एस.पी.)			
मू .	887.00		
पु .	- 887.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,332.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(62) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)			
[03] स्वायत्त शासन विभाग-(टी.एस.पी.)			
मू .	406.00		
पु .	- 162.40	243.60	243.60
31 मार्च 2025 को ₹ 162.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[07] मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार का आर टी आई डी एफ के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण-(टी.एस.पी.)			
मू.	7,075.00
पु.	- 7,075.00
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[08] ग्रीन टैक्स का आर टी आई डी एफ के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण-(टी.एस.पी.)			
मू.	4,843.00
पु.	- 4,843.00
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[09] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार का आर टी आई डी एफ के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण-(टी.एस.पी.)			
मू.	10,871.00
पु.	- 10,871.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 22,789.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सोशियल मिडिया एक्टिविटी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	187.00
पु.	- 187.00

31 मार्च 2025 को ₹ 187.00 लाख का समस्त प्रावधान विधानसभा चुनाव 2023-24 एवं लोकसभा चुनाव 2024-25 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सोशल मिडिया मॉड्यूल पर प्रचार गतिविधियों के बन्द होने तथा कार्यान्वयन एजेन्सी आरआईएसएल के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू .	4,004.00	771.98	771.98
पु .	- 3,232.02		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,232.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जनजाति के लिए सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	2,200.00	1,586.03	1,585.72
पु .	- 613.97		- 0.31
31 मार्च 2025 को ₹ 613.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) जन जाति उपयोगना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[16] जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान			
मू .	526.45
पु .	- 526.45		..
31 मार्च 2025 को ₹ 526.45 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति/निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू .	3,180.00	2,477.71	2,477.71
पु .	- 702.29		..
31 मार्च 2025 को ₹ 702.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[47] जनजाति विकास कोष अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन इत्यादि कार्यक्रम			
मू .	13,100.00	4,534.64	4,534.64
पु .	- 8,565.36		..
31 मार्च 2025 को ₹ 8,565.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[48] जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत अन्य कार्यक्रम			
मू.	900.80	267.73	267.73
पु.	- 633.07		..
31 मार्च 2025 को ₹ 633.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	1,598.37	1,050.26	1,050.26
पु.	- 548.11		..
₹ 548.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (ज.क.नि.)			
[04] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	1,646.42	1,387.70	1,387.70
पु.	- 258.72		..
₹ 258.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (ज.क.नि.)			
[18] सहरियाओं के लिए एकिकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	4,000.00	3,364.06	3,364.06
पु.	- 635.94		..
31 मार्च 2025 को ₹ 635.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[14] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य विविध कार्यक्रम			
मू.	1,050.00	100.00	100.00
पु.	- 950.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 950.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)			
[12] मां-बाडी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू. 1,100.00			
पु. - 273.52			
31 मार्च 2025 को ₹ 273.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(25) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
[01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम			
मू. 7,010.72			
पु. - 7,010.72			
31 मार्च 2025 को ₹ 7,010.72 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(28) जनजातीय क्षेत्रीय विकास की योजनाओं पर राज्यों का प्रशासनिक व्यय			
[01] केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के संचालन हेतु प्रशासनिक एवं मॉनिटरिंग संबंधी व्यय			
मू. 500.00			
पु. - 500.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू. 11,648.01			
पु. - 3,309.63			
31 मार्च 2025 को ₹ 3,309.63 लाख का प्रावधान कोषालय से बिल पारित होने के उपरान्त भी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
	826.48	826.48	..

	8,338.38	8,338.38	..

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू .	4,400.00		
	1,217.92	1,217.72	- 0.20
पु .	- 3,182.08		

31 मार्च 2025 को ₹ 3,182.08 लाख का प्रावधान राजश्री योजना की परिचालन अवधि 31.07.2024 को समाप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[44] स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस			
मू .	200.00		

पु .	- 200.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना समाप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी			
नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू .	7,000.00		
	3,055.65	3,055.64	- 0.01
पु .	- 3,944.35		

31 मार्च 2025 को ₹ 3,944.35 लाख का प्रावधान आरएमएससीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान क्रय आदेश चार तिमाहियों के बजाय एक तिमाही के लिए जारी करने तथा सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिये इंदिरा गांधी			
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू .	8,761.00		
	6,868.95	6,868.95	..
पु .	- 1,892.05		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,892.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू .	4,040.00		
पु .	- 645.47		
		3,394.53	3,394.53
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 645.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू .	1,13,000.00		
पु .	- 11,636.44		
		1,01,363.56	1,01,363.56
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 11,636.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू .	15,800.00		
पु .	- 5,294.15		
		10,505.85	10,505.85
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 5,294.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू .	4,800.00		
पु .	- 1,140.99		
		3,659.01	3,659.01
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,140.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) परित्यक्ता पेंशन योजना			
[03] परित्यक्ता पेंशन योजना-टी पी एस			
मू .	750.00
पु .	- 750.00
31 मार्च 2025 को ₹ 750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) विश्वकर्मा पेंशन योजना			
[03] विश्वकर्मा पेंशन योजना-टी पी एस			
मू .	750.00
पु .	750.00
31 मार्च 2025 को ₹ 750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग			
मू .	6,075.00	4,725.00	..
पु .	- 1,350.00	4,725.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,350.00 लाख का प्रावधान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा कम अनुमोदन जारी किये जाने के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत जमा खाते में कम निधियां हस्तान्तरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू .	23,000.00	19,151.67	..
पु .	- 3,848.33	19,151.67	..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,848.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू .	5,250.10		
		3,350.99	3,350.99
पु .	- 1,899.11		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,899.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[18] आंगन बाड़ी दुग्ध वितरण योजना			
मू .	1,000.00		
		35.78	35.78
पु .	- 964.22		..
31 मार्च 2025 को ₹ 964.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि से संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू .	6,740.00		
	
पु .	- 6,740.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,740.00 लाख का समस्त प्रावधान जिलो से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया (जुलाई 2025)।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	1,072.50		
		397.26	397.26
पु .	- 675.24		..
31 मार्च 2025 को ₹ 675.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू .	400.00	244.79	244.79
पु .	- 155.21		
31 मार्च 2025 को ₹ 155.21 लाख का प्रावधान भारत सरकार केन्द्रीय अंश कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[34] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज			
मू .	1,459.60	528.44	528.44
पु .	- 931.16		
31 मार्च 2025 को ₹ 931.16 लाख का प्रावधान (i) एसएनए को एसएनए स्पर्श से प्रतिस्थापित करने के कारण एसएनए में पिछले वर्ष की उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं होने,(ii) एसएनए स्पर्श के अन्तर्गत दूसरी मातृ स्वीकृति जारी नहीं होने तथा (iii) योजना घटक की मैपिंग के कारण भुगतान प्रक्रिया आरम्भ होने में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[35] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू .	805.00	580.55	580.56
पु .	- 224.45		
31 मार्च 2025 को ₹ 224.45 लाख का प्रावधान एस.एन.ए. स्पर्श के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(25) कृषि सूचना			
मू .	222.50	55.96	55.95
पु .	- 166.54		
31 मार्च 2025 को ₹ 166.54 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान संवाद (डी आई पी आर) द्वारा फर्मों के पैनल में विलम्ब होने, (ii) किसान महोत्सव बिल एवं अन्तिम भुगतान को अन्तिमिकरण नहीं देने तथा (iii) नयी वस्तुओं के लिए आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा मांग एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में आरआईएसएल को निधियां हस्तान्तरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना			
मू.	26,000.00	12,983.73	12,983.74
पु.	- 13,016.27		
31 मार्च 2025 को ₹ 13,016.27 लाख का प्रावधान (i) तीन गतिविधियों यस-टेक्नों विन्ड एवं एसपीएमयू के कार्यान्वयन में देरी, (ii) समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने एवं कुछ बिलों का ईसीएस नहीं होने तथा (iii) मानदेय पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,765.61 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 250.66 लाख) किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(41) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू.	454.50	261.68	261.67
पु.	- 192.82		
31 मार्च 2025 को ₹ 192.82 लाख का प्रावधान कोषालय में बिलों के ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) बागवानी तथा वनस्पति फसलें (उद्यान विभाग के माध्यम से)			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,200.00	949.53	949.53
पु.	- 250.47		
31 मार्च 2025 को ₹ 250.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) बागवानी तथा वनस्पति फसलें (उद्यान विभाग के माध्यम से)			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	6,000.00	4,317.05	4,317.05
पु.	- 1,682.95		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,682.95 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सौलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	4,500.00	2,464.65	2,462.89
पु.	- 2,035.35		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,035.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,102.50	598.51	598.51
पु.	- 503.99		
31 मार्च 2025 को ₹ 503.99 लाख का प्रावधान एसएनए स्पर्श में भुगतान प्रक्रिया प्रारम्भ होने में विलम्ब होने से केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(71) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	567.00	177.48	177.48
पु.	- 389.52		
31 मार्च 2025 को ₹ 389.52 लाख का प्रावधान एस.एन.ए.स्पर्श नवीन भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन में विलम्ब होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,394.80	377.52	377.52
पु.	- 1,017.28		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,017.28 लाख का प्रावधान (i) एस एन ए को एस एन ए स्पर्श से प्रतिस्थापित करने से एस एन ए में पिछले वर्ष की अव्यतित शेष राशि का उपयोग नहीं होने, (ii) एसएनए स्पर्श के अन्तर्गत द्वितीय मातृ स्वीकृति जारी नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iii) योजना घटक के मानचित्रण के कारण भुगतान प्रक्रिया विलम्ब से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(81) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान (एम आई एफ-नाबार्ड)			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	4,550.00	1,921.91	1,919.91
पु.	- 2,628.09		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,628.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(90) राजस्थान कृषि विकास योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	280.00
पु.	- 280.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 280.00 लाख का प्रावधान एस.एन.ए.स्पर्श नवीन भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन में विलम्ब होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	1,238.51	859.82	859.82
पु.	- 378.69		..
₹ 378.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः उपकरण/सामग्री/दवाओं का क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) पशुधन एवं पशुपालक बीमा			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	213.85
पु.	- 213.85
31 मार्च 2025 को ₹ 213.85 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट)			
मू.	1,356.12	811.04	811.04
पु.	- 545.08		..
31 मार्च 2025 को ₹ 545.08 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(30) गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,400.00
पु.	- 1,400.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(31) मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,049.99	400.00	400.00
पु.	- 649.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 649.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[03] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष			
8229-00-104-(02) में अन्तरण (टी एस पी)			
मू.	17,600.00	15,025.00	15,025.00
पु.	- 2,575.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,575.00 लाख का समस्त प्रावधानं निधियां हस्तांतरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2404. डेयरी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	19,000.00	15,844.99	15,844.99
पु.	- 3,155.01		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,155.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) वन संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,411.85	1,176.95	1,176.95
पु.	- 234.90		
₹ 234.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(24) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.बी.डी.पी.)			
[01] बाह्य सहायता (ए एफ डी)			
मू.	4,282.48	1,450.00	1,450.00
पु.	- 2,832.48		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,832.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू .	2,186.00		
पु .	- 1,794.20		
	391.80	391.80	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,794.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू .	6,240.00		
पु .	- 1,671.00		
	4,569.00	4,569.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,671.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू .	11,323.20		
पु .	- 7,241.54		
	4,081.66	4,081.66	..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,241.54 लाख का प्रावधान (i) नवम्बर 2024 के पश्चात एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन के कारण भारत सरकार से किश्त की राशि कम प्राप्त होने, (ii) भारत सरकार से नयी योजनाओं का अनुमोदन नहीं मिलने, (iii) संसदीय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य की धीमी प्रगति रहने तथा (iv) समय से पहले मानसून की बारिश आने के परिणामस्वरूप कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	12,367.00		
पु .	- 1,937.98		
	10,429.02	10,429.02	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,937.98 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अतिरिक्त किश्त देरी से प्राप्त होने से एसएनए बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[02] अनुदान			
मू .	2,297.10	530.24	530.24
पु .	- 1,766.86		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,766.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू .	71,335.12	37,951.62	37,951.62
पु .	- 33,383.50		..
31 मार्च 2025 को ₹ 33,383.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (य 25,968.28 लाख) तथा अभ्यर्पित (य 7,415.22 लाख) किया गया ।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	13,480.00	1,996.68	1,996.68
पु .	- 11,483.32		..
31 मार्च 2025 को ₹ 11,483.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	674.00	266.67	266.67
पु .	- 407.33		..
31 मार्च 2025 को ₹ 407.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	854.82		
		359.77	359.77
पु.	- 495.05		..
31 मार्च 2025 को ₹ 495.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,912.68		
		1,126.41	1,126.41
पु.	- 786.27		..
31 मार्च 2025 को ₹ 786.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(50) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)			
[02] पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	1,617.40		
		449.74	449.74
पु.	- 1,167.66		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,167.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,419.28		
		2,155.97	2,150.29
पु.	- 1,263.31		- 5.68
31 मार्च 2025 को ₹ 1,263.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	7,650.72	4,507.45	4,507.45
पु .	- 3,143.27		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,143.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	40,440.00	19,142.59	19,138.05
पु .	- 21,297.41		
31 मार्च 2025 को ₹ 21,297.41 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा य 4.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	12,822.30	5,412.71	5,411.66
पु .	- 7,409.59		
31 मार्च 2025 को ₹ 7,409.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	28,690.20	16,999.94	16,998.31
पु .	- 11,690.26		
31 मार्च 2025 को ₹ 11,690.26 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[03] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	700.00		
	
पु .	- 700.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 700.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2700. मुख्य सिंचाई			
39. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू .	731.13		
		31.12	31.12
पु .	- 700.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 700.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	49,014.70		
		37,340.00	37,340.00
पु .	- 11,674.70		..
31 मार्च 2025 को ₹ 11,674.70 लाख का प्रावधान विद्युत वितरण निगमों के लिए विगत वर्षों की बकाया टैरिफ सब्सिडी के संशोधित अनुमानों में कमी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,929.14 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 3,745.56 लाख) किया गया ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	61,931.24		
		39,088.17	39,088.17
पु .	- 22,843.07		..
31 मार्च 2025 को ₹ 22,843.07 लाख का प्रावधान विद्युत वितरण निगमों के लिए विगत वर्षों की बकाया टैरिफ सब्सिडी के संशोधित अनुमानों में कमी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	33,900.58	25,015.45	25,015.45
पु.	- 8,885.13		..
31 मार्च 2025 को ₹ 8,885.13 लाख का प्रावधान विद्युत वितरण निगमों के लिए विगत वर्षों की बकाया टैरिफ सब्सिडी के संशोधित अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(31) डा. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022			
[01] आयुक्त-उद्योग विभाग			
मू.	4,680.00	1,964.05	1,964.06 + 0.01
पु.	- 2,715.95		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,715.95 लाख का प्रावधान योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा अनुशंसित कुल आवंटित लक्ष्य 3262 आवेदनों में से वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा केवल 955 आवेदकों को ही ऋण वितरित किए जाने तथा कोषालय स्तर पर बिलों के ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	1,100.00	148.14	148.15 + 0.01
पु.	- 951.86		
31 मार्च 2025 को ₹ 951.86 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग नहीं लेने के कारण उत्सवों के प्रचार तथा किराये पर कम व्यय होने तथा (ii) पर्यटन विकास कोष से व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[03] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग-टीएसपी			
मू .	280.02
पु .	- 280.02

31 मार्च 2025 को ₹ 280.02 लाख का समस्त प्रावधान रियल फाउन्डेशन में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने, पदों का सृजन और प्रबन्ध निदेशक के चयन प्रक्रियाधीन पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[21] बैकएण्ड एण्ड न्यू प्रोजेक्ट्स			
मू .	670.87	229.96	229.96
पु .	- 440.91

31 मार्च 2025 को ₹ 440.91 लाख का प्रावधान गत वर्ष की हस्तान्तरित राशि का उपयोग नहीं होने तथा आईएचएमएस 1.0 की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण आईएचएमएस 2.0 एवं एआईओटी लैब के लिए संशोधित अनुमानों में कोई प्रावधान नहीं करने तथा यह परियोजनाएं अन्य परियोजनाओं की तरह ही बैकएण्ड एवं नवीन परियोजना के अन्तर्गत संचालित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] जी आई एस			
मू .	532.00	347.00	347.00
पु .	- 185.00

31 मार्च 2025 को ₹ 185.00 लाख का प्रावधान (i) जी.आई.एस. परियोजना के अन्तर्गत 3 डी सिटी परियोजना (कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर) तथा (ii) इमेजनरी खरीद बेसमेप अद्यतन के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू .	581.00
पु .	- 581.00

31 मार्च 2025 को ₹ 581.00 लाख का समस्त प्रावधान कॉल सेन्टर पर कॉल वॉल्यूम घटने के कारण 1300 सीटों के स्थान पर 600-700 सीटों ही संचालित होने से कार्यकारी एजेन्सी के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,262.00	1,083.99	1,083.99
पु.	- 178.01		..

31 मार्च 2025 को ₹ 178.01 लाख का प्रावधान हार्डवेयर की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
[01] निदेशन और प्रशासन

मू.	1,010.60	847.91	847.92	+ 0.01
पु.	- 162.69			

31 मार्च 2025 को ₹ 162.69 लाख का प्रावधान (i) कर्मचारियों के स्थानांतरण होने से रिक्त रहे पदों के कारण वेतन और भत्ते पर कम व्यय होने तथा (ii) ग्रुप-डी कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध सभी ब्लॉकों में होमगार्ड की अनुपलब्धता के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(06) राजस्थान जन आधार योजना
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

मू.	688.00	0.29	0.29	..
पु.	- 687.71			

31 मार्च 2025 को ₹ 687.71 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के व्यक्तिगत जमा खाते में वर्ष 2023-24 की उपलब्ध राशि के उपयोग होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(15) ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	350.00	27.44	27.44	..
पु.	- 322.56			

31 मार्च 2025 को ₹ 322.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी को सरकारी भूमि रिकार्ड, हेल्थ रिकार्ड में लागू करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा इस संदर्भ में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) एवं आई आई टी कानपुर के एम.ओ.यू.(समझौता ज्ञापन) किया गया लेकिन आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	195.01	45.00	45.00
पु .	- 150.01		
			..

दो चरणों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किया जाना था, प्रथम चरण में उपरोक्त जिलों में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्र में मौजूदा सुविधाओं में परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाना था और द्वितीय चरण में इन चारों जिलों में नई सुविधा सहित भवनों में एआईएसए स्थापित किये जाने थे, लेकिन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार केवल प्रथम चरण हेतु प्रावधान करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को ₹ 150.01 लाख अभ्यर्पित किये गये ।

- 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (24) राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांसड टेक्नोलोजी
- [01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू .	420.00	203.70	203.70
पु .	- 216.30		
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 216.30 लाख का प्रावधान आर-केट में पूर्ण स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्ते, अन्य प्रशासनिक व्यय, बिजली-पानी व्यय, विधि कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

- 3456. सिविल पूर्ति
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
- [02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना

मू .	2,348.01	1,702.34	1,701.91	- 0.43
पु .	- 645.67			

31 मार्च 2025 को ₹ 645.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
- [03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू .	6,691.00	4,618.02	4,617.82	- 0.20
पु .	- 2,072.98			

31 मार्च 2025 को ₹ 2,072.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना			
[01] गैस सिलेण्डर-टी एस पी			
मू .	15,000.00	9,754.85	9,684.69
पु .	- 5,245.15		
31 मार्च 2025 को ₹ 5,245.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राजस्थान कृषक समर्थन योजना			
[01] खाद्यान्न क्रय समर्थन			
मू .	3,400.00	2,067.33	2,067.33
पु .	- 1,332.67		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,332.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	172.00
पु .	- 172.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 172.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	400.00
पु .	- 400.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू .	4,050.00	2,696.00	2,696.00
पु .	- 1,354.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,354.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (उद्योग विभाग)			
[02] पूंजी अनुदान			
मू .	200.00		
पु .	200.00		
	400.00	400.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत दायित्वों में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (उद्योग विभाग)			
[03] निवेश अनुदान			
मू .	7,800.00		
पु .	4,200.00		
	12,000.00	12,000.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,200.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के अन्तर्गत दायित्वों में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2022 (उद्योग)			
[04] ब्याज अनुदान			
मू .	150.00		
पु .	350.00		
	500.00	500.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत दायित्वों में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2022 (उद्योग)			
[05] पूंजी अनुदान-विविध			
मू .	0.01		
पु .	659.99		
	660.00	660.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 659.99 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत दायित्वों में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2048. ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ऋण घटाने या उनका परिहार करने हेतु 8222-101 निक्षेप निधि को अन्तरण			
मू .	10,000.00		
पु .	13,451.07		
	23,451.07	23,451.07	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,451.07 लाख की अतिरिक्त निधियां नव निर्मित समेकित निक्षेप निधि में राशि स्थानान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/संस्थापन			
[03] माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू .	12,600.00		
पु .	1,340.90		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,340.90 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू .	75,034.83		
पु .	16,488.63		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,488.63 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्यालय में पदों के भरे जाने एवं यात्रा भत्ते के बकाया दावों का भुगतान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू .	5,335.34		
पु .	1,012.67		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,012.67 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्यालय में पदों के भरे जाने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को साईकिल वितरण			
मू .	3,034.44		
पु .	1,362.50		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,362.50 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क साईकिल वितरण योजना के अन्तर्गत गत वर्षों के लम्बित दावों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
		13,940.90	13,940.90
		91,523.46	91,522.33
		6,348.01	6,348.01
		4,396.94	4,396.94
			..
			..
			- 1.13
			..

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) लेपटोप वितरण			
मू .	0.01		
पु .	955.36	955.37	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 955.36 लाख की अतिरिक्त निधियां टेबलेट क्रय के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(34) यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग हेतु सहायता			
[01] कक्षा 9 से 12 की छात्राओं हेतु			
मू .	0.01		
पु .	1,399.99	1,400.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,399.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कक्षा 9 से 12 की प्रत्येक छात्रा को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से स्कूल बैग एवं यूनिफॉर्म के लिए ₹ 800.00 के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू .	1,685.00		
पु .	424.20	2,109.20	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 424.20 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत तथा तदनुसार राज्यांश स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू .	1,180.69		
पु .	789.46	1,970.15	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 789.46 लाख की अतिरिक्त निधिया छात्रवृत्ति और वजीफे पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू .	2,500.00	2,861.06	2,861.06
पु .	361.06		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 361.06 लाख की अतिरिक्त निधिया वरिष्ठ/कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की अपेक्षित नियुक्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू .	9,928.00	11,214.00	11,214.00
पु .	1,286.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,286.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(14) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू .	7,605.00	14,605.00	14,605.00
पु .	7,000.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021			
[01] राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू .	39,000.00	44,000.00	44,000.00
पु .	5,000.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से अधिक दावें प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	33,633.00		
पु.	8,637.00	42,270.00	42,270.00
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,637.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड- (टी.एस.पी.)			
मू.	450.00		
पु.	714.32	1,164.32	1,164.32
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 714.32 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) पीएम-ई बस सेवा (इंफ्रा-स्टेक्चर)			
[03] डिपो आधारभूत संरचना- (टी.एस.पी.)			
मू.	0.02		
पु.	194.98	195.00	195.00
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 194.98 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(05) पीएम-ई बस सेवा (बीटीएम इंफ्रा)			
[03] बीटीएम-उर्जा आधारभूत संरचना- (टी.एस.पी.)			
अ.	0.01		
पु.	482.99	483.00	483.00
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 482.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	5,178.00		
पु.	4,930.97	10,108.97	10,108.97
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,930.97 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू .	701.00	2,513.36	2,513.36
पु .	1,812.36		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,812.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू .	647.00	2,319.75	2,319.75
पु .	1,672.75		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,672.75 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू .	1,348.00	4,833.12	4,833.12
पु .	3,485.12		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,485.12 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू .	30,500.00	35,833.33	35,833.33
पु .	5,333.33		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,333.33 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	1,050.00	2,054.54	2,054.54
पु .	1,004.54		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,004.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू .	1,010.00	1,300.00	1,300.00
पु .	290.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[41] लाडो प्रोत्साहन योजना-टीएसपी			
मू .	1,500.00	1,900.00	1,900.00
पु .	400.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			..
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	290.00	450.00	450.00
पु .	160.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 160.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पीड़ित प्रतिकर योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू .	540.00	755.96	754.46
पु .	215.96		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 215.96 लाख की अतिरिक्त निधियां पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			- 1.50

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[03] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)- [01]			
में अन्तरण-(टीएसपी)			
मू .	6,740.00	10,000.00	10,000.00
पु .	3,260.00		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,260.00 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में उपयोग हेतु निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू .	700.00	1,400.00	1,400.00
पु .	700.00		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि एवं अन्य व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[16] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू .	300.00	896.75	896.75
पु .	596.75		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 596.75 लाख की अतिरिक्त निधियां बढी हुई दरों पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं छात्राओं से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू .	15,600.00	17,314.37	17,314.35
पु .	1,714.37		- 0.02

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,714.37 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू .	4,212.00		
पु .	708.00		
	4,920.00	4,920.00	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 708.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(38) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान			
मू .	144.01		
पु .	295.19		
	439.20	439.20	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 295.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	2,696.00		
पु .	1,025.14		
	3,721.14	3,721.14	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,025.14 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(48) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	0.02		
पु .	11,570.73		
	11,570.75	11,570.75	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,570.73 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(49) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना			
[01] आदिम जनजाति को सहायता			
मू .	10,000.00		
		27,647.50	27,647.50
पु .	17,647.50		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,647.50 लाख की अतिरिक्त निधिया भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां
(अनुसूचित जनजातियों के लिए)

मू .	10,784.00		
		14,884.56	14,884.56
पु .	4,100.56		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,100.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

2801. बिजली
80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता

मू .	63,787.40		
		87,719.44	87,719.44
पु .	23,932.04		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,932.04 लाख की अतिरिक्त निधियां संशोधित अनुमान में टैरिफ सब्सिडी में अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुपात में परिवर्तन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू .	1,583.96		
		2,033.76	2,033.76
पु .	449.80		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 449.80 लाख की अतिरिक्त निधियां अजमेर विद्युत् वितरण निगम की मांग के अनुसार संशोधित अनुमानों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
		2,752.40	2,752.40
पु.	2,752.39		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,752.39 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उद्यार सीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घाटे की 90 प्रतिशत राशि वहन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
अ.	19,571.40	34,791.82	34,791.82
पु.	15,220.41		..
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत् वितरण कम्पनियों के घाटे की पूर्ति हेतु ₹ 19,571.40 लाख का प्रावधान लिया गया ।			
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,220.41 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उद्यार सीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घाटे की 90 प्रतिशत राशि वहन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
3054. सडक तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सडके			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सडके, ब्रिज तथा पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि से संचालित योजनाएँ			
मू.	0.01		
		1,300.00	1,300.00
पु.	1,299.99		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,299.99 लाख की अतिरिक्त निधिया भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सडक एवं आधारभूत निधि को अन्तरण (100 प्रतिशत केन्द्र)			
[06] केन्द्रीय सडक एवं आधारभूत निधि के बजट शीर्ष 8449-00-103 में अन्तरण-टी एस पी			
मू.	13,480.00		
		15,907.59	15,907.59
पु.	2,427.59		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,427.59 लाख की अतिरिक्त निधियां,निधि में हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़के			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100 प्रतिशत केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	459.09		
		1,657.55	.. - 1,657.55
पु.	1,198.46		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,198.46 लाख की अतिरिक्त निधियां रखरखाव एवं मरम्मत हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,657.55 लाख की अन्तिम बचत विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,59,823.77 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 6,311.76 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹ 1,27,929.14 लाख, ₹ 66,786.18 लाख, ₹ 2,68,489.45 लाख, ₹ 2,24,019.63 लाख तथा ₹ 2,59,823.77 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.34 प्रतिशत से 42.25 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	750.00		
	
पु.	- 750.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 750.00 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
- (02) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा विभाग)
- [01] भवन निर्माण

मू.	289.00		
	
पु.	- 289.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 289.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी एजेन्सी आरडीआरडीसी द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (पीएमएफ एण्ड टी आई) के निर्माण हेतु निधियां हस्तान्तरित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	1,000.00	200.00	200.00
पु.	- 800.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 800.00 लाख का प्रावधान निविदा/आदेश जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं कुछ कार्यों के लिए निविदादाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	300.01	50.00	50.00
पु.	- 250.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 250.01 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	3,291.00	1,309.56	1,309.56
पु.	- 1,981.44		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,981.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)			
मू.	674.00	295.87	295.87
पु.	- 378.13		..
31 मार्च 2025 को ₹ 378.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) सामान्य प्रशासनिक भवन निर्माण			
[0] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	2,700.00	39.03	39.03
पु.	- 2,660.97		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,660.97 लाख का प्रावधान गत वर्ष प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति माँड़यूल के माध्यम से स्वीकृति के विरुद्ध कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) कालेज शिक्षा			
90 निर्माण कार्य			
मू .	1,500.00	537.00	537.00
पु .	- 963.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 963.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू .	1,339.36	80.00	..
पु .	- 1,259.36		- 80.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,259.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा य 80.00 लाख के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य पर व्यय			
मू .	4,155.00	2,985.96	2,985.96
पु .	- 1,169.04		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,169.04 लाख का प्रावधान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में दी गयी स्वीकृति के विरुद्ध कम राशि जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू .	4,225.00	452.18	452.18
पु .	- 3,772.82		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,772.82 लाख का समस्त प्रावधान (i) भारत सरकार से प्राप्त स्टार्स योजना की द्वितीय किश्त को राज्य सरकार द्वारा एसएनए (सिंगल नोडल एजेन्सी) को हस्तान्तरित नहीं करने तथा (ii) समग्र शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में दी गयी स्वीकृति के विरुद्ध कम राशि जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू .	11,413.00	8,405.29	8,405.29
पु .	- 3,007.71		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,007.71 लाख का प्रावधान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(25) पी.एम. श्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय			
मू .	2,951.13	1,927.44	1,927.44
पु .	- 1,023.69		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,023.69 लाख का प्रावधान पी एम श्री योजना को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) पोलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन (अपग्रेडेशन), सुदृढीकरण, एवं संबंलीकरण			
[01] राजस्थान इंस्टीचूट ऑफ टेक्नोलॉजी			
मू .	375.00
पु .	- 375.00
31 मार्च 2025 को ₹ 375.00 लाख का समस्त प्रावधान पॉलिटैक्निक कॉलेजों के उन्नयन, सुदृढीकरण एवं संबद्धता हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू .	1,400.01	600.00	600.00
पु .	- 800.01		

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना			
[01] महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण			
मू .	300.00
पु .	- 300.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,100.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

04. कला तथा संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) आर्मड फोर्स म्युजियम			
[01] पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से			
मू .	750.00
पु .	- 750.00

31 मार्च 2025 को ₹ 750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) निर्माण कार्य- आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू	808.80
पु .	- 808.80

31 मार्च 2025 को ₹ 808.80 लाख का समस्त प्रावधान आयुर्वेद विभाग के अन्य शीर्ष को निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू	6,239.00	3,571.72	3,571.72
पु .	- 2,667.28		..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,667.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	1,704.03		
		1,258.97	1,258.97
पु .	- 445.06		..
₹ 445.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भुगतान के ईसीएस नहीं होने, (ii) वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपकरणों के लिए निविदाओं का अन्तिमीकरण नहीं करने तथा (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा व्यय नहीं करने को आरोपित की गयी ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू .	1,025.54		
		560.92	560.92
पु .	- 464.62		..
31 मार्च 2025 को ₹ 464.62 लाख का प्रावधान (i) एस आर छात्रावास के कार्य की धीमी प्रगती तथा मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने, (ii) नवीन एस आर छात्रावास के बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं होने तथा (iii) प्रशासनिक भवन में लिफ्ट कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू .	1,450.00		
		547.62	547.62
पु .	- 902.38		..
31 मार्च 2025 को ₹ 902.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू .	500.00		
		116.45	116.45
पु .	- 383.55		..
31 मार्च 2025 को ₹ 383.55 लाख का प्रावधान मशीनरी तथा उपकरणों, आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू .	2,283.00		
पु .	- 303.52	1,979.48	1,979.47 - 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 303.52 लाख का प्रावधान (i) डेंटल कॉलेज के लिए कार्यकारी अभिकरण को निधियां हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) मशीनरी और उपकरणों के प्रावधान का कम उपयोग होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू .	2,211.11		
पु .	- 2,093.78	117.33	116.89 - 0.44
31 मार्च 2025 को ₹ 2,093.78 लाख का प्रावधान निदेशक, चिकित्सा शिक्षा से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	822.64		
पु .	- 372.24	450.40	450.40 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 372.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने एवं तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपकरणों की खरीद के लिए निविदा का अन्तिमीकरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	170.00		
पु .	- 170.00
31 मार्च 2025 को ₹ 170.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	359.08	200.00	200.00
पु .	- 159.08		
31 मार्च 2025 को ₹ 159.08 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं करने तथा नवीन कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू .	3,595.02	3,040.35	3,040.35
पु .	- 554.67		
31 मार्च 2025 को ₹ 554.67 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	1,373.25	723.99	723.99
पु .	- 649.26		
31 मार्च 2025 को ₹ 649.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	1,150.00	249.00	249.00
पु .	- 901.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 901.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,435.00		
पु .	- 1,215.00	220.00	220.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,215.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	2,572.65		
पु .	- 480.00	2,092.65	2,092.65
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 480.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,300.00		
पु .	- 517.00	783.00	783.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 517.00 लाख का प्रावधान शाख सीमा की कम स्वीकृति के परिणामस्वरूप नवनिर्मित पीजी छात्रावास के कार्य की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	4,407.00		
पु .	- 1,356.98	3,050.02	3,050.02
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,356.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	16,254.00	12,218.43	12,218.43
पु .	- 4,035.57		..
₹ 4,035.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	1,600.00	400.00	389.95
पु .	- 1,200.00		- 10.05
31 मार्च 2025 को ₹ 1,200.00 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के निर्माण पर कम व्यय होने तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के लिए चरण-2 के उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 10.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
मू .	11,419.43	7,034.86	7,028.96
पु .	- 4,384.57		- 5.90
31 मार्च 2025 को ₹ 4,384.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 5.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	237.00	22.99	22.99
पु .	- 214.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 214.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	2,443.08	814.08	814.08
पु .	- 1,629.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,629.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[76] माही बांध से जिला बांसवाडा के सज्जनगढ एवं कुशलगढ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	319.08	18.99	18.99
पु .	- 300.09		..
31 मार्च 2025 को ₹ 300.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	13,011.00	8,106.12	8,105.82
पु .	- 4,904.88		- 0.30
31 मार्च 2025 को ₹ 4,904.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[04] जवाई पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू .	18,401.02	8,809.87	8,809.87
पु .	- 9,591.15		..
31 मार्च 2025 को ₹ 9,591.15 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	400.00	90.31	90.31
पु .	- 309.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 309.69 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	170.00
पु .	-170.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 170.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[62] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू .	1,786.93		
पु .	- 425.84	1,361.09	1,361.09

31 मार्च 2025 को ₹ 425.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बारां, झालावाड़, कोटा (शहरी भाग)			
मू .	496.83
पु .	- 496.83

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू .	855.79
पु .	- 855.79

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,352.62 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[78] देवास जल प्रदाय योजना-तृतीय एवं चतुर्थ (शहरी)			
मू .	2,248.61	331.10	331.10
पु .	- 1,917.51		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,917.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[08] कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर जवाजा			
मू .	195.01
पु .	- 195.01

31 मार्च 2025 को ₹ 195.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना (नाबाई)			
मू .	270.01	12.02	12.02
पु .	- 257.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 257.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	270.01
पु .	- 270.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 270.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई कलस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू .	0.02	..	-205.92
पु .	- 0.02		-205.92
बिलों से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की कटौति करके सरकारी खाते में जमा कराने के परिणामस्वरूप मद के अन्तर्गत ₹ 205.92 लाख ऋणात्मक व्यय प्रदर्शित हो रहा है।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	780.01	20.81	20.81
पु .	- 759.20		..
31 मार्च 2025 को ₹ 759.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	156.01
पु .	- 156.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 156.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[29] पाली जिले के सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई जी एन पी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू .	202.01		
		202.00	35.06
			- 166.94
पु .	- 0.01		
₹ 166.94 लाख की अंतिम बचत फर्म से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली के कारण रही ।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य आवासीय भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	340.00		
		73.68	73.68
			..
पु .	- 266.32		
31 मार्च 2025 को ₹ 266.32 लाख का प्रावधान गत वर्ष की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति माँड़यूल के माध्यम से जारी स्वीकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू .	270.00		
		80.88	80.88
			..
पु .	- 189.12		
31 मार्च 2025 को ₹ 189.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	2,696.00		
		1,511.02	1,511.02
			..
पु .	- 1,184.98		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,184.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू .	2,700.00	1,052.72	1,052.72
पु .	- 1,647.28		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,647.28 लाख का प्रावधान (i) श्रीगंगानगर शहर में सीवरेज और जलापूर्ति कार्यों के लिए तृतीय चरण के परियोजना ऋण में कम व्यय होने, (ii) भीलवाडा सीवरेज कार्यों के लिए वित्त विभाग स्तर पर कोषालय द्वारा पारित बिलों का ईसीएस नहीं होने, (iii) परियोजना दौरे के अन्तर्गत पाली, झुंझुनू एवं भीलवाडा के कार्यों के लिए समय विस्तार मामलों को अन्तिमिकरण नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iv) वर्ष 2024-25 में टोंक के कार्यों के समय विस्तार मामलों में देरी से अन्तिमिकरण से कार्य बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[02] चतुर्थ चरण (ई ए पी)			
मू .	7,886.00	5,270.36	5,270.36
पु .	- 2,615.64		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,615.64 लाख का प्रावधान (i) ठेकेदार द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति से 12 कार्य अधूरे रहने के परिणामस्वरूप सीवरेज और जलापूर्ति परियोजना के चालू होने के लिए रोकੀ गयी 20 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं होने, (ii) खेतडी और आबूरोड में विभिन्न कारणों से कार्यों पर कम व्यय होने, (iii) शाहपुरा में मल-जल उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यय नहीं हो पाने तथा (iv) कोषालय द्वारा पारित बिलों का वित्त विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[03] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रेच-द्वितीय (ई ए पी)			
मू .	6,542.00	5,300.00	5,300.00
पु .	- 1,242.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,242.00 लाख का प्रावधान (i) भूमि आवंटन में देरी एवं वन विभाग, रेलवे, एनएचआई से अनुमति तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल आवंटन में विलम्ब के कारण चतुर्थ चरण के द्वितीय फेज में विभिन्न बाधाओं के कारण कार्यों की धीमी प्रगति होने, (ii) जोधपुर में एसटीपी और भरतपुर में शालिग्राम कुण्ड के सौंदर्यीकरण पर अदालती स्थगन आदेश तथा अन्य कारणों से कार्य की धीमी प्रगति होने तथा (iii) जोधपुर सीवरेज कार्यों में ₹ 8.50 करोड जमा करने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(10) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	8,202.00	1,349.40	1,349.40
पु .	- 6,852.60		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,852.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	53,677.00		
पु .	- 45,699.89	7,977.11	7,977.11
31 मार्च 2025 को ₹ 45,699.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 33,278.64 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,421.25 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (एसडब्ल्यूएम)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	3,461.00		
पु .	- 3,084.30	376.70	376.70
31 मार्च 2025 को ₹ 3,084.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (IIHL,CT/PT,URINALS)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	432.00		
पु .	- 432.00
31 मार्च 2025 को ₹ 432.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,500.00	500.00	500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू .	200.00
पु .	-200.00
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू .	2,200.00	533.00	..
पु .	- 1,667.00	533.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,667.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू .	350.00
पु .	- 350.00

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[20] धारा 275(1) अन्तर्गत मां बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू .	600.00
पु .	- 600.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[22] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य पूंजीगत कार्यक्रम			
मू .	1,600.00
पु .	- 1,600.00
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 3,550.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[10] कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण मय जनरेटर सेट			
मू .	240.00	18.66	18.66
पु .	- 221.34
31 मार्च 2025 को ₹ 221.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[23] छात्रावास भवनों में सोलर लाईट व पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण			
मू .	815.00
पु .	- 815.00
31 मार्च 2025 को ₹ 815.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[28] धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य			
मू. 750.00	238.12	238.12	..
पु. - 511.88			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[32] सड़क एवं पुलिया निर्माण			
मू. 1,000.00	592.84	592.84	..
पु. - 407.16			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[34] जनजाति विकास कोष अंतर्गत जनजाति भागीदारी योजना से आधारभूत सुविधाओं का विकास			
मू. 5,000.00	3,081.23	3,081.23	..
पु. - 1,918.77			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 2,837.81 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[35] जनजाति विकास कोष अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना			
मू. 200.00
पु. - 200.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(29) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
[01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत आधारभूत सुविधाओं का विकास			
मू. 10,516.08
पु. - 10,516.08			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(30) विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूहों का विकास			
[01] पीवीटीजी विकास अन्तर्गत आधारभूत विकास के कार्यक्रम			

मू. 867.37

पु. - 867.37

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 11,383.45 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(36) गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्रिय विकास योजना			
[01] जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग			

मू. 2,500.00

पु. - 2,500.00

31 मार्च 2025 को ₹ 2,500.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			

मू. 300.00

पु. - 300.00

31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनवाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			

मू. 237.19

पु. - 237.19

31 मार्च 2025 को ₹ 237.19 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	800.00	170.05	170.05
पु.	- 629.95		..
31 मार्च 2025 को ₹ 629.95 लाख का प्रावधान (i) कोषालय द्वारा ईसीएस के माध्यम से बिलों का प्रक्रियाधीन नहीं होने, (ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद क्रय आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति बिलों की प्राप्ति होने, (iii) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में कुछ क्रय आदेशों के विरुद्ध दायर याचिकाओं के तहत आगे की कार्यवाही में स्थगन/निषेध होने, (iv) कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरणों के क्रय के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने तथा (v) अनुमानित दरों से सफल बोलियों पर कम दरें प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	700.00	430.73	430.73
पु.	- 269.27		..
31 मार्च 2025 को ₹ 269.27 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य निष्पादित नहीं कराए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	472.50	230.92	230.92
पु.	- 241.58		..
31 मार्च 2025 को ₹ 241.58 लाख का प्रावधान आरकेवीवाई-डीपीआर योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु एसएनए-स्पर्श के माध्यम से निर्माण एजेन्सी को अग्रिम राशि हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (06) नंदीशाला योजना [01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना	मू. 2,000.00 पु. - 1,373.00	627.00	627.00 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,373.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 01. वानिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) परिभ्रांशित वनों का पुनराारोपण	मू. 2,235.96 पु. - 527.29	1,708.67	1,708.40 - 0.27
31 मार्च 2025 को ₹ 527.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) ईको टूरिज्म लवकुश वाटिका [01] वन विभाग के माध्यम से	मू. 750.00 पु. - 279.60	470.40	470.40 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 279.60 लाख का प्रावधान लघु कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (11) निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से [01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु	मू. 249.51 पु. - 228.43	21.08	10.95 - 10.13
31 मार्च 2025 को ₹ 228.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। ₹ 10.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 01. डोंग जिले 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु [01] डोंग क्षेत्र का विकास	मू. 548.80 पु. - 202.80	346.00	346.00 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 202.80 लाख का प्रावधान लघु कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू .	548.80		
		345.00	345.00
पु .	- 203.80		..

31 मार्च 2025 को ₹ 203.80 लाख का प्रावधान लघु कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. पिछड़े क्षेत्र
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु
[02] मगरा क्षेत्र का विकास

मू .	548.80		
		347.90	347.90
पु .	- 200.90		..

31 मार्च 2025 को ₹ 200.90 लाख का प्रावधान लघु कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. पिछड़े क्षेत्र
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) बृज क्षेत्रीय विकास योजना
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु

मू .	280.00		
	
पु .	- 280.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 280.00 लाख का समस्त प्रावधान बृज क्षेत्रीय विकास योजना के लिए दिशा-निर्देशों और क्षेत्र निर्धारण की प्रक्रियाधीन होने के परिणामस्वरूप योजना के अन्तर्गत निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना
[01] आधारभूत कार्यों हेतु

मू .	2,500.00		
	
पु .	- 2,500.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,500.00 लाख का समस्त प्रावधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के लिए दिशा-निर्देशों और क्षेत्र निर्धारण की प्रक्रियाधीन होने के परिणामस्वरूप योजना के अन्तर्गत निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[03] दाईं मुख्य नहर-आर. आई. डी. एफ. XXII			
मू .	360.00		
		148.01	148.01
पु .	- 211.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 211.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	10,499.99		
		7,604.72	7,604.72
पु .	- 2,895.27		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,895.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	2,100.00		
		650.38	650.38
पु .	- 1,449.62		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,449.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	2,100.00		
		1,266.97	1,266.97
पु .	- 833.03		..
31 मार्च 2025 को ₹ 833.03 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
मू .	2,800.00		
	
पु .	- 2,800.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,800.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
45. अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डैम (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	55,000.00	28,790.78	28,790.78
पु .	- 26,209.22		
31 मार्च 2025 को ₹ 26,209.22 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	3,850.00	2,186.25	2,186.25
पु .	- 1,663.75		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,663.75 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरीया			
मू .	9,800.00	5,027.01	5,027.02
पु .	- 4,772.99		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,772.99 लाख का प्रावधान नहरों के निर्माण कार्यों पर कम व्यय और परियोजना के अन्य घटक जैसे किसानों के प्रशिक्षण/भ्रमण एवं सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत सौर पम्प आवंटन तथा परामर्श में धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			+ 0.01
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	2,100.00	263.70	263.70
पु .	- 1,836.30		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,836.30 लाख का प्रावधान (i) वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने के कारण कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण कार्यों के प्रारम्भ नहीं होने, (ii) पार्वती और छापी बांध के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी.एस.टी.) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से मिलने, (iii) माही बांध का जीएसटी मामला केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित रहने तथा (iv) कोषालय द्वारा बिलों के पारित होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रणाली (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..

अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रैक्चर			
मू .	21,893.88	15,978.23	15,987.14
पु .	- 5,915.65		
31 मार्च 2025 को ₹ 5,915.65 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.91 लाख की अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रैक्चर नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू .	450.00	148.24	148.24
पु .	- 301.76		
31 मार्च 2025 को ₹ 301.76 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[05] आधुनिकीकरण/ उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू .	595.00	5.47	5.47
पु .	- 589.53		
31 मार्च 2025 को ₹ 589.53 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण, नवीनीकरण (टी.एस.पी.)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू .	1,680.00	839.84	839.84
पु .	- 840.16		
31 मार्च 2025 को ₹ 840.16 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू .	2,730.00	1,279.80	1,279.80
पु .	- 1,450.20		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,450.20 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(15) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य			
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू .	6,626.00		
पु .	- 912.73	5,713.27	5,713.27
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 912.73 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	3,500.00		
पु .	- 3,500.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान वापस लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	3,363.36		
पु .	- 3,363.36
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,363.36 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान वापस लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	4,907.41		
पु .	- 4,907.41
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	4,879.55		
पु .	- 4,879.55
			..

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	4,025.00
पु .	- 4,025.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 13,811.96 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान वापस लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4802 . पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[03] रिफायनरी-टी.एस.पी.			
मू .	33,645.00
पु .	- 33,645.00
31 मार्च 2025 को ₹ 33,645.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) रिफायनरी एरिया पचपदरा में नमक खान			
धारकों को मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
[02] उद्योग विभाग			
मू .	164.96
पु .	- 164.96
31 मार्च 2025 को ₹ 164.96 लाख का समस्त प्रावधान डीडवाना और पचपदरा का कार्य उद्योग (ग्रुप-1) विभाग को हस्तान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
[01] सड़क निर्माण कार्य			
मू .	6,353.00	5,549.82	- 5,549.82
पु .	- 803.18
31 मार्च 2025 को ₹ 803.18 लाख का प्रावधान केन्द्रीय अंश की कम राशि जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5,549.82 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) भूमि आवासि का भुगतान			
मू.	215.68	17.81	17.81
पु.	- 197.87		..
31 मार्च 2025 को ₹ 197.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(17) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[01] योजना में स्वीकृत कार्यों के लिए भूमि अवासि			
मू.	2,022.00	1,661.14	1,661.14
पु.	- 360.86		..
31 मार्च 2025 को ₹ 360.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,617.60	232.73	232.30
पु.	- 1,384.87		- 0.43
31 मार्च 2025 को ₹ 1,384.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	9,948.24	3,367.82	3,367.82
पु.	- 6,580.42		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,580.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
01. पर्यटन आधारभूत संरचना			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) राजस्थान पर्यटन संरचना एवं क्षमता विकास			
[01] पर्यटन विभाग			
मू.	150.00
पु.	- 150.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू .	2,044.15		
		130.00	72.16
पु .	- 1,914.15		- 57.84

31 मार्च 2025 को ₹ 1,914.15 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारी अभिकरण से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 57.84 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू .	1,026.50		
	
पु .	- 1,026.50		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,026.50 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारी अभिकरण से आदिवासी मंदिर संरक्षण मिशन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू	220.76		
		18.00	18.00
पु .	- 202.76		..

31 मार्च 2025 को ₹ 202.76 लाख का प्रावधान बैकएण्ड नवीन परियोजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.एस. और ए.पी.एस. का कार्य पूर्ण होने तथा एआईओटी लैब के अन्तर्गत गत वर्ष की हस्तान्तरित राशि का उपयोग नहीं होने तथा आईएचएमएस 1.0 की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण इन योजनाओं हेतु उपलब्ध राशि के उपयोग की संभावना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू	1,064.00		
		350.99	350.99
पु .	- 713.01		..

31 मार्च 2025 को ₹ 713.01 लाख का प्रावधान (i) जी.आई.एस. परियोजना के अन्तर्गत 3 डी सिटी परियोजना (कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर) के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं होने तथा (ii) राज्य की इमेजनरी खरीद बेसमेप अद्यतन के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,686.00		
पु.	- 321.00	1,365.00	1,365.00

31 मार्च 2025 को ₹ 321.00 लाख का प्रावधान हार्डवेयर की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(10) ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ़ एकसीलेन्स
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	177.00		
पु.	- 177.00

31 मार्च 2025 को ₹ 177.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी को सरकारी भूमि रिकार्ड, हेल्थ रिकार्ड में लागू करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा इस संदर्भ में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) एवं आई आई टी कानपुर के एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) किया गया लेकिन आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल
इन्स्टीट्यूट, जोधपुर
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	4,400.01		
पु.	- 2,995.43	1,404.58	1,404.58

31 मार्च 2025 को ₹ 2,995.43 लाख का प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार मेनपॉवर उपलब्ध नहीं होने से भवन निर्माण कार्य की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित किया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(18) राजस्थान सेन्टर फॉर आई.टी. डवलपमेंट एण्ड
ई-गवर्नेंस
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	1,260.01		
पु.	- 1,260.01

31 मार्च 2025 को ₹ 1,260.01 लाख का समस्त प्रावधान कोषालय द्वारा 31 मार्च 2025 तक बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(20) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	437.00	17.00	17.00
पु.	- 420.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 420.00 लाख का प्रावधान दो चरणों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किया जाना था, प्रथम चरण में उपरोक्त जिलों में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्र में मौजूदा सुविधाओं में परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाना था और द्वितीय चरण में इन चारों जिलों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(21) अनुग्रह सेवा प्रदायगी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	700.00	350.00	350.00
पु.	- 350.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 350.00 लाख का प्रावधान आदर्श आचार संहिता लागू होने से परियोजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	2.72	252.63	252.63
पु.	249.91		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 249.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	4,100.00	7,091.85	7,091.85
अ.	0.01		..
पु.	2,991.84		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,991.84 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार/नवीन योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय जयपुर			
मू.	45.01		
पु.	1,064.99	1,110.00	1,110.00

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,064.99 लाख की अतिरिक्त निधियां अलवर एवं भरतपुर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला भवनों के निर्माण/विस्तार/नवीनीकरण, 10 स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर खाद्य पथों के विकास, 250 केवीए डीजी सेटों की खरीद तथा ऑनलाईन यूपीएस सिस्टम, उच्च तकनीकी वाले उपकरण, बुनियादी उपकरण, एलआईएमएस सॉफ्टवेयर, 10 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स ईकाईयों की खरीद तथा एक माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	3,484.50	4,234.18	4,234.18
पु.	749.68		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 749.68 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)			
मू.	5,934.00	7,344.74	7,344.74
पु.	1,410.74		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,410.74 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	2,020.02	3,318.33	3,318.33
पु.	1,298.31		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,298.31 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[60] ईसरदा- दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू .	2,160.07		
पु .	558.64		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू .	130.00		
पु .	178.09		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[69] राजसमन्द जिले की भीम एवं देवगढ तहसील की चम्बल भीलवाडा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	496.83		
पु .	763.17		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[72] जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बीसलपुर दूध परियोजना के अन्तर्गत सूरजपुरा से सांभर तक के 539 गांवों हेतु मुख्य ट्रांशमिशन पाइप लाइन की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
पु .	414.15		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
पु .	278.55		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,192.60 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू.	1,950.00	3,493.61	3,493.61
पु.	1,543.61		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,543.61 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी एम जनमन)			
[01] प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी एम जनमन) के अन्तर्गत किये जाने वाले आधारभूत सुविधाओं का विस्तार			
मू.	332.64	676.32	676.32
पु.	343.68		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 343.68 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
अ.	2,500.00	3,997.55	3,997.55
पु.	1,497.55		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,497.55 लाख की अतिरिक्त निधियां नये आई आई टी भवनों के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाई मुख्य नहर			
मू.	936.00	1,214.30	1,214.30
पु.	278.30		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 278.30 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 30 – (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	889.00	2,133.65	2,133.65
पु.	1,244.65		
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	210.00	472.81	472.81
पु.	262.81		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,507.46 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	7,560.95	10,050.09	10,051.36
पु.	2,489.14		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,489.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
मू.	4,217.99	5,707.70	5,698.79
पु.	1,489.71		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,489.71 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(16) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता जल संसाधन, जयपुर			
मू.	13,182.76	16,564.20	16,564.20
पु.	3,381.44		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,381.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 30 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	6,740.00	8,332.09	8,326.63
पु.	1,592.09		
			- 5.46
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क तथा आधारभूत निधि से पोषित सड़कें			
मू.	13,480.00	17,548.99	17,548.99
पु.	4,068.99		
			..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-प्रथम (ए.डी.बी.)			
मू.	10,147.94	12,328.62	12,328.62
पु.	2,180.68		
			..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य [90] निर्माण कार्य			
मू.	0.01	745.34	745.34
पु.	745.33		
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू.	2,022.00	2,483.75	2,476.24
पु.	461.75		
			- 7.51
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.) [90] निर्माण कार्य			
मू.	1,617.60	3,146.59	3,117.53
पु.	1,528.99		
			- 29.06

अनुदान संख्या 30 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	0.01		
पु .	951.65	951.66	- 13.89
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) आर.एस. आर. डी.सी. को देय एन्युटी एवं मार्जिन मनी			
[01] निर्माण कार्य			
मू	433.00		
पु .	1,372.57	1,805.57	1,805.57 ..

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,902.05 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-796(03), 04-796(05), 04-796(08) [90] एवं 04-796(22) [90]" के अन्तर्गत ₹ 55.92 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण और
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पूंजी -4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य
 पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पूंजीगत
 परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय और
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज
 कुल अनुदान या वास्तविक आधिक्य +
 विनियोग व्यय बचत -
 (₹ सहस्र में)

राजस्व

दत्तमत

मूल	1,16,85,96,00			
अनुपूरक	6	1,16,85,96,06	1,04,88,52,91	- 11,97,43,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				11,98,53,82

प्रभारित

मूल	4			
अनुपूरक	1,46	1,50	1,46	- 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				4

पूंजी

दत्तमत

मूल	1,86,93,37			
अनुपूरक	1,81,63,99	3,68,57,36	1,56,07,70	-2,12,49,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,12,49,66

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,19,743.15 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 1,19,853.82 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू .	6,000.00	2,511.34	2,511.34
पु .	- 3,488.66		

31 मार्च 2025 को ₹ 3,488.66 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001. निर्देशन और प्रशासन			
(01) निर्देशन एवं प्रशासन			
[01] निदेशालय स्तर का संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू .	2,447.05	2,191.26	2,190.77
पु .	- 255.79		

₹ 255.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(08) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम			
[01] राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान			
मू .	1,350.00	136.00	136.00
पु .	- 1,214.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,214.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू .	13,500.00	10,152.50	10,152.50
पु .	- 3,347.50		

31 मार्च 2025 को ₹ 3,347.50 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विभाग)			
मू.	600.41	445.40	445.39
पु.	- 155.01		-0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 155.01 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विभाग)			
मू.	800.00	544.66	544.66
पु.	- 255.34		..
31 मार्च 2025 को ₹ 255.34 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	1,900.00	1,085.38	1,085.38
पु.	- 814.62		..
31 मार्च 2025 को ₹ 814.62 लाख का प्रावधान देवनारायण गुरुकुल योजना के लिए कम अनुदान जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान			
मू.	5,000.00	19.00	19.00
पु.	- 4,981.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,981.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] दिव्यांग स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	500.01		
पु .	- 352.07	147.94	147.94
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 352.07 लाख का प्रावधान *विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना* के लिए कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) मानसिक पुनर्वास गृह संचालन			
मू.	3,000.00		
पु .	- 379.71	2,620.29	2,620.29
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 379.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(47) राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (विशेष योग्यजन विभाग के माध्यम से)			
[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
मू.	2,000.00		
पु .	- 2,000.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान *राज्य विशेष योग्यजन कल्याण योजनाओं* पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(02) कल्याण विस्तार योजनाएं सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य			
[01] निदेशक, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	380.00		
पु .	- 181.00	199.00	199.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 181.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(09) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग			
मू.	313.17		
पु .	- 123.05	190.12	190.11
31 मार्च 2025 को ₹ 123.05 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			-0.01
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान			
मू.	7,500.00		
पु .	- 1,380.47	6,119.53	6,119.54
31 मार्च 2025 को ₹ 1,380.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			+0.01
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन			
मू.	100.00		
पु .	- 100.00
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(21) स्वाधार गृहों के संचालन हेतु अनुदान			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	425.00		
पु .	-393.28	31.72	31.72
31 मार्च 2025 को ₹ 393.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) दिव्यांग कल्याण			
[13] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान			
मू .	6,500.00	4,923.30	4,923.30
पु .	- 1,576.70		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,576.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[03] पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू .	1,000.11	837.25	837.25
पु .	- 162.86		
₹ 162.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं कार्यालय खर्चों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	3,500.00	1,652.69	1,652.69
पु .	- 1,847.31		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,847.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[01] नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रावास संचालन-(सामान्य)			
मू .	268.30	74.09	74.08
पु .	- 194.21		
31 मार्च 2025 को ₹ 194.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जातियों के लिए योजना			
[12] आवासीय योजना			
मू .	500.01	0.40	0.40
पु .	- 499.61		
₹ 499.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[07] छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण योजना हेतु अनुदान			
मू.	232.00
पु .	- 232.00
31 मार्च 2025 को ₹ 232.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[08] छात्र-छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना हेतु अनुदान			
मू.	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[09] स्वरोजगार हेतु अनुदान			
मू.	1,000.00
पु .	- 1,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान स्वरोजगार के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[10] कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुदान			
मू.	1,000.00
पु .	- 1,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान कौशल प्रशिक्षण के लिए निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[11] उच्च शिक्षा हेतु कोचिंग योजना हेतु अनुदान			
मू.	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग योजना हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(23) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
[01] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	550.00
पु.	- 550.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 550.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू.	1,000.00	775.00	775.00
पु.	- 225.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(25) ट्रांसजेण्डर समुदाय के उत्थान हेतु			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	175.00	14.42	14.41
पु.	- 160.58		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 160.58 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	22,219.00	11,336.86	11,336.85
पु.	- 10,882.14		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 10,882.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	12,559.00	8,644.22	8,644.21
पु.	- 3,914.78		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 3,914.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन			
मू.	868.00		
पु .	- 281.90	586.10	586.10 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 281.90 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	27,000.00		
पु .	- 4,950.80	22,049.20	22,049.20 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,950.80 लाख का प्रावधान पेंशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(07) कोविड-19 के अन्तर्गत जरूरतमन्द			
(गैर पेन्शनर) व्यक्तियों को सहायता			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	350.00		
पु .	- 200.00	150.00	150.00 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(08) अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योग्यजनों			
के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना			
[01] निदेशालय विशेष योग्यजन			
मू.	2,500.00		
पु .	- 544.12	1,955.88	1,955.88 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 544.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(09) परित्यक्ता पेंशन योजना			
[01] परित्यक्ता पेंशन योजना-सामान्य			
मू.	3,250.00
पु .	- 3,250.00
31 मार्च 2025 को ₹ 3,250.00 लाख का समस्त प्रावधान पेंशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(10) विश्वकर्मा पेंशन योजना			
[01] विश्वकर्मा पेंशन योजना-सामान्य			
मू.	3,250.00
पु .	- 3,250.00
31 मार्च 2025 को ₹ 3,250.00 लाख का प्रावधान पेंशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,163.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)			
मू .	200.00	65.12	65.12
पु .	- 134.88
31 मार्च 2025 को ₹ 134.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू .	1,500.00		
पु .	- 500.76		
		999.24	999.24
			..
31 मार्च 20225 को ₹ 500.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू .	5,500.00		
पु .	- 4,403.13		
		1,096.87	1,096.87
			..
31 मार्च 20225 को ₹ 4,403.13 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	193.02		
अ .	13,332.00		
पु .	- 12,327.31		
		1,197.71	1,197.71
			..
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,332.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 12,327.31 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निर्माण कार्यों के लिए निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(02) मिशन वात्सल्य			
[01] क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेस्ट (कंट्रक्शन ऑफ सीसीआई इन्क्लूडिंग जेजेबी एण्ड सीडब्ल्यूसी)			
मू	1,800.02		
पु .	- 561.60		
		1,238.42	1,238.42
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 561.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(04) ओल्ड एज होम भवन निर्माण			
मू.	8,500.00		
पु .	- 2,435.00		
	6,065.00	6,065.00	..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,435.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू .	0.01		
अ .	4,831.99		
पु .	- 1,082.00		
	3,750.00	3,750.00	..

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,831.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2025 को ₹ 1,082.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(11) विमंदिता महिला एवं बालग्रह भवन निर्माण			
मू	0.02		
पु .	185.21		
	185.23	185.23	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.21 लाख की अतिरिक्त निधियां लघु निर्माण कार्यों पर बढ़ें हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 32 – महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
2236. पोषण

पूंजी - 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय और
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	31,77,64,26	31,77,64,28	25,99,39,74
अनुपूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-5,78,24,54
प्रभारित			
मूल	24	3,83	3,81
अनुपूरक	3,59		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			- 2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	34,46,08	34,46,08	3,25,36
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-31,20,72
			31,20,38

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 57,824.54 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 222.61 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 32 –(क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(48) समेकित बाल विकास सेवाएं			
[01] कार्यालय भवनों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू .	200.00	47.99	47.99
पु .	- 152.01		

31 मार्च 2025 को ₹ 152.01 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[18] महिला विकास कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू	1,099.21	971.77	971.77
पु .	- 127.44		

₹ 127.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बकाया वेतन का निर्धारण नहीं होने एवं समर्पित अवकाश का नकदीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता ग्रुप संस्थान			
मू	150.01	19.63	19.28
पु .	- 130.38		

31 मार्च 2025 को ₹ 130.38 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(26) महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू	639.25	332.31	332.30
पु .	- 306.94		

31 मार्च 2025 को ₹ 306.94 लाख का प्रावधान एसएनए स्पर्श के माध्यम से भेजे गये बिलो का भारत सरकार के स्तर पर पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[14] महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को अनुदान			
मू.	861.00		
पु .	- 215.57	645.43	643.77
			- 1.66
31 मार्च 2025 को ₹ 215.57 लाख का प्रावधान योजना की नई गार्ड लाईन जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[23] बेटों बचाओ -बेटी पढ़ाओ			
मू.	900.00		
अ .	0.02	7.32	7.32
पु .	- 892.70		..
31 मार्च 2025 को ₹ 892.70 लाख का प्रावधान एसएनए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से भेजे गये बिलों का भारत सरकार के स्तर पर पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू .	21,800.00		
पु .	- 13,948.52	7,851.48	7,847.12
			- 4.36
31 मार्च 2025 को ₹ 13,948.52 लाख का प्रावधान राजश्री योजना की परिचालन अवधि 31.07.2024 को समाप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[29] संस्थापन व्यय हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	2,472.07		
पु .	- 85.10	2,386.97	2,217.92
			- 169.05
₹ 85.10 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 169.05 लाख की अन्तिम बचत मुख्यतः कुछ पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं होने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[30] वन स्टॉप सेन्टर			
मू .	858.00	529.16	529.16 ..
पु .	- 328.84		
31 मार्च 2025 को ₹ 328.84 लाख का प्रावधान कार्यालय खर्चों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[42] स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस			
मू .	600.00
पु .	- 600.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू .	3,800.00	2,906.38	2,900.10 - 6.28
पु .	- 893.62		
31 मार्च 2025 को ₹ 893.62 लाख का प्रावधान (i) कोषालय द्वारा पारित बिलो का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नहीं किये जाने तथा (ii) नवम्बर, 2024 के कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बैच में शामिल बांरा, बाडमेंर, बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ, जैसलमेर, नागौर, उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण से संबंधित पहली किश्त का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[04] जागरूकता हेतु शिक्षा			
मू .	204.00	30.62	30.62 ..
पु .	- 173.38		
31 मार्च 2025 को ₹ 173.38 लाख का प्रावधान (i) वित्तीय वर्ष के अन्त तक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय नहीं होने तथा (ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्त तक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से मुद्रित पुस्तिकाओं और ब्रोशरों की आपूर्ति चालान एवं स्टांक प्रविष्टि संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी			
नैपकिन वितरण (उडान)			
मू .	34,000.00		
		14,974.10	14,974.04
			- 0.06
पु .	- 19,025.90		
31 मार्च 2025 को ₹ 19,025.90 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान आरएमएससीएल द्वारा चार तिमाहियों के बजाय एक ही तिमाही के लिए क्रय आदेश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 10,434.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,591.52 लाख) किया गया।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू .	1,334.00		
		826.38	826.38
			..
पु .	- 507.62		
31 मार्च 2025 को ₹ 507.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[17] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू .	9,954.33		
		8,891.75	8,891.75
			- 0.01
पु .	- 1,062.58		
₹ 1,062.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[18] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना(पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू .	29,552.31		
अ.		24,065.85	24,065.85
			..
पु .	- 5,486.46		
31 मार्च 2025 को ₹ 5,486.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 32 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[20] आंगन बाड़ी दुध वितरण योजना			
मू .	2,000.00		
		103.12	103.07
पु .	- 1,896.88		- 0.05
31 मार्च 2025 को ₹ 1,896.88 लाख का प्रावधान खाद्य सामग्री के कम वितरण किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(02) इन्दिरा महिला शक्ति योजना			
[01] आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण			
मू .	2,000.00		
		267.38	266.64
पु .	- 1,732.62		- 0.74
31 मार्च 2025 को ₹ 1,732.62 लाख का प्रावधान विद्युतीकरण एवं कार्यालय खर्चों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(03) इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आईजीएमपीवाई)			
[01] आईसीडीएस के माध्यम से			
मू .	10,600.39		
		5,486.97	5,486.95
पु .	- 5,113.42		- 0.02
31 मार्च 2025 को ₹ 5,113.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] महिला कल्याण कोष			
मू .	503.20		
		357.64	357.64
पु .	- 145.56		..
31 मार्च 2025 को ₹ 145.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र योजना			
मू .	325.00		
		121.87	121.87
पु .	- 203.13		..
₹ 203.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 32 -(समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(16) वन स्टॉप सेन्टर निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू .	332.00		
पु .	- 194.70	137.30	137.30
31 मार्च 2025 को ₹ 194.70 लाख का प्रावधान वन स्टॉप सेन्टर योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(17) स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू .	900.00		
पु .	- 900.00
31 मार्च 2025 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू .	400.00		
पु .	- 331.60	68.40	68.06
31 मार्च 2025 को ₹ 331.60 लाख का प्रावधान वृहद निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आगंनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू .	700.00		
पु .	700.00
31 मार्च 2025 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आगंनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू .	994.05		
पु .	- 994.05
31 मार्च 2025 को ₹ 994.05 लाख का समस्त प्रावधान वृहद निर्माण कार्यों एवं आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 33 – सैनिक कल्याण विभाग

(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
2075. विविध सामान्य सेवाएं और
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पूंजी – 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	83,11,37		
अनुपूरक	1	83,11,38	- 21,53,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			21,53,93
पूंजी			
मूल	12,25,53		
अनुपूरक	..	12,25,53	-7,65,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			7,65,24

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार			
(01) सैन्य कर्मचारी वर्ग को वीरता के लिए पारितोषिक-प्रतिबद्ध			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,083.28	916.72	916.72
			..

₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेना के जवानों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना अनुमानित था। यद्यपि, प्रकरणों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2025 को ₹ 1,083.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 611.77 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 471.51 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 33 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[01] प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग -प्रतिबद्ध			
मू.	393.32		
पु .	- 103.09	290.23	290.23
₹ 103.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 13 पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों के बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	1,855.37		
पु .	- 299.27	1,556.10	1,556.10
₹ 299.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 87 पदों के रिक्त रहने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा सैनिक कल्याण अधिकारियों के 7 पदों के रिक्त रहने से वाहन किराये पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सैनिक एवं उनके परिवारों को सहायता			
[02] कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता			
मू.	2,000.00		
पु .	- 1,060.00	940.00	940.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,060.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को सहायता पर कम व्यय के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री सहायता कोष की कम प्रतिपूर्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,500.00		
पु .	292.40	1,792.40	1,792.40
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 292.40 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को ₹ 10,000.00 प्रतिमाह के स्थान पर ₹ 15,000.00 प्रतिमाह की सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			..

अनुदान संख्या 33 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[06] युद्ध विधवाओं को सम्मान भत्ता-प्रतिबद्ध मू.	320.00		
		450.00	450.00
पु.	130.00		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से शहीदों की विधवाओं और अविवाहित शहीदों के माता-पिताओं को भुगतान की गयी सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी।			

पूँजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[01] युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का भवन निर्माण मू.	75.51		
		15.81	15.81
पु.	- 59.70		..
31 मार्च 2025 को ₹ 59.70 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेन्सी लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] सैनिक विश्राम गृह का निर्माण मू.	1,100.01		
		444.48	444.48
पु.	- 655.53		..
31 मार्च 2025 को ₹ 655.53 लाख का प्रावधान (i) कार्य की स्वीकृति जारी नहीं होने तथा निर्माण कार्यों के लिए नवनिर्मित पोर्टल पर तकनीकी समस्या के फलस्वरूप वर्ष के दौरान कार्य प्रारम्भ नहीं होने और (ii) लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[04] शहीद स्मारकों का निर्माण मू.	50.01		
	
पु.	- 50.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 50.01 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन नहीं किये जाने के फलस्वरूप सशस्त्र सेना संग्रहालय की डी.पी.आर. तैयार नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 34- श्रम एवं रोजगार विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	19,29,16,09	19,30,68,09	17,99,26,11	-1,31,41,98
अनुपूरक	1,52,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,31,40,32
प्रभारित				
मूल	5	5	..	- 5
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,28,66,02	2,28,66,02	1,25,30,77	- 1,03,35,25
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,03,35,25

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 152.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 13,141.98 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1.66 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 34-(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,968.36		
पु .	- 348.15		
	1,620.21	1,620.20	- 0.01
₹ 348.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों और पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त रहने, (ii) पीठासीन अधिकारियों के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार दिये जाने तथा (iii) पीठासीन अधिकारियों के निरंतर परिवर्तन के कारण कैम्प कोर्ट का आयोजन नहीं होने को आरोपित की गयी।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(11) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू .	59,712.01		
पु .	- 13,771.01		
	45,941.00	45,941.69	+0.69
31 मार्च 2025 को ₹ 13,771.01 लाख का प्रावधान वित्त वर्ष के अन्त में वित्त विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,669.69 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,101.32 लाख) किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(03) वकिशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)			
मू .	481.71		
पु .	- 149.66		
	332.05	332.04	- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 149.66 लाख का प्रावधान (i) कर्मचारियों का विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के अन्य शीर्षों को स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) अतिथि प्रशिक्षकों की अनुमानित संख्या से कम संख्या और उन्हें नये मानदण्डों के अनुसार भुगतान के परिणामस्वरूप मानदेय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(04) स्ट्राइव (स्विकल स्ट्रेन्थिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वैल्यू एन्हेसमेंट)			
[01] कौशल संवर्धन			
मू .	1,200.00		
पु .	- 1,200.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 1,200.00 लाख का समस्त प्रावधान डीजीटी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार स्ट्राइव परियोजना 31.05.2024 को बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण			
[01] शिक्षुओं का प्रशिक्षण- प्रतिबद्ध			
मू .	660.17		
पु .	- 116.13		
	544.04	544.05	+0.01
₹ 116.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 34-(क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू .	5,150.00		
पु .	1,717.00		
	6,867.00	6,867.00	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,717.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू .	0.01		
पु .	- 542.69		
	542.70	542.70	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 542.69 लाख की अतिरिक्त निधियां संकल्प योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(01) प्रधान कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	200.00		
पु .	- 200.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रमिक भवन में तृतीय फ्लोर के निर्माण कार्य और नई लिफ्ट स्थापना कार्य पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 34-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(02) डिविजनल और जिला कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	100.00
पु .	- 100.00
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के अन्त तक वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	17,000.00	11,499.53	..
पु .	- 5,500.47	11,499.53	..
31 मार्च 2025 को ₹ 5,500.47 लाख का प्रावधान (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय करने तथा (ii) वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष के अन्त तक दिशा-निर्देश एवं सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र एवं उपकरण			
मू .	4,900.00	821.32	..
पु .	- 4,078.68	821.32	..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,078.68 लाख का प्रावधान (i) 31.03.2025 तक कोषालय को भेजे गये बिलों का इसीएस नहीं होने, (ii) 31.03.2025 के बाद बिलों की प्राप्ति होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा क्रय आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश देने, (iii) विभागीय स्तर पर आई.टी.आई. के लिए 25 लाख से अधिक लागत के कम्प्यूटर और संबंधित उपकरण खरीदने के लिए वित्त विभाग से छूट के संबंध में स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (iv) वित्त विभाग से संशोधित स्वीकृति नहीं मिलने के कारण नये ट्रेड ड्रोन पॉयलट जूनियर के तहत ड्रोन की खरीद नहीं हो पाने तथा (v) सफल बोलीदाताओं से कम दर की प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
203. रोजगार			
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
[01] संयंत्र एवं उपकरण			
मू .	600.00	154.22	..
पु .	- 445.78	154.22	..
31 मार्च 2025 को ₹ 445.78 लाख का प्रावधान (i) 31.03.2025 तक कोषालय को भेजे गये बिलों का इसीएस नहीं होने एवं (ii) 31.03.2025 के बाद बिलों की प्राप्ति होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा क्रय आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश देने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 35 – अल्पसंख्यक मामलात विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व –2059. लोक निर्माण कार्य,				
2202. सामान्य शिक्षा,				
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण और				
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं				
पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर				
पूंजीगत परिव्यय,				
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय और				
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज				
	कुल अनुदान या विनियोग		वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –

राजस्व

दत्तमत

मूल	2,46,60,87			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		2,46,60,87	1,99,75,46	- 46,85,41
				47,54,66

पूंजी

दत्तमत

मूल	2,45,45,05			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		2,45,45,05	1,45,04,23	- 1,00,40,82
				1,00,39,84

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,685.41लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 4,754.66 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू .	300.00
पु .	- 300.00
31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक विकास निधि			
मू .	300.00	15.07	15.07
पु .	- 284.93
31 मार्च 2025 को ₹ 284.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान			
मू .	2,005.00	190.04	190.04
पु .	- 1,814.96
31 मार्च 2025 को ₹ 1,814.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,281.31 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 533.65 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अनुप्रति योजना हेतु अनुदान			
मू .	1,000.00	855.53	924.05
पु .	- 144.47	..	+ 68.52
31 मार्च 2025 को ₹ 144.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 68.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति			
मू .	125.00
पु .	- 125.00
31 मार्च 2025 को ₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			
मू .	748.51	434.39	434.39
पु .	- 314.12
₹ 314.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[09] अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन			
मू .	931.72	687.61	688.30
पु .	- 244.11	..	+ 0.69
₹ 244.11 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
[01] अल्प संख्यक वर्ग छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	1,260.55
पु .	- 1,260.55
31 मार्च 2025 को ₹ 1,260.55 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 35 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम			
मू.	8,500.00		
पु.	- 8,500.00	..	- 0.97

31 मार्च 2025 को ₹ 8,500.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,000.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,499.99 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	2,500.00		
पु.	- 705.13	1,794.87	1,794.87

31 मार्च 2025 को ₹ 705.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण			
मू.	150.00		
पु.	- 150.00

31 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(03) अल्पसंख्यक बस्तियों में आधारभूत संरचना			
[01] आधारभूत संरचना के विकास कार्य			
मू.	2,500.00		
पु.	- 2,399.02	100.98	100.98

31 मार्च 2025 को ₹ 2,399.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 35 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(03) अल्पसंख्यक बस्तियों में आधारभूत संरचना			
[02] जनसहभागिता के आधार पर विकास कार्य			
मू .	800.00		
पु .	- 746.36		
	53.64	53.64	..
31 मार्च 2025 को ₹ 746.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू .	0.01		
पु .	2,499.99		
	2,500.00	2,500.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,499.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आवश्यकतानुसार व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 36 – आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
मुख्य शीर्ष : राजस्व –2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं और
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
पूंजी –4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
कुल अनुदान या वास्तविक
विनियोग व्यय
(₹ सहस्र में)

				आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	53,00,15,21	64,18,70,45	36,83,39,06	- 27,35,31,39
अनुपूरक	11,18,55,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				26,97,59,91
प्रभारित				
मूल	50,13	50,13	50,12	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	8,80,00	8,80,00	10,47	- 8,69,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				8,69,53

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,11,855.24 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. अनुदान के अन्तर्गत ₹ 2,73,531.39 लाख की अंतिम बचत में राजकीय खाते में आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा जमा की गयी अव्ययित राशि ₹ 9,367.12 लाख शामिल हैं।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
106. सिविल रक्षा				
(02) अग्नि सेवा-प्रतिबद्ध				
मू .	685.06	544.25	544.26	+ 0.01
पु .	- 140.81			

31 मार्च 2025 को ₹ 140.81 लाख का प्रावधान न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में वेतनमान में संशोधन के कारण 23 अग्निशमन कर्मियों के बकाया भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 36 -(क्रमशः)
कुल अनुदान

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01. सूखा		
102. पीने के पानी की पूर्ति		
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति		
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति		
मू .	5,000.00	
पु .	- 4,323.93	
31 मार्च 2025 को ₹ 4,323.93 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	676.07	676.07 ..
01. सूखा		
104. चारे की पूर्ति		
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति		
[01] यातायात		
मू .	3,000.02	
पु .	- 2,999.47	
31 मार्च 2025 को ₹ 2,999.47 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	0.55	0.55 ..
01. सूखा		
104. चारे की पूर्ति		
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति		
[04] पशु शिविर/गौशाला		
मू .	3,000.00	
पु .	- 3,000.00	
31 मार्च 2025 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखे के तहत पशु शिविरों/गौशाला में आवश्यकतानुसार चारे की पूर्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।
01. सूखा		
800. अन्य व्यय		
(03) राहत कार्यों पर व्यय		
[02] अग्नि सहायता		
मू .	2,000.00	
पु .	- 1,489.65	
31 मार्च 2025 को ₹ 1,489.65 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	510.35	510.84 + 0.49
01. सूखा		
800. अन्य व्यय		
(03) राहत कार्यों पर व्यय		
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय		
मू .	11,000.00	
पु .	- 10,462.15	
31 मार्च 2025 को ₹ 10,462.15 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्च, रेस्क्यू एवं संचार आदि के लिए उपाय एवं उपकरणों की आवश्यकतानुसार खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया।	537.85	- 3,309.17 - 3,847.02
₹ 3,309.17 लाख का ऋणात्मक व्यय एवं ₹ 3,847.02 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।		

अनुदान संख्या 36 –(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू .	7,120.00		
अ.	8,135.24	8,009.81	..
पु .	- 7,245.43		
<p>फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखे से फसलों को नुकसान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 8,135.24 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>₹ 7,245.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सूखे से फसलों को नुकसान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान को आरोपित की गयी।</p>			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू .	10,000.00		
अ.	48,500.00	22,275.38	..
पु .	- 36,224.62		
<p>फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखे से फसलों को नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को छोड़कर अन्य किसानों को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 48,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>31 मार्च 2025 को ₹ 36,224.62 लाख का प्रावधान सूखे से फसलों को नुकसान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को छोड़कर अन्य किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू .	1,000.00		
पु .	- 963.69	36.31	36.30
<p>31 मार्च 2025 को ₹ 963.69 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण पर आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) आपदा प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू .	2,001.00		
पु .	- 1,936.76	64.24	64.24
<p>..</p>			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)
कुल अनुदान

शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) आपदा प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	1,400.00	599.45	599.45
पु.	- 800.55		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 2,737.71 लाख का प्रावधान आपदा प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण पर कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[01] अन्य मद			
मू.	1,000.00	203.25	203.25
पु.	- 796.75		..
31 मार्च 2025 को ₹ 796.75 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[05] कपड़े एवं बर्तन			
मू.	1,000.00	13.01	12.86
पु.	- 986.99		- 0.15
31 मार्च 2025 को ₹ 986.99 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	100.00
पु.	- 100.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मू.	20,487.12	14,222.46	14,260.14
पु.	- 6,264.66		+37.68
31 मार्च 2025 को ₹ 6,264.66 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 37.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[02] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू .	1,001.00	222.61	222.61
पु .	- 778.39		..
31 मार्च 2025 को ₹ 778.39 लाख का प्रावधान सर्च रेस्क्यू एवं संचार उपाय एवं उपकरणों का आवश्यकतानुसार क्रय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू .	500.00
पु .	500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की आवश्यकतानुसार मरम्मत के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू .	600.00	144.48	144.48
पु .	- 455.52		..
31 मार्च 2025 को ₹ 455.52 लाख का प्रावधान बाढ़ से जनहानि पर आवश्यकतानुसार अनुग्रह सहायता पर व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू .	1,000.00	58.54	58.54
पु .	- 941.46		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू .	1,000.00	190.86	190.85
पु .	- 809.14		- 0.01

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपडी			
मू .	400.00		
पु .	- 387.38	12.62	12.62
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,980.78	19.22	19.22
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,880.40	119.60	120.35
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपडी			
मू .	400.00		
पु .	- 399.76	0.24	0.24
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू .	1,000.00		
पु .	- 929.19	70.81	71.54

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 7,328.11 लाख का प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार दी गई सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू. 35,000.00	11,290.22	11,290.23	+0.01
पु. - 23,709.78			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू. 5,000.00	1,770.94	1,770.94	..
पु. - 3,229.06			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू. 20,000.00	9,930.07	9,930.08	+0.01
पु. - 10,069.93			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 37,008.77 लाख का प्रावधान बाढ़ से फसलों को नुकसान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू. 17,680.00	6,514.62	6,514.63	+0.01
पु. - 11,165.38			
31 मार्च 2025 को ₹ 11,165.38 लाख का प्रावधान बाढ़-चक्रवातों से फसलों को नुकसान हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू. 5,000.00	1,383.39	1,383.39	..
पु. - 3,616.61			
31 मार्च 2025 को ₹ 3,616.61 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण हुई फसल हानि के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू .	20,000.00	6,571.86	6,571.85
पु .	- 13,428.14		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 13,428.14 लाख का प्रावधान शीतलहर के कारण फसल हानि के लिए आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
मू .	400.00	29.77	29.77
पु .	- 370.23		..
31 मार्च 2025 को ₹ 370.23 लाख का प्रावधान बाढ़ से हानि होने पर किसानों को पशुधन क्रय हेतु आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
मू .	1,000.00	386.40	386.40
पु .	- 613.60		..
31 मार्च 2025 को ₹ 613.60 लाख का प्रावधान बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[01] दवाईयों की पूर्ति			
मू .	0.02	28.89	- 193.52
पु .	28.87		- 222.41
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.87 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 193.52 लाख का ऋणात्मक व्यय एवं ₹ 222.41 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित राशि जमा कराने के कारण रही।			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
101. आपदा मिटिगेशन			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[01] लोक स्वास्थ्य			
मू .	10,000.00
पु .	- 10,000.00
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
101. आपदा मिटिगेशन			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[02] अग्नि से बचाव एवं रोकथाम			
मू .	10,000.00
पु .	- 10,000.00
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
101. आपदा मिटिगेशन			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[03] सूखा की रोकथाम एवं बचाव			
मू .	10,000.00
पु .	- 10,000.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 30,000.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से प्रभावित निर्माण कार्यों एवं खराब सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
101. आपदा मिटिगेशन			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि से संचालित योजनाएं			
[04] बाढ़, ओलावृष्टि आदि से बचाव एवं रोकथाम			
मू .	15,720.01
अ.	55,220.00
पु .	- 70,940.01
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 55,220.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था।			
31 मार्च 2025 को ₹ 70,940.01 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़, ओलावृष्टि आदि से बचाव एवं रोकथाम हेतु तकनीकी समिति का गठन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 47,403.70 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 23,536.31 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के बजट			
शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में अंतरण (सामान्य)			
मू .	34,345.00	30,000.00	..
पु .	- 4,345.00	30,000.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,345.00 लाख का प्रावधान प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा राहत निधि (सामान्य) को आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 36 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू .	1,019.84	814.29	814.28
पु .	- 205.55		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 205.55 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार स्थापना व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(10) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू .	34,345.00	77.47	77.47
पु .	- 34,267.53		..
31 मार्च 2025 को ₹ 34,267.53 लाख का प्रावधान प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा राहत निधि से आवश्यकतानुसार योजनाएं संचालित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
[01] बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
मू .	500.00	1,997.59	2,263.08
पु .	1,497.59		+265.49
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,497.59 लाख की अतिरिक्त निधियां जिलों में बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की आवश्यकतानुसार मरम्मत हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 265.49 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये।			
08. राज्य आपदा मितियेशन निधि			
797. आरक्षित निधियों और जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) राज्य आपदा मितियेशन निधि के बजट शीर्ष			
8121-00-130-(01) में अन्तरण			
[01] केन्द्र का हिस्सा			
मू .	34,300.00	50,640.00	50,640.00
पु .	16,340.00		..

अनुदान संख्या 36 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
08. राज्य आपदा मिटिगेशन निधि			
797. आरक्षित निधियों और जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष			
8121-00-130-(01) में अन्तरण			
[02] राज्य का हिस्सा			
मू.	11,420.00	16,860.00	..
पु.	5,440.00	16,860.00	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,780.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की द्वितीय किश्त को समायोजित करने हेतु उपलब्ध करायी थी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(60) सामान्य भवन, नागरिक सुरक्षा विभाग			
[01] नागरिक सुरक्षा विभाग के लिए भवन निर्माण			
मू.	800.00	10.47	..
पु.	- 869.53	10.47	..

31 मार्च 2025 को ₹ 869.53 लाख का प्रावधान विभागीय भवन निर्माण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.):- पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखते हुए राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के सृजन की अनुशंसा की गयी थी जिन्हें साथ में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एस.डी.आर.एम.एफ.) कहा जाएगा। एस.डी.आर.एफ. और एस.डी.एम.एफ. के कुल पूंजी की संबंधित निधि में केन्द्र और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात की वर्तमान लागत साझाकरण व्यवस्था को जारी रखने की अनुशंसा की गयी। दोनों ही निधियों को, वर्तमान अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज क्रेडिट करने एवं अनिवेशित राशि पर ब्याज देने की मौजूदा व्यवस्था के साथ ब्याज धारक निधि में रखा जायेगा। एस.डी.एम.एफ. में 31.3.2020 को अंतिम शेष 2021-22 के लिए प्रारम्भिक शेष के रूप में एस.डी.एम.एफ. को स्थानान्तरित किया जाएगा और इसी तरह 2025-26 तक।

2024-25 के दौरान ₹ 1,82,880.00 लाख को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101(02)- [01] आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार को राज्य आपदा मिटिगेशन निधि के तहत भारत सरकार से ₹ 34,300.00 लाख प्राप्त हुए। प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 83,720.80 लाख (निवल) को वर्ष के दौरान एस.डी.आर.एफ. से पूरित किया गया।

31 मार्च 2025 को ₹ 4,79,688.34 लाख का शेष (ब्याज सहित) तथा क्रमशः एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ के अन्तर्गत ₹ 2,33,885.16 लाख अव्ययित रहा।

उपरोक्त निधियों के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या 14,15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 37 – देवस्थान विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं और
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को
क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	59,22,81		
अनुपूरक	37,23,49	96,46,30	-8,87,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			8,82,22
प्रभारित			
मूल	2		
अनुपूरक	..	2	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	26,00,00		
अनुपूरक	..	26,00,00	- 24,43,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			24,43,75

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 887.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 3,723.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था ।
- ₹ 887.71 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.49 लाख की अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 37 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव			
(01) देवस्थान की जायदाद का अनुरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू .	200.00		
पु .	- 59.40	140.60	135.92
			- 4.68

31 मार्च 2025 को ₹ 59.40 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

800. अन्य व्यय

(02) तीर्थ यात्रा योजना

[02] कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना

मू .	72.00		
पु .	- 72.00

31 मार्च 2025 को ₹ 72.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजी

दत्तमत

1. .बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,800.00		
पु .	- 1,717.33	82.67	82.67
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,717.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

800. अन्य व्यय

(03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य

मू .	800.00		
पु .	- 726.42	73.58	73.58
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 726.42 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 38 – सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2220. सूचना तथा प्रचार

पूँजी – 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,49,63,82	1,57,62,88	1,31,14,14	-26,48,74
अनुपूरक	7,99,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				26,43,22
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1

पूँजी

दत्तमत				
मूल	3,00,00	3,63,27	2,19,51	-1,43,76
अनुपूरक	63,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,43,76

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,648.74 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5.52 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 799.06 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन और प्रशासन				
(01) निर्देशन एवं प्रशासन				
[01] निदेशालय संस्थापन-प्रतिबद्ध				
मू .	12,113.62	10,645.29	10,639.77	- 5.52
अ.	799.06			
पु .	- 2,267.39			

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 799.06 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

₹ 2,267.39 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों एवं प्रचार-प्रसार पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 38 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
102. सूचना केन्द्र			
(01) सामान्य सूचना सेवायें			
[01] जिला स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू .	743.60		
पु .	- 233.79	509.81	509.79
			- 0.02

₹ 233.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

60. अन्य
106. क्षेत्र प्रचार
(01) जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार
[01] जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार-प्रतिबद्ध

मू .	1,306.59			
पु .	- 142.03	1,164.56	1,164.57	+ 0.01

₹ 142.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय
60. अन्य
101. भवन
(02) अन्य कार्य
[90] निर्माण कार्य

मू .	300.00			
अ.	63.27	219.51	219.51	..
पु .	- 143.76			

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 63.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

31 मार्च 2025 को ₹ 143.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 39 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व –2059. लोक निर्माण कार्य और

2217. शहरी विकास

पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय और

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	89,06,99	1,34,02,45	73,05,45	-60,97,00
अनुपूरक	44,95,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				60,96,97
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	13	6,87,02	6,87,00	- 2
अनुपूरक	6,86,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,495.46 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 40 – स्वायत्त शासन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व-2217. शहरी विकास,

3055. सड़क परिवहन और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	77,53,91,07		
अनुपूरक	17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		77,53,91,24	58,22,65,65 -19,31,25,59
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		1	.. - 1
			19,31,25,48
			1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	46,13,06,85		
अनुपूरक	18		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		46,13,07,03	25,70,55,60 -20,42,51,43
प्रभारित			
मूल	5,22,49		
अनुपूरक	4,01,69		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		9,24,18	9,20,54 - 3,64
			3,64

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	412.00
पु.	- 412.00
31 मार्च 2025 को ₹ 412.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[23] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (सामान्य)			
मू.	6,750.00
पु.	- 6,750.00
31 मार्च 2025 को ₹ 6,750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) स्थानीय निकायों के संचालक			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,767.97	1,369.82	1,369.72
पु.	- 398.15		- 0.10
₹ 398.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	12,364.20	3,898.46	3,898.46
अ.	0.01		..
पु.	- 8,465.75		
31 मार्च 2025 को ₹ 8,465.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू. 11,334.00	2,604.71	2,604.71	..
पु. - 8,729.29			
31 मार्च 2025 को ₹ 8,729.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू. 43,892.59	21,362.59	21,362.59	..
पु. - 22,530.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 22,530.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू. 4,361.41	2,558.82	2,558.82	..
पु. - 1,802.59			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,802.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[10] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	6,542.10	3,838.20	3,838.20
पु.	- 2,703.90		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,703.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[13] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)			
मू.	208.00
पु.	- 208.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 208.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से भारत सरकार से अनुमोदन में विलम्ब होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[16] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)			
मू.	795.00
पु.	- 795.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 795.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार			
[01] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (सामान्य)			
मू.	19,233.20	5,495.20	5,495.20
पु.	- 13,738.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 13,738.00 लाख का प्रावधान सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(55) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (CAPACITY BUILDING)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	1,607.00	412.85	412.85
पु.	- 1,194.15		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,194.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(56) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईईसी)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	3,204.00	129.15	129.15
पु.	- 3,074.85		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,074.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(57) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 GIS BASED MASTER PLAN			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	394.00
पु.	- 394.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 394.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से देरी से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(60) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	1,368.00	820.80	820.80
पु.	- 547.20		..
31 मार्च 2025 को ₹ 547.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	49,456.80		
अ.	0.01	38,391.34	..
पु.	- 11,065.47		
31 मार्च 2025 को ₹ 11,065.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान-(सामान्य)			
मू.	37,196.55		
पु.	- 19,175.45	18,021.10	..
31 मार्च 2025 को ₹ 19,175.45 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान-(सामान्य)			
मू.	55,794.82		
पु.	- 28,763.18	27,031.64	..
31 मार्च 2025 को ₹ 28,763.18 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-(सामान्य)			
मू.	1,898.00		
पु.	- 1,898.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,898.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)			
मू.	7,270.00
पु.	- 7,270.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 7,270.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररुद्धार			
[01] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररुद्धार (सामान्य)			
मू.	28,849.80	8,242.80	8,242.80
पु.	- 20,607.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 20,607.00 लाख का प्रावधान शहरी स्थानीय निकायों में सड़कों के नवीनीकरण, सुधार एवं मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(58) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (CAPACITY BUILDING)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	2,267.00	871.10	871.09
पु.	- 1,395.90		- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 1,395.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(59) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईईसी)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	4,517.00	175.62	175.62
पु.	- 4,341.38		..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,341.38 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(62) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग-(सामान्य)			
मू.	2,066.00	1,239.60	1,239.60
पु.	- 826.40		..
31 मार्च 2025 को ₹ 826.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] मोटर यान परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	27,258.00
पु.	- 27,258.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 27,258.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 25,634.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,623.18 लाख) किया गया। जिसके, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] ग्रीन टैक्स (सामान्य)			
मू.	18,661.00
पु.	- 18,661.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 18,661.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	41,884.00
पु.	- 41,884.00
31 मार्च 2025 को ₹ 41,884.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(04) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	20,600.00	13,738.00	13,738.00
पु.	- 6,862.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,862.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	874.00
पु.	- 874.00
31 मार्च 2025 को ₹ 874.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	2,042.00
पु.	- 2,042.00
31 मार्च 2025 को ₹ 2,042.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	2,000.00	5,835.88	5,835.88
पु.	3,835.88		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,835.88 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[08] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	343.00	686.85	686.85
पु.	343.85		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 343.85 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	343.00	937.00	937.00
पु.	- 594.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 594.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[26] अजमेर पुष्कर सिटी बस लिमिटेड-(सामान्य)			
मू.	0.01	737.00	737.00
पु.	736.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 736.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) पीएम- ई बस सेवा (इंफ्रास्ट्रक्चर)			
[01] डिपो आधारभूत संरचना-(सामान्य)			
मू .	0.02		
पु .	986.98	987.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 986.98 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार पर व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(05) पीएम- ई बस सेवा (बीटीएम इंफ्रा)			
[01] बीटीएम-ऊर्जा आधारभूत संरचना-(सामान्य)			
मू .	0.01		
पु .	2,461.99	2,462.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,461.99 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार पर व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (सामान्य)			
मू .	26,388.00		
पु .	25,124.80	51,512.80	51,512.80
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 25,124.80 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)			
मू .	3,572.00		
पु .	9,235.05	12,807.05	12,807.05
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,235.05 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगररीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी–(सामान्य)			
मू.	3,297.00	11,821.07	11,821.07
पु.	8,524.07		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,524.07 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(63) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (75:25)			
[01] राज्य/शहरी स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (एसएलटीसी/सीएलटीसी)–(सामान्य)			
मू.	0.02	254.15	254.15
पु.	254.13		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 254.13 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण–(सामान्य)			
मू.	6,869.00	24,628.11	24,628.11
पु.	17,759.11		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 17,759.11 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.02	309.00	309.00
पु.	308.98		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 308.98 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 2,04,251.43 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 396.72 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर ओ बी)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू .	1,370.00		
पु .	- 957.86		
31 मार्च 2025 को ₹ 957.86 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	412.14	412.14	..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेन्ट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य			
मू .	11,641.22		
पु .	- 1,232.34		
₹ 1,232.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) श्रीगंगानगर में तृतीय चरण के तहत सीवरेज लाईन चालू नहीं होने से दो सीवरेज प्लांट के काम नहीं करने तथा (ii) झुंझुनू, भीलवाड़ा एवं टोंक के अन्तिम बिलों के समय विस्तार प्रकरण को अन्तिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप व्यय में कमी होने को आरोपित की गयी।	10,408.88	10,408.88	..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू .	7,075.34		
अ .	0.01		
पु .	- 445.88		
₹ 445.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) झालावाड में सीवरेज कार्य में धीमी प्रगति के कारण हार्ड स्ट्रैट पर कम व्यय होना तथा (ii) अन्तिम बिलों के समय विस्तार प्रकरण को अन्तिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप व्यय में कमी होने को आरोपित की गयी।	6,629.47	6,261.49	- 367.98

अनुदान संख्या 40 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी)			
[01] चतुर्थ चरण (ईएपी)			
मू .	39,113.10	29,126.02	29,227.32
पु .	- 9,987.08		+101.30
₹ 9,987.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 14 निर्माण कार्यों में से केवल 4 निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा शेष कार्य ठेकदार द्वारा धीमी प्रगति एवं खेतडी में सीवरेज के आउटफॉल क्षेत्र में अतिक्रमण, आबू रोड में वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण से पूर्ण नहीं होने तथा (ii) सीवरेज एवं जलापूर्ति का समय पर चालू नहीं होने के परिणामस्वरूप रोकी गयी राशि को जारी नहीं करने को आरोपित की गयी ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	13,738.00	7,699.01	7,699.01
पु .	- 6,038.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,038.99 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	2,73,519.00	76,213.09	76,213.09
पु .	- 1,97,305.91		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,97,305.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,28,728.76 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 68,577.15 लाख) करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(10) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	41,795.00	7,357.28	7,357.28
पु .	- 34,437.72		..
31 मार्च 2025 को ₹ 34,437.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 40 - (समाप्त)
कुल अनुदान

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(11) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी)			
[01] आर यू आई डी पी चतुर्थ चरण Tranch-II (ई ए पी)			
मू.	32,427.58	22,571.70	22,572.95
पु.	- 9,855.88		+ 1.25

31 मार्च 2025 को ₹ 9,855.88 लाख का प्रावधान (i) अधिकारियों के स्थानान्तरण होने, (ii) चतुर्थ चरण के द्वितीय चरण के कार्यों में विभिन्न करणों से धीमी प्रगति रही जैसे भूमि का आवंटन नहीं होना, वन, रेलवे एवं एनएचएआई से स्वीकृति नहीं मिलने के परिणामस्वरूप कम व्यय होना, (iii) जोधपुर सीवरेज कार्यों के संबंध में ₹ 8.50 करोड़ जमा होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होना तथा (iv) अनुबंध कर्मियों की उपलब्धता के कारण मैन विद् मशीन किराये पर कम लेने के परिणामस्वरूप बचत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(13) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (एसडब्ल्यूएम)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	17,639.00	7,578.64	7,578.64
पु.	- 10,060.36		..

31 मार्च 2025 को ₹ 10,060.36 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(14) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईआईएचएल,सीटी/पीटी,यूरीनल्स)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	2,193.00	244.44	244.44
पु.	- 1,948.56		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,948.56 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम			
मू.	17,000.00	85,500.00	85,500.00
पु.	68,500.00		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 68,500.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 41 – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और

6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	55,88,41,26	58,73,58,28	56,98,81,86	-1,74,76,42
अनुपूरक	2,85,17,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
प्रभारित				
मूल	16,06	3,62,44	3,58,13	- 4,31
अनुपूरक	3,46,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	40,84,50,25	41,83,03,01	36,34,38,10	- 5,48,64,91
अनुपूरक	98,52,76			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 17,476.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 28,517.02 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 17,476.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,073.09 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई 02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन और प्रशासन (04) शिल्पशाला			
मू.	2,291.01		
पु.	- 1,219.12	1,071.89	1,071.89

31 मार्च 2025 को ₹ 1,219.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन और प्रशासन (11) निष्पादन [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	35,430.97		
पु.	- 4,655.69	30,775.28	30,769.17

₹ 4,655.69 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 9,852.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 54,864.91 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,778.79 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01. जलपूर्ति 101. शहरी जलपूर्ति (01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं [02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	64,902.00		
पु.	- 10,171.36	54,730.64	54,720.41

31 मार्च 2025 को ₹ 10,171.36 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,656.72 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,514.64 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 10.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	2,040.00		
पु.	- 1,454.11	585.89	585.88
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू .	125.00		
पु.	- 124.37	0.63	0.63
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू .	175.00		
पु.	- 143.44	31.56	31.56
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेन्स इत्यादि			
मू .	600.00		
पु .	- 553.06	46.94	46.94
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाडा जल पूर्ति योजना-कलस्टर			
मू .	554.48		
पु .	- 315.91	238.57	238.57
			..

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	880.50		
पु .	- 721.40	158.60	158.60
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना फेज- द्वितीय पार्ट-बी (शहरी)			
मू .	447.79		
पु .	- 357.97	89.82	89.82
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-II (शहरी)			
मू .	385.05		
पु .	- 264.70	120.35	120.35
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[10] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू .	9,920.16		
पु .	- 2,993.73	6,926.43	6,926.43
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 6,928.69 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[22] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बांरा, झालावाड, कोटा (शहरी भाग)			
मू .	2,528.30		
पु .	- 2,528.30

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[23] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू .	4,355.00
पु .	- 4,355.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 6,883.30 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[26] देवास जल प्रदाय योजना-तृतीय एवं चतुर्थ(शहरी)			
मू .	11,934.53	1,468.72	1,468.72
पु .	- 10,465.81
31 मार्च 2025 को ₹ 10,465.81 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाडा के सज्जनगढ एवं कुशलगढ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	967.95	78.75	78.75
पु .	- 889.20
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण (बीकानेर)			
मू .	945.42	498.31	498.31
पु .	- 447.11
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	58,206.67	51,089.75	51,076.30
पु .	- 7,116.92	..	- 13.45

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू .	800.00		
पु .	- 482.14	317.86	317.86 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	1,195.25		
पु .	- 838.19	357.06	318.54 - 38.52
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू .	2,000.00		
पु .	- 1,287.24	712.76	712.76 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जल पूर्ति योजना			
मू .	690.01		
पु .	- 408.13	281.88	281.88 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाडा जल पूर्ति योजना			
मू .	295.98		
पु .	- 152.98	143.00	143.00 ..

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 11,621.91 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष "4215-01-102(03)[01]" एवं "4215-01-102(19)" के अंतर्गत ₹ 51.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ.आर.क्लस्टर परियोजना			
मू .	223.29		
पु .	- 223.29

31 मार्च 2025 को ₹ 223.29 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाडा जल पूर्ति परियोजना			
मू .	176.11		
पु .	- 102.66	73.45	73.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	14,908.50		
पु .	- 3,769.81	11,138.69	11,116.02
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 3,872.47 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
शीर्ष "4215-01-102(79)" के अंतर्गत ₹ 22.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण एवं अनुश्रवण			
मू .	1,000.01		
पु .	- 977.94	22.07	22.07
31 मार्च 2025 को ₹ 977.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[03] जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां			
मू .	4,000.01		
पु .	- 4,000.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[04] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	345.01		
पु .	- 345.01

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[06] चूरु-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू .	483.01
पु .	- 483.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू .	483.01
पु .	- 483.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[10] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू .	1,035.01
पु .	- 1,035.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[11] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू .	483.01
पु .	- 483.01
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 6,829.06 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[13] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	1,374.01	129.00	129.00
पु .	- 1,245.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,245.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[14] चम्बल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू .	690.01	..	- 255.78
पु .	- 690.01		- 255.78
31 मार्च 2025 को ₹ 690.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
राजकीय खाते में एलडी (परिसमापन क्षति) एवं पीवी के कारण ठेकेदार फर्मों से एकत्र किए गए ₹ 255.78 लाख की राशि जमा की गयी, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ऋण व्यय दर्शाया गया ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[16] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू .	345.01	58.75	58.75
पु .	- 286.26		..
31 मार्च 2025 को ₹ 286.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[18] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	1,374.01
पु .	- 1,374.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,374.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[20] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू .	250.01	..	- 788.07
पु .	- 250.01		- 788.07
31 मार्च 2025 को ₹ 250.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
₹ 788.07 लाख का ऋणात्मक व्यय फर्म से मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के कारण रहा ।			

अनुदान संख्या 41 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[21] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	2,070.01		
		118.20	118.20
पु .	- 1,951.81		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[22] क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील			
मू .	345.01		
		48.46	48.46
पु .	- 296.55		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 2,248.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	828.01		
	
पु .	- 828.01		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[25] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरु-बिसाउ परियोजना			
मू .	138.01		
	
पु .	- 138.01		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 966.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[31] पाली जिले की सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी.वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू .	1,031.01		
		1,031.00	392.11
पु .	- 0.01		- 638.89
₹ 638.89 लाख का ऋणात्मक व्यय फर्म से मोबिलाईजेशन अग्रिम की वसूली के कारण रहा ।			

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[42] चित्तोडगढ जिले के भैसरोडगढ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	690.01
पु .	- 690.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[45] जल जीवन मिशन के तहत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकडी सरवाड पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढीकरण			
मू .	690.01
पु .	- 690.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[46] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग- 'अ'			
मू .	690.01
पु .	- 690.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[48] कालीतीर जल प्रदाय योजना			
मू .	690.01
पु .	- 690.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[49] चम्बल नदी से अलवर एवं भरतपुर जिलों की सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	690.01
पु .	- 690.01

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[50] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादोती सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	690.01
पु .	- 690.01

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 4,140.06 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई पाली-जालौर जल पूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू .	389.37	823.96	..
पु .	434.59	823.96	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू .	343.45	651.30	..
पु .	307.85	651.30	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[98] चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (शहरी)			
मू .	0.01	140.00	..
पु .	139.99	140.00	..

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	0.01		
पु .	262.32	262.33	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[08] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू.	8,084.01		
पु .	6,302.26	14,386.27	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूँदी जिले की हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	700.00		
पु .	959.02	1659.02	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[16] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू.	0.01		
पु .	423.31	423.32	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[17] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना शहरी भाग			
मू.	2,528.30		
पु .	3,590.70	6,119.00	..

अनुदान संख्या 41 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[20] जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बीसलपुर दूध परियोजना के अन्तर्गत सूरजपुरा से सांभर तक के 539 गांवों हेतु मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01	2,107.64	2,107.64
पु .	2,107.63		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[21] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01	1,431.94	1,431.94
पु .	1,431.93		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[24] जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बोरावास मण्डाना पेयजल परियोजना जिला-कोटा (शहरी भाग)			
मू .	0.01	332.46	332.46
पु .	332.45		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II (ईएपी)			
मू .	959.39	1,289.17	1,289.17
पु .	329.78		

उपरोक्त बारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,621.83 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 41 - (समाप्त)

5. 2024-25 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			<i>(₹ लाख में)</i>	
स्टॉक	(+) 3,322.12	(+) 3,322.12
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 3,221.17	(+) 3,221.17
योग	(+) 6,543.29	(+) 6,543.29

अनुदान संख्या 42 – जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 6700. मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	31,94,05,25	32,22,15,95	30,03,88,25	- 2,18,27,70
अनुपूरक	28,10,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,05,01,07
प्रभारित				
मूल	18,70	1,78,45	1,70,00	- 8,45
अनुपूरक	1,59,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				8,45
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	33,62,93,48	33,62,93,51	25,90,47,15	- 7,72,46,36
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,73,35,55
प्रभारित				
मूल	3	16,52	15,57	- 95
अनुपूरक	16,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				95

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,810.70 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 21,827.70 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 11,326.63 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 42 -(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] आर.एम.सी. से स्थानान्तरित प्रोरेटा-प्रतिबद्ध			
मू.	150.38
पु.	- 150.38
31 मार्च 2025 को ₹ 150.38 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) राना प्रताप सागर बांध			
[01] अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	240.24
पु.	- 240.24
31 मार्च 2025 को ₹ 240.24 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,575.32	13,011.94	11,835.88
पु.	- 1,563.38		- 1,176.06
31 मार्च 2025 को ₹ 1,563.38 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मु.अ.इ.गा.न.प. बीकानेर के माध्यम से)			
[02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,011.59	3,600.08	3,599.96
पु.	- 411.51		- 0.12
₹ 411.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विद्युत वितरण एवं जलपूर्ति पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 42 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मु.अ.इ.गा.न.प. बीकानेर के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	3,043.85		
पु.	- 312.93	2,730.92	2,730.92 ..
₹ 312.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(09) मु.अ.इ.गा.न.प. जैसलमेर के माध्यम से			
[01] मरम्मत एवं रखरखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	242.00		
पु.	- 207.95	34.05	34.05 ..
₹ 207.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,104.15		
पु.	- 233.91	870.24	873.19 +2.95
₹ 233.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
36. जयसमन्द ई.आर.एम.			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	882.46		
पु.	- 4.91	877.55	630.90 - 246.65
31 मार्च 2025 को ₹ 4.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने और ₹ 246.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू .	4,713.23		
अ.	0.01	2,546.10	2,546.04
पु .	- 2,167.14		- 0.06

₹ 2,167.14 लाख की प्रत्याशित बचत अनुसंधान, मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन/कटौति अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबन्धन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य- प्रतिबद्ध			
मू .	10,250.00		
पु .	- 248.34	10,001.66	10,809.87
			+808.21

31 मार्च 2025 को ₹ 248.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 808.21 लाख के अतिरिक्त व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	60,017.79			
पु .	1,581.74	61,599.53	55,372.55	- 6,226.98

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,581.74 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 6,226.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

5. **उचन्त लेन-देन:** लघु शीर्ष "उचन्त" अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यां का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उचन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।			
(iii) वर्कशाप उचन्त -सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।			

2024-25 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
राजस्व *				
स्टॉक	(+ 464.99	105.08	105.35	(+ 464.72
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 382.83	146.54	114.33	(+ 415.04
योग	(+ 847.82	251.62	219.68	(+ 879.76

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 77,246.36 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 77,335.55 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भाखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण			
मू .	200.00	35.76	35.76
पु .	- 164.24		..

31 मार्च 2025 को ₹ 164.24 लाख का प्रावधान स्वीकृत कार्यों की धीमी प्रगति एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू .	8,203.23		
		4,637.99	4,637.99
पु .	- 3,565.24		..
₹ 3,565.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[17] डॉ. करणी सिंह जलोत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)			
मू .	2,666.55		
		2,088.18	2,088.18
पु .	- 578.37		..
₹ 578.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुआवजे, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू .	1,773.00		
		1,126.08	1,126.07
पु .	- 646.92		- 0.01
₹ 646.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुआवजे, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू .	14,394.45		
		9,602.87	9,586.02
पु .	- 4,791.58		- 16.85
₹ 4,791.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नहर और शाखाओं के मुआवजे पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट (कवरसेन लिफ्ट) योजना (मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से)			
[01] विस्तार			
मू.	3,000.00		
अ.	0.01	1,591.64	1,591.64
पु.	- 1,408.37		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,408.37 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[01] द्वितीय चरण की नहरों के पुनरोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य, मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
मू.	1,790.00		
पु.	- 1,339.10	450.90	450.90
31 मार्च 2025 को ₹ 1,339.10 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(11) इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण द्वितीय चरण			
[01] मु.अ., इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI)			
मू.	2,870.00		
पु.	- 1,975.31	894.69	894.69
31 मार्च 2025 को ₹ 1,975.31 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(12) इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वितीय चरण			
[01] चारणवाला शाखा नहर प्रणाली का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVII)			
अ .	3,870.00		
		3,301.84	3,301.84
पु .	- 568.16		..
31 मार्च 2025 को ₹ 568.16 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन			
[01] सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम			
मू .	3,422.46		
		1,113.73	1,113.72
पु .	- 2,308.73		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 2,308.73 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) रतनपुरा वितरिका			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	150.00		
		43.85	43.85
पु .	- 106.15		..
31 मार्च 2025 को ₹ 106.15 लाख का प्रावधान नई परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब तथा स्वीकृत कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू .	223.44		
		23.89	23.89
पु .	- 199.55		..
31 मार्च 2025 को ₹ 199.55 लाख का प्रावधान तकनीकी कारणों से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निविदाये आमंत्रित नहीं करने तथा समय विस्तार प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक)(मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) पंजाब में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू .	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा फिरोजपुर फीडर की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अन्तिमीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	50,999.99	37,160.77	37,160.76
पु .	- 13,839.22		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 13,839.22 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	10,200.00	7,193.13	..
पु .	- 3,006.87	7,193.13	..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,006.87 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
39. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	10,200.01	5,884.07	..
पु .	- 4,315.94	5,884.07	..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,315.94 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
39. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
190. सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
मू.	13,600.00
पु.	- 13,600.00
31 मार्च 2025 को ₹ 13,600.00 लाख का समस्त प्रावधान पूंजी निवेश प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य मदों में पुनर्विनियोजन किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	204.00	2.56	2.56
पु.	- 201.44
31 मार्च 2025 को ₹ 201.44 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	18,700.00	10,447.31	10,447.31
पु.	- 8,252.69
31 मार्च 2025 को ₹ 8,252.69 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	49,195.04	27,027.10	27,039.03
पु.	- 22,167.94	..	+ 11.93

₹ 22,167.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पी.एम.यू. कार्यालय के लिए विशेषज्ञ एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं करने तथा (ii) पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा मशीनरी, उपकरणों की खरीद नहीं करने एवं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के एक दिवसीय प्रशिक्षण, प्रदर्शन तथा भ्रमण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	475.43	69.62	69.62
पु.	- 405.81		..
31 मार्च 2025 को ₹ 405.81 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,020.00	883.57	883.57
पु.	- 136.43		..
31 मार्च 2025 को ₹ 136.43 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	12,137.24	1,941.24	2,032.90
पु.	- 10,196.00		+91.66

₹ 10,196.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अत्यधिक तकनीकी कार्य को चरणबद्ध तरीके से किये जाने हेतु कोटा बैराज, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने, (ii) पार्वती एवं छापा बांध के प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट (पीएसटी) की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, (iii) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर के स्तर पर माही बांध का जी.एस.टी. का मामला लम्बित रहने, (iv) कोषालय द्वारा निधियां जारी नहीं करने से जवाई, पांचना एवं मातृकुण्डिया बांधों के बिलों का भुगतान नहीं होने, (v) उपकरण चयन हेतु केन्द्रीय जल आयोग की विशेषज्ञ अनुशंसा पर निविदा दस्तावेजों का अन्तिमिकरण नहीं होने, (vi) उदयपुर में आयोजित बांध सुरक्षा सम्मेलन के बिलों का कोषालय द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण व्यय में देरी तथा सुरक्षा के कारण पोलावरम बांध के दो दौरें रद्द होने एवं एक अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण दौरा का वित्तीय वर्ष 2025-26 को पुनर्निधारित करने, (vii) ड्रिप-ग परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ईएपी मसौदा हेतु 3 दिनों के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होना तथा (viii) वित्त विभाग द्वारा नदी बेसिन परामर्श प्रस्ताव हेतु स्वीकृति लम्बित रहने तथा योग्य विशेषज्ञ द्वारा ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) में रुचि नहीं दिखाने से निविदायें नहीं दिये जाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	2,410.50		
पु.	- 296.64	2,113.86	2,113.86 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 296.64 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[01] परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (सामान्य)			
मू.	8,160.00		
पु.	- 4,080.78	4,079.22	4,079.21 - 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 4,080.78 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	13,633.99		
पु.	- 1,747.87	11,886.12	11,886.12 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,747.87 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	224.40		
पु.	- 224.40	..	- 0.22 - 0.22
31 मार्च 2025 को ₹ 244.40 लाख का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, के माध्यम से) (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता)			
मू. 14,793.00			
पु. - 8,521.90	6,271.10	6,270.92	- 0.18
₹ 8,521.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्य निर्माण कार्यों एवं कार्यालय कार्य पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(01) घग्घर बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य			
मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू. 870.24			
पु. - 460.75	409.49	409.49	..

₹ 460.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[23] वीर तेजाजी जलोत्थान योजना (बांगडसर लिफ्ट योजना)			
मू. 242.05			
पु. 110.98	353.03	353.03	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.98 लाख की अतिरिक्त निधियां नहरों के निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)			
[01] चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	6,000.00	8,689.35	8,689.35
पु.	2,689.35		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,689.35 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) द्वितीय चरण			
[01] मु.अ., इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	3,000.00	3,508.92	3,499.28
पु.	508.92		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 508.92 लाख की अतिरिक्त निधियां मशीनरी एवं उपकरणों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 9.64
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	13,530.00	20,688.82	20,688.82
पु.	7,158.82		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,158.82 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	9,859.99	19,105.85	19,105.78
पु.	9,245.86		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,245.86 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 0.07

अनुदान संख्या 42 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	523.00		
पु.	239.86	762.86	762.86
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 239.86 लाख की अतिरिक्त निधियां आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	4,317.99		
पु.	1,675.95	5,993.94	5,993.94
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,675.95 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	1,020.00		
पु.	685.51	1,705.51	1,705.51
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 685.51 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
69. राजगढ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	680.00		
पु.	130.12	810.12	810.12
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.12 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	8,223.06		
पु.	2,998.55	11,221.61	11,221.57
			- 0.04
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,998.55 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 42 - (समाप्त)
कुल अनुदान

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
101. सतही जल		
(12) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य		
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से		
मू.	612.00	
पु.	140.41	
	752.41	752.41 ..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.41 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।		
101. सतही जल		
(13) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना		
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर		
मू.	7,367.12	
पु.	6,132.70	
	13,499.82	13,499.82 ..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,132.70 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।		
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
01. बाढ़ नियंत्रण		
103. सिविल निर्माण कार्य		
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य		
[03] अन्य जिले		
मू.	4,095.00	
पु.	1,142.35	
	5,237.35	5,237.35 ..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,142.35 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।		
5. उचन्त लेन-देन : 2024-25 में पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-		

"उचन्त" के अंतर्गत शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
स्टॉक	(-) 4,366.18	35.84	57.64	(-) 4,387.98
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,765.78	22.77	21.65	(-) 2,764.66
योग	(-) 7,131.96	58.61	79.29	(-) 7,152.64

अनुदान संख्या 43 – सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई और
2705. कमान क्षेत्र विकास
पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	89,45,31	89,45,31	80,16,97	-9,28,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				9,28,29
प्रभारित				
मूल	10	10	..	- 10
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,62,59,86	4,62,59,86	3,54,70,82	-1,07,89,04
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,05,38,48
प्रभारित				
मूल	21,53	21,53	21,45	- 8
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				8
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

अनुदान संख्या 43 -(क्रमशः)
कुल अनुदान

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[03] निर्देशन प्रशासन (गंगनहर परियोजना क्षेत्र) फेज-II			
मू.	596.35	526.92	524.44
पु.	- 69.43		- 4.48
₹ 69.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(02) गंगनहर फेज-II			
[01] मुख्य अभियंता, सी.ए.डी., बीकानेर का निर्देशन एवं प्रशासन संबंधी व्यय			
मू.	1,358.81	1,196.26	1,196.26
पु.	- 162.55		..
₹ 162.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की पदोन्नती एवं अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 10,789.04 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 250.56 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निर्देशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	4,000.00	1,476.02	1,476.02
पु.	- 2,523.98		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,523.98 लाख का प्रावधान सी.ए.डी. कोटा में चम्बल दाहिनी मुख्य नहर में 0 किमी से 57.50 किमी तक पेवर मशीन द्वारा सीमेंट कंक्रीट लाईनिंग के शेष कार्य की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निर्देशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[10] जल निकास			
मू.	1,296.01	168.94	168.93
पु.	- 1,127.07		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 1,127.07 लाख का प्रावधान जुलाई से सितम्बर तक शाखा में पानी प्रवाह के कारण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 43 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[18] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण आर.आई.डी.एफ.-XXII			
मू.	2,160.00		
		972.17	972.17
पु.	- 1,187.83		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,187.83 लाख का प्रावधान सीएडी चम्बल को लक्ष्मीपुरा, हरिपुरा और मऊ वितरिकाओं एवं उनकी लघु शाखाओं के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास के कार्यों की धीमी प्रगति तथा खातोली वितरिका प्रणाली के दूसरे बकाया कार्य के समयावधि प्रकरण में आपत्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[19] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ.-XXIII			
मू.	317.10		
	
पु.	- 317.10		..
31 मार्च 2025 को ₹ 317.10 लाख का समस्त प्रावधान पलैथा उप-शाखा एवं उसकी लघु शाखाओं (0 किमी से 12.30 किमी तक) के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कार्य से संबंधित के बकाया कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक विवाद होने से निविदा में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[20] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ.-XXV			
मू.	613.00		
		302.78	302.78
पु.	-310.22		..
31 मार्च 2025 को ₹ 310.22 लाख का प्रावधान ईटावा शाखा नहर प्रणाली 45 किमी से 66.04 किमी एवं उसकी वितरिकाओं के पुनरुद्धार के कार्यों का अन्तिम बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाई मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	10,080.00		
		8,959.04	8,959.04
पु.	- 1,120.96		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,120.96 लाख का प्रावधान खरीफ फसलों के लिए शाखा में पानी के प्रवाह के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 43 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाई मुख्य नहर)			
[13] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ.-XXII			
मू .	212.42
पु .	- 212.42		
31 मार्च 2025 को ₹ 212.42 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाई मुख्य नहर)			
[15] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ.-XXV			
मू .	2,880.00	1,890.65	1,890.65
पु .	- 989.35		..
31 मार्च 2025 को ₹ 989.35 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित होने के उपरान्त ईलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस) से भुगतान जारी नहीं होने एवं ठेकेदार के अन्तिम बिल का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
101. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास			
(05) मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से भूमि विकास कार्य			
[01] भूमि विकास कार्य-स्टेज-I			
मू .	4,000.00	2,597.97	2,595.37
पु .	- 1,402.03		- 2.60
31 मार्च 2025 को ₹ 1,402.03 लाख का प्रावधान (i) लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्यों की धीमी प्रगति तथा (ii) बरसात के कारण पक्का खल्ला कार्य बाधित होने, फसलों की कटाई, एलाईन्मेंट विवाद, अदालती मामले एवं कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
105. सिद्धमुख नोहर परियोजना			
(04) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय विकास, (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) बीकानेर के माध्यम से			
मू .	3,295.88	1,843.80	1,822.81
पु .	- 1,452.08		- 20.99
31 मार्च 2025 को ₹ 1,452.08 लाख प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्यों की धीमी प्रगति तथा (ii) बरसात के कारण पक्का खल्ला कार्य बाधित होने, फसलों की कटाई, एलाईन्मेंट विवाद, अदालती मामले एवं कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 43 -(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फैंज-II			
मू.	3,800.00		
पु.	- 3,477.20		
	322.80	117.90	- 204.90
31 मार्च 2025 को ₹ 3,477.20 लाख का प्रावधान केन्द्रांश देरी से प्राप्त होने एवं योजना में रूचि नहीं दिखाने के कारण एफडीआर तैयार नहीं होने हो सकी। इसलिए ₹ 3,477.20 लाख का प्रावधान दिनांक 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	4,320.00		
पु.	1,928.56		
	6,248.56	6,248.56	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,928.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
103. भाखडा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02] अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	1,230.00		
अ.			
पु.	429.36		
	1,659.36	1,653.97	- 5.39
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 429.36 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
108. भाखडा सिंचाई परियोजना			
(01) भाखडा नहर परियोजना			
[01] भूमि विकास कार्य (मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. बीकानेर के माध्यम से)			
मू.	6,150.00		
पु.	1,270.50		
	7,420.50	7,403.83	- 16.67
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,270.50 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 44 – सार्वजनिक निर्माण विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
 2216. आवास,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी और
 3054. सड़क तथा सेतु
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	29,41,36,29	33,61,15,01	31,78,03,29	-1,83,11,72
अनुपूरक	4,19,78,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,20,96,25
प्रभारित				
मूल	81,13	1,17,88	1,16,60	- 1,28
अनुपूरक	36,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,28
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	81,73,69,42	85,77,38,13	86,52,24,53	+ 74,86,40
अनुपूरक	4,03,68,71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				30,48,34
टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 18,311.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 41,978.72 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 18,311.72 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 22,096.25 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	8,069.45	7,037.48	7,033.87
पु.	- 1,031.97		

₹ 1,031.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	30,070.71	27,063.94	27,051.42
पु.	- 3,006.77		

₹ 3,006.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन			
[05] वास्तुकला-प्रतिबद्ध			
मू.	784.57	529.55	529.56
पु.	- 255.02		

₹ 255.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	909.76	738.23	738.21
पु.	- 171.53		

₹ 171.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	1,100.77	831.12	831.12
पु .	- 269.65		..
31 मार्च 2025 को ₹ 269.65 लाख का प्रावधान मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू .	9,008.96	6,518.51	6,516.50
पु .	- 2,490.45		- 2.01
₹ 2,490.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत			
मू .	108.40
पु .	- 108.40		..
31 मार्च 2025 को ₹ 108.40 लाख का समस्त प्रावधान विज्ञापन, बिक्री, प्रचार एवं संवर्धन पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत			
मू .	114.50
पु .	- 114.50		..
31 मार्च 2025 को ₹ 114.50 लाख का समस्त प्रावधान विज्ञापन, बिक्री, प्रचार एवं संवर्धन पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[02] आधुनिकीकरण			
मू .	1,051.00
पु .	- 1,051.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,051.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटरीकरण एवं संबंधित संचार व्यय पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु 04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] जिला सड़कें- प्रतिबद्ध	मू. 6,501.86 पु. - 1,427.42	5,074.44	5,072.96 - 1.48
31 मार्च 2025 को ₹ 1,427.42 लाख का प्रावधान मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) ग्रामीण सड़कें [01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत- प्रतिबद्ध	मू. 32,401.09 पु. - 6,609.32	25,791.77	25,777.74 - 14.03
31 मार्च 2025 को ₹ 6,609.32 लाख का प्रावधान मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 14.03 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) ग्रामीण सड़कें [06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें	मू. 1,000.00 पु. - 492.90	507.10	507.10 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 492.90 लाख का प्रावधान कार्यालय व्यय पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य 800. अन्य व्यय (01) भारतीय सड़क कांग्रेस एवं अन्य समकक्ष संस्थान- प्रतिबद्ध	मू. 210.00 पु. - 188.58	21.42	21.42 ..
31 मार्च 2025 को ₹ 188.58 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण, दौरे एवं सम्मेलन पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 44 –(क्रमशः)

4. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100 प्रतिशत केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	2,339.37		
अ.	6,946.39	8,925.26	12,750.37 + 3,825.11
पु .	- 360.50		

फरवरी 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,946.39 लाख का प्रावधान सीमा सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए अपर्याप्त था।

31 मार्च 2025 को ₹ 360.50 लाख का प्रावधान रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 3,825.11 लाख की अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

5. केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि से सहायता:- मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राज्य सरकार द्वारा अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान भारत सरकार से मुख्य शीर्ष 1601 के अन्तर्गत ₹ 1,12,067.00 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष के अहस्तान्तरित शेष ₹ 5,945.00 लाख सहित कुल निधि ₹ 1,18,012.00 लाख इस निधि में हस्तान्तरित किये गये। इस हस्तान्तरण के विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 1,18,011.98 लाख अनुमोदित योजनाओं पर व्यय किया गया।

31 मार्च 2025 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 0.02 लाख शेष था।

2024-25 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" तथा विवरण संख्या 14 में प्राप्त अर्थसहाय्य मुख्य शीर्ष "1601-08-108" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

- व्यय अनुदान से ₹ 74,86,40,119 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 7,486.40 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 40,368.71 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू .	34,345.00	43,378.77	43,279.96
पु .	9,033.77		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,033.77 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 98.81 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	56,055.69	68,008.61	68,205.80
पु .	11,952.92		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,952.92 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 197.19 लाख की अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(18) पूँजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
अ .	0.01	4,322.85	4,320.52
पु .	4,322.84		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,322.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	137.35		
पु .	136.72	274.07	- 16.50
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(20) ग्रामीण सड़कें			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	0.01		
पु .	449.09	449.10	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(21) शहरी सड़कें			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	0.01		
पु .	707.02	707.03	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(25) आर.एस.आर.डी.सी. को देय एन्युटी एवं मार्जिन मनी			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	2,350.00		
पु .	6,802.12	9,152.12	..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,094.95 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-337(17) [01]" के अन्तर्गत ₹ 16.50 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू .	10,303.50		
पु .	1,918.91	12,222.41	12,183.44
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	8,242.80		
पु .	8,226.01	16,468.81	16,162.62
			- 38.97
			- 306.19

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,144.92 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-800(06) एवं 04-800(14) [90]" के अन्तर्गत ₹ 345.16 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)			
मू .	3,434.50		
पु .	- 1,920.00	1,514.50	1,514.46
			- 0.04

31 मार्च 2025 को ₹ 1,920.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण			
[01] एन.सी.आर. सड़क निर्माण कार्य			
मू .	200.00		
पु .	- 133.34	66.66	66.66
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 133.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 44 -(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	686.90		
पु .	- 480.95	205.95	185.58
31 मार्च 2025 को ₹ 480.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। ₹ 20.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			- 20.37
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[04] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	8,242.80		
पु .	- 6,943.04	1,299.76	1,295.37
31 मार्च 2025 को ₹ 6,943.04 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 4.39
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[05] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	50,693.22		
पु .	- 26,947.39	23,745.83	23,744.16
31 मार्च 2025 को ₹ 26,947.39 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 1.67
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	20,607.00		
अ.	9,261.72	19,725.87	19,725.51
पु .	- 10,142.85		
फरवरी 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,261.72 लाख का प्रावधान नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सड़कों के निर्माण के लिए लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2025 को ₹ 10,142.85 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 0.36

अनुदान संख्या 44 –(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(19) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	0.01		
अ .	10,499.99	4,993.67	4,930.00
पु .	- 5,506.33		- 63.67

फरवरी 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,499.99 लाख का प्रावधान सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2025 को ₹ 5,506.33 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित तथा ₹ 63.67 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
004. अनुसंधान			
(01) गुण नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्माण कार्यों का निरीक्षण			
[01] निर्माण कार्यों का निरीक्षण			

मू .	3,716.30		
पु .	- 916.37	2,799.93	2,799.90
			- 0.03

31 मार्च 2025 को ₹ 916.37 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू .	32,375.00		
पु .	- 2,491.36	29,883.64	42,690.91
			+ 12,807.27

31 मार्च 2025 को ₹ 2,491.36 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

₹ 12,807.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 45 – वन एवं पर्यावरण विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत
 परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	13,21,72,61	13,21,72,61	9,76,35,24	- 3,45,37,37
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,45,27,45
प्रभारित				
मूल	1,80,00	2,27,00	1,66,65	- 60,35
अनुपूरक	47,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				60,35
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	5,35,87,64	5,35,87,64	3,36,88,01	-1,98,99,63
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,98,92,18
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 34,537.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9.92 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 45-(क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	4,169.35	3,683.24	3,683.24
पु .	- 486.11		

₹ 486.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नई भर्ती नहीं करने एवं पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. वानिकी
001. निदेशन तथा प्रशासन
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध

मू .	60,945.57	52,209.18	52,204.98	- 4.20
पु .	- 8,736.39			

₹ 8,736.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नई भर्ती नहीं करने एवं पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा ((ii) कोषालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
(06) संघनन सीमा निर्धारण तथा बन्दोबस्त कार्य

मू .	413.76	233.74	233.43	- 0.31
पु .	- 180.02			

31 मार्च 2025 को ₹ 180.02 लाख का प्रावधान अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. वानिकी
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण
(07) परिभ्रांशित वनों का पुनरापण

मू .	1,138.64	923.31	923.31	..
पु .	- 215.33			

31 मार्च 2025 को ₹ 215.33 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 45- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(10) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन)			
मू.	982.19	667.17	667.17
पु.	- 315.02		..
31 मार्च 2025 को ₹ 315.02 लाख का प्रावधान कम्प्यूटीकरण एवं संबंधित संचार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(19) जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोक			
मू.	5,060.83	3,517.42	3,512.74
पु.	- 1,543.41		- 4.68
31 मार्च 2025 को ₹ 1,543.41 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.68 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(22) राजस्थान वानिकी एवं जैव- विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.बी.डी.पी.)			
[01] बाह्य सहायता (एएफडी)			
मू.	14,750.80	8,499.88	8,499.88
पु.	- 6,250.92		..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,250.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II			
मू.	149.93	40.00	40.00
पु.	- 109.93		..
31 मार्च 2025 को ₹ 109.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 45- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायतीराज संस्थानों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का संस्थापन व्यय			
[01] जिला परिषदों को अनुदान (सामान्य)			
मू .	910.00		
पु .	- 362.68	547.32	547.32
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 362.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
[01] बाघ परियोजना, रणथम्भोर			
मू .	5,626.77		
पु .	- 1,790.14	3,836.63	3,836.64
			+ 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 1,790.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का रख-रखाव			
मू .	1,112.03		
पु .	- 656.54	455.49	454.91
			- 0.58
₹ 656.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए)			
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण			
[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय			
मू .	6,370.00		
पु .	- 2,891.05	3,478.95	3,478.43
			- 0.52
31 मार्च 2025 को ₹ 2,891.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 45- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए)			
(03) समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना			
[01] समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना के तहत व्यय			
मू .	700.00		
पु .	- 119.80	580.20	580.20
31 मार्च 2025 को ₹ 119.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू .	17,072.00		
पु .	- 9,805.06	7,266.94	7,265.92
31 मार्च 2025 को ₹ 9,805.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,072.76 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 732.30 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			- 1.02
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण (एससीए)			
(06) अन्य			
[01] अन्य के तहत व्यय			
मू .	167.00		
पु .	- 120.14	46.86	46.86
31 मार्च 2025 को ₹ 120.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(10) सांभार लेक मैनेजमेन्ट एजेंसी			
[01] पर्यावरण विभाग के माध्यम से			
मू .	100.00		
पु .	- 100.00
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	180.00		
अ.	47.00	166.65	166.65
पु.	- 60.35		..

31 मार्च 2025 को ₹ 60.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 19,899.63 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7.45 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(01) परिभ्रांशित वनों का पुनरारोपण			
मू.	17,258.50		
पु.	- 5,313.11	11,945.39	11,943.84
			- 1.55

31 मार्च 2025 को ₹ 5,313.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,878.47 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,434.64 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(07) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थिकीय पर्यटन)			
मू.	400.00		
पु.	-398.80	1.20	1.20
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 398.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक			
मू.	11,023.73		
पु.	- 3,554.52	7,469.21	7,468.58
			- 0.63

31 मार्च 2025 को ₹ 3,554.52 लाख का प्रावधान वृक्षारोपण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य			
मू.	358.40
पु.	- 358.40
31 मार्च 2025 को ₹ 358.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(14) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पुर्नवृक्षारोपण			
[01] वनारोपण			
मू.	2,335.07
पु.	- 2,335.07
31 मार्च 2025 को ₹ 2,335.07 लाख का समस्त प्रावधान वृक्षारोपण कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(15) जूलीफलोरा उन्मूलन एवं स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का पुर्नवृक्षारोपण			
[01] वनारोपण			
मू.	350.00	226.73	+ 3.45
पु.	- 123.27	230.18	
31 मार्च 2025 को ₹ 123.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	4,154.88	3,335.72	- 0.39
पु.	- 819.16	3,335.33	
31 मार्च 2025 को ₹ 819.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(01) फर्म वन विद्या			
मू.	6,034.83	5,190.68	- 6.62
पु.	- 844.15	5,184.06	
31 मार्च 2025 को ₹ 844.15 लाख का प्रावधान वृक्षारोपण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 6.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(01) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	656.19		
पु.	- 527.93	128.26	128.26
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 527.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीवन			
(06) बाघ परियोजना			
मू.	2,991.02		
पु.	- 2,907.59	83.43	83.43
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,907.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीव			
(16) आकल बुड फौसिल पार्क			
[01] विकास कार्य			
मू.	500.00		
पु.	- 500.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान जैसलमेर के आकल बुड फौसिल पार्क में कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीव			
(19) वाईल्ड लाईफ रेस्क्यू सेन्टर			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	250.00		
पु.	- 184.76	65.24	65.24
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 184.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 45 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
111. चिडियाघर			
(02) पक्षी राहत केन्द्र			
मू.	1,038.01		
पु.	- 896.60	141.41	140.13
			- 1.28
31 मार्च 2025 को ₹ 896.60 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) ईकों टूरिज्म लवकुश वाटिका			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,600.00		
पु.	- 866.28	1,733.72	1,733.71
			- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 866.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(02) बोटेनीकल गार्डन			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	500.01		
पु.	- 179.75	320.26	320.26
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 179.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण			
मू.	1,600.00		
पु.	- 902.63	697.37	697.21
			- 0.16
31 मार्च 2025 को ₹ 902.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 45 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
800. अन्य व्यय			
(02) स्मार्ट ग्रीन सिटी			
[01] नगरीय वन			
मू.	811.16		
पु.	- 553.74	257.42	- 0.22

31 मार्च 2025 को ₹ 553.74 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	1,231.99	1,232.00	..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,231.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीव			
(18) गोडावन एवं चारागाह क्षेत्र का विकास एवं संरक्षण			
[01] विकास कार्य			
मू.	250.00		
पु.	202.65	452.65	- 0.05

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 202.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 46 – कृषि विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2401. फसल कृषि-कर्म,
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
पूंजी – 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	34,75,15,62	35,45,33,76	25,25,28,01	-10,20,05,75
अनुपूरक	70,18,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				10,19,92,50
प्रभारित				
मूल	1,00	6,22	5,20	- 1,02
अनुपूरक	5,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,02
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,49,58,67	2,04,30,59	1,48,79,72	- 55,50,87
अनुपूरक	54,71,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				55,50,87

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,018.14 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,02,005.75 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 13.25 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) जिला संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,873.11		
पु .	- 322.19		
₹ 322.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने (ii) अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया वेतन बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गई।			
		1,550.92	- 0.01
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू .	2,628.00		
पु .	- 2,084.50		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,084.50 लाख का प्रावधान एस एन ए-स्पर्श पोर्टल के माध्यम से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
		543.50	..
105. खाद तथा उर्वरक			
(11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू .	2,243.02		
पु .	- 417.55		
₹ 417.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोषालय द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं होने तथा (ii) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य योजनान्तर्गत कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
		1,825.47	- 0.02
107. वनस्पति रक्षण			
(06) नॉम-इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू .	775.31		
पु .	- 114.19		
₹ 114.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोषालय द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं होने, (ii) प्रयोगशाला के लिए सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने तथा (iii) मशीनरी और अन्य उपकरणों की निविदा प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने को आरोपित की गयी।			
		661.12	- 0.02
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(02) कृषि सूचना			
मू .	796.00		
पु .	- 559.15		
31 मार्च 2025 को ₹ 559.15 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) राज संवाद (डीआईपीआर) द्वारा मार्च 2025 में फर्मों का मनोनयन होने, (ii) किसान महोत्सव 2023 के लिए बिलों के अन्तिम भुगतान का निर्धारण नहीं होने, (iii) अनुबन्ध निष्पादन प्रक्रिया में देरी होने तथा (iv) मांग एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में आरआईएसएल को राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
		236.85	- 0.01

अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू.	2,001.75	1,564.09	1,564.10
पु.	- 437.66		
31 मार्च 2025 को ₹ 437.66 लाख का प्रावधान मुख्य रूप से वेतन के ऋणात्मक मद में जमा नहीं कराने से जनवरी, 2025 से एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवम रोपण सामग्री			
मू.	1,718.77	1,417.73	..
पु.	- 301.04		
31 मार्च 2025 को ₹ 301.04 लाख का भारत सरकार से एसएमएसपी योजना में द्वितीय मदर सेक्शन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(20) राजस्थान कृषि विकास योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,360.00
पु.	- 1,360.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,360.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के प्रथम वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों का निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(23) जैविक एवं परम्परागत कृषि बोर्ड			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	100.00
पु.	- 100.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
110. फसल बीमा			
(02) फसल बीमा कृषि विभाग के अभिकरण			
(50 प्रतिशत राज्यांश 50 प्रतिशत केन्द्रीयंश)			
मू.	1,40,000.00	71,810.36	71,810.36
पु.	- 68,189.64		
31 मार्च 2025 को ₹ 68,189.64 लाख का प्रावधान (i) कोषालय द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं होने तथा (ii) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में यस-टेक, विंड्स एवं स्पम गतिविधियों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 60,137.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,052.39 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	528.55	367.75	367.75
पु.	- 160.80		..
31 मार्च 2025 को ₹ 160.80 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से द्वितीय मंदर सेंक्शन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	15,460.95	12,276.33	12,276.32
पु.	- 3,184.62		- 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 3,184.62 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से द्वितीय मंदर सेंक्शन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज			
मू.	639.08	450.76	450.76
पु.	- 188.32		..
31 मार्च 2025 को ₹ 188.32 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से द्वितीय मंदर सेंक्शन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	5,442.00	2,017.98	2,017.98
पु.	- 3,424.02		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,424.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रिकरण उप-मिशन के लिए निधियां देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	333.08	153.31	153.31
पु.	- 179.77		..
31 मार्च 2025 को ₹ 179.77 लाख का प्रावधान (i) राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से जिप्सम की मांग प्रस्तुत करने एवं वितरण की नयी प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप लक्ष्य के अनुसार किसानों को जिप्सम का कम वितरण होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	1,725.00	1,197.44	1,197.44
पु.	- 527.56		
31 मार्च 2025 को ₹ 527.56 लाख का प्रावधान साईबर कोषालय द्वारा मार्च, 2025 के अन्तिम तीन दिनों के दौरान बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पौष्टिक अनाज			
मू.	7,589.82	2,967.90	2,967.90
पु.	- 4,621.92		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,621.92 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से द्वितीय मदर सेंक्शन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय तथा (iii) भारत सरकार द्वारा मिनिकिट का आवंटन नहीं करने के परिणामस्वरूप परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[38] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	3,984.00	3,428.32	3,428.31
पु.	- 555.68		
₹ 555.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः एसएनए-स्पर्श के माध्यम से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			-0.01
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	27,830.22	30,532.11	30,530.34
अ.	7,017.96		
पु.	- 4,316.07		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,316.07 लाख का प्रावधान (i) जनवरी, 2025 में नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण और नियमितीकरण एवं संभावित नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने तथा (ii) यात्रा भर्तों बिलों के समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण यात्रा भर्तों पर कम व्यय होने तथा संसदीय चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से स्थानान्तरण पर रोक के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 1.77
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	5,971.70	3,076.62	3,076.61
पु.	- 2,895.08		
₹ 2,895.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) एसएनए-स्पर्श के माध्यम से योजनान्तर्गत आय-व्यय की नयी प्रणाली प्रारम्भ होने में विलम्ब होने तथा (ii) अनुबंधित फर्म द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की समय पर आपूर्ति नहीं करने तथा उपकरणों की स्थापना में देरी होने को आरोपित की गयी।			- 0.01

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मु.	444.40	61.78	61.78
पु.	- 432.62		..
₹ 432.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया में देरी होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता से हुए व्यय होने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	6,806.90	3,148.49	3,148.50
पु.	- 3,658.41		+0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 3,658.41 लाख का प्रावधान (i) दिसम्बर, 2024 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से व्यय होने तथा (ii) सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में गत वर्ष की अव्यतीत राशि की उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (सी.ए.60 प्रतिशत)			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता			
मू.	7,940.00	679.20	679.20
पु.	- 7,260.80		..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,260.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (सी.ए.100 प्रतिशत)			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता			
मू.	706.00	82.31	82.31
पु.	- 623.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 623.69 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 46 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू.	0.01		
अ.	0.04	178.19	178.20
पु.	178.14		+0.01
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटीकरण एवं संबंधित संचार व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	1,275.80		
पु.	149.49	1,425.29	1,425.29
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 149.49 की अतिरिक्त निधियां नये पदस्थापन, परिवीक्षा के बाद वेतन नियमितीकरण, पदोन्नती, एसीपी/एमएसीपी प्रकरण, चतुर्थ श्रेणी के वेतन का पुनर्निर्धारण, स्थानान्तरित कर्मचारियों का वेतन भुगतान, मंहगाई भत्ते में वृद्धि/बकाया, अवकाश नकदीकरण आदि मामलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	950.00		
पु.	2,336.47	3,286.47	3,286.47
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,336.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि शिक्षा हेतु छात्राओं को बढी हुई दर पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं छात्राओं से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	895.25		
पु.	502.64	1,397.89	1,397.89
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 502.64 लाख की अतिरिक्त निधिया (i) वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा (ii) वर्ष 2023-24 की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू.	1,180.00		
पु.	180.50	1,360.50	1,360.50
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.50 लाख की अतिरिक्त निधिया राज्य की एमबीएसवाई योजना को भारत सरकार की एमएमएसपी योजना के साथ संरेखित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 46 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(01) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	489.51		
पु .	249.99		
		739.50	739.50
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 249.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के चारदीवारी क्षेत्र के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[01] स्वामी केशवानन्द राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	4,843.50		
पु .	500.00		
		5,343.50	5,343.50
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वेतन एवं भत्तों में वृद्धि होने तथा (ii) नयी भर्ती के वेतन एवं भत्तों के संशोधित अनुमानों में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	10,680.00		
पु .	1,328.00		
		12,008.00	12,008.00
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,328.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	3,954.00		
पु .	501.00		
		4,455.00	4,455.00
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 501.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 46 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,471.92 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	1,680.00		
पु .	- 480.87	1,199.13	1,199.13
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 480.87 लाख का प्रावधान निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य के लिए अग्रिम राशि हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(09) विश्वविद्यालयों को उधार			
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को कर्ज			
मू .	0.01		
अ.	4,999.99
पु .	- 5,000.00		

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,999.99 लाख का प्रावधान महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को ऋण हेतु उपलब्ध कराया गया।

31 मार्च 2025 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय के पास गत वर्ष की ऋण राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2403. पशु-पालन और
2405. मछली-पालन

पूंजी - 4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय और
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,09,86,62	15,09,86,83	13,22,30,36	-1,87,56,47
अनुपूरक	21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,87,56,10
प्रभारित				
मूल	3	4,92	3,89	- 1,03
अनुपूरक	4,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,03
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	48,28,78	61,61,76	38,08,48	-23,53,28
अनुपूरक	13,32,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				23,53,28

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय				
[02] पशुपालन विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू .	88,093.52	76,180.76	76,180.73	- 0.03
पु .	- 11,912.76			

₹ 11,912.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 47 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (सी ए 60 प्रतिशत)			
मू.	1,182.80		
अ.	0.01	657.11	657.12
पु.	- 525.70		+0.01
₹ 525.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(29) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट)			
मू.	7,265.78	6,080.78	6,080.78
पु.	- 1,185.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,185.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(15) राजस्थान लाइव स्टाक डवलपमेंट बोर्ड को सहायता			
मू.	200.00	100.00	100.00
पु.	- 100.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) पशुधन एवं पशुपालक बीमा			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,151.50
पु.	- 1,151.50		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,151.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(04) मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,099.99	2,000.00	2,000.00
पु.	- 3,099.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,099.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण			
(04) कौशल विकास एवं विस्तार			
[01] विकास एवं विस्तार			
मू.	600.02
अ.	0.01		..
पु.	- 600.03		..
31 मार्च 2025 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 47 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी			
दत्तमत			
1. फरवरी, 2025 में पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,332.98 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।			
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(11) जिला कार्यालय एवं पशु चिकित्सालय			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	1,541.75		
अ.	1,332.97	1,308.48	1,308.48
पु .	- 1,566.24		..
फरवरी, 2025 में पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,332.97 लाख का प्रावधान प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,566.24 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(14) पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उपकेन्द्रों का निर्माण- नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. T-XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	100.00
पु .	- 100.00
31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(16) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4405. मछली -पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
101. अन्तर्देशीय मछली-पालन			
(08) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना			
[01] मछली पालन विकास			
मू .	187.00
पु .	- 187.00
31 मार्च 2025 को ₹ 187.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना अन्तर्गत खारे पानी की प्रयोगशाला की स्थापना हेतु एसएनए खातों से भुगतान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 48 – उद्यानिकी विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2401. फसल कृषि-कर्म

पूंजी – 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	9,60,06,43		
अनुपूरक	54,05,93	10,14,12,36	7,82,64,01 -2,31,48,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			2,31,42,73
प्रभारित			
मूल	4,92		
अनुपूरक	1,82	6,74	6,73 - 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1

पूंजी

दत्तमत			
मूल	5,52,45		
अनुपूरक	31,64	5,84,09	5,84,09 ..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,405.93 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 23,148.35 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.62 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	9,276.02	4,888.55	4,888.46 - 1.09
पु.	- 4,387.47		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,387.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 48 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू .	30,335.22		
अ.	5,405.93	28,171.66	28,171.65
पु .	- 7,569.49		- 0.01
फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,405.93 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था। 31 मार्च, 2025 को ₹ 7,569.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(37) आटोमेशन पर सहायता			
मू .	600.00		
पु .	- 535.52	64.48	64.48
31 मार्च 2025 को ₹ 535.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(46) पीएम-कुसुम कंपोनेंट 'बी' हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	22,515.50		
पु .	- 2,408.16	20,107.34	20,107.34
31 मार्च 2025 को ₹ 2,408.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(47) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
(एम आई एफ- नाबार्ड)			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	24,500.00		
पु .	- 8,375.40	16,124.60	16,124.60
31 मार्च 2025 को ₹ 8,375.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 7,636.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 749.32 लाख) करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 48 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(52) मधुमक्खी पालन पर अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	350.00		
		58.40	58.40
पु .	- 291.60		..
31 मार्च 2025 को ₹ 291.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू .	0.01		
		469.92	469.92
पु .	469.91		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 469.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

**अनुदान संख्या 49 – गोपालन विभाग
(समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
2403. पशु-पालन और
2404. डेयरी विकास
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	20,26,87,14		
अनुपूरक	..	20,26,87,14	17,62,00,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-2,64,87,00
पूंजी			
मूल	50,00,01		
अनुपूरक	..	50,00,01	15,97,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			-34,02,95
			34,02,95

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 26,487.00 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9.25 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(20) गोपालन विभाग			
[01] निदेशालय गोपालन			
मू .	612.05		
पु .	- 145.62	466.43	466.43
			..

₹ 145.62 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

102. पशु तथा भैंस विकास
(20) गोपालन विभाग
[04] वध से बचाये गौ वंश हेतु अनुदान

मू .	130.00		
पु .	- 121.83	8.17	8.17
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 121.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

अनुदान संख्या 49 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष			
8229-00-104-(02) में अन्तरण (सामान्य)			
मू .	89,070.03		
पु .	- 12,508.03	76,562.00	76,562.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 12,508.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 12,498.06 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9.97 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

800. अन्य व्यय			
(02) गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	6,800.00		
पु .	- 6,800.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 6,800.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू .	22,000.00		
पु .	- 3,690.00	18,310.00	18,310.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,690.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूँजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू .	5,000.00		
पु .	- 3,402.94	1,597.06	1,597.06
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 3,402.94 लाख का प्रावधान निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 50 – सहकारिता विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
2425. सहकारिता

पूंजी –4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	19,75,00,55			
अनुपूरक	77,47,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		20,52,47,72	19,03,96,68	-1,48,51,04
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		1	..	- 1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	5,29,16			
अनुपूरक	6,24,84			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		11,54,00	8,63,02	-2,90,98

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 7,747.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 14,851.04 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹19.14 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] प्रधान एवं खण्ड कार्यालय संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	3,150.67		
पु .	- 480.62		
₹ 480.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	2,670.05	2,669.39	- 0.66
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) आयोग (ऋण माफी)			
[01] सहकारिता विभाग के माध्यम से			
अ .	337.09		
पु .	- 337.09		
31 मार्च 2025 को ₹ 337.09 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(25) कोर बैंकिंग			
मू .	4,487.00		
पु .	- 1,587.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,587.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	2,900.00	2,900.00	..
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(30) दीर्घकालीन ऋणियों के लिए ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से			
मू .	2,100.00		
पु .	- 283.86		
31 मार्च 2025 को ₹ 283.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गए (जुलाई 2025)।	1,816.14	1,816.14	..
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(31) राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋणियों को ब्याज अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू .	1,400.00		
पु .	- 343.76		
31 मार्च 2025 को ₹ 343.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गए (जुलाई 2025)।	1,056.24	1,056.24	..

अनुदान संख्या 50 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
800. अन्य व्यय			
(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू .	33,600.00		
अ .	7,000.00	33,600.00	..
पु .	- 7,000.00		

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से लिया गया ₹ 7,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2025 को समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,144.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,856.00 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

800. अन्य व्यय			
(05) मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना			
[01] एनएफएसए परिवारों को फ्री राशन			
अ .	22,000.00	15,931.49	- 13.09
पु .	- 6,068.51		

31 मार्च 2025 को ₹ 6,068.51 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) राज सहकार एप			
[01] पोर्टल का संचालन एवं रखरखाव			
मू .	0.01	170.50	..
पु .	170.49		
003. प्रशिक्षण			
(03) विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण			
मू .	30.00	149.91	..
पु .	119.91		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.49 लाख की अतिरिक्त निधियां राज सहकार एप के संचालन एवं रखरखाव के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 119.91 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 50 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	22,680.00		
अ.	747.14	26,500.00	26,500.00
पु.	3,072.86		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,072.86 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(27) ग्राम सेवा सहकारी समिति को अनुदान			
मू.	840.01		
पु.	1,691.19	2,531.20	2,531.20
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,691.19 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 290.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 624.84 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. के माध्यम से			
मू.	108.00		
पु.	- 97.25	10.75	10.75
31 मार्च 2025 को ₹ 97.25 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
[01] महिला सहकारी समितियों हेतु विनियोजन			
मू.	321.00		
पु.	- 192.30	128.70	128.70
31 मार्च 2025 को ₹ 192.30 लाख का प्रावधान कम पूंजी निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,
 2041. वाहन कर,
 2048. ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन,
 2055. पुलिस,
 2056. जेल,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2217. शहरी विकास,
 2220. सूचना तथा प्रचार,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
 2425. सहकारिता,
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3054. सड़क तथा सेतु,
 3055. सड़क परिवहन,
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6700. मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल

3,02,95,93,61

अनुपूरक

62,88,36

3,03,58,81,97

2,64,78,22,75

-38,80,59,22

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2025)

38,42,31,45

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				1
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	74,29,96,51	74,29,96,65	50,71,81,36	-23,58,15,29
अनुपूरक	14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
				22,75,91,00

टिप्पणियां तथा टीकाएं :**राजस्व****दत्तमत**

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,288.36 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 3,88,059.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,827.77 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹ 1,71,647.48 लाख, ₹ 2,21,901.85 लाख, ₹ 2,47,231.18 लाख, ₹ 5,46,653.98 लाख तथा ₹ 3,88,059.22 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी थी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.98 प्रतिशत से 19.52 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना था।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम			
(उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	2,250.00
पु.	- 2,250.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 2,250.00 लाख का समस्त प्रावधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति उठाये जाने से ईकाइयों को भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू .	5,000.00		
		4,500.00	4,500.00
पु .	- 500.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान अनुदान के अन्तर्गत देयता अपेक्षाकृत कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2041. वाहन कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण			
मू .	546.39		
		258.29	257.33
पु .	- 288.10		- 0.96
31 मार्च 2025 को ₹ 288.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2055. पुलिस			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) पुलिस आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू .	1,000.00		
	
पु .	- 1,000.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लाडली सुरक्षा योजना			
[01] पुलिस विभाग के माध्यम से			
मू .	400.00		
	
पु .	- 400.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान उडयन विश्वविद्यालय की स्थापना			
[01] सामान्य प्रशासन विभाग			
मू .	700.02
पु .	- 700.02		
31 मार्च 2025 को ₹ 700.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
[01] अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु			
मू .	1,600.00	1,239.56	1,233.47
पु .	- 360.44		- 6.09
31 मार्च 2025 को ₹ 360.44 लाख का प्रावधान कोषालय को भेजे गये बिलों के ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 6.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय			
[02] समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (एस.सी.एस.पी.) पर व्यय			
मू .	2,88,018.01	1,99,364.61	1,99,348.39
पु .	- 88,653.40		- 16.22
₹ 88,653.40 लाख की प्रत्याशित बचत (i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि को चालान के माध्यम से सरकारी खातों में जमा कराने, (ii) पदों के रिक्त रहने, (iii) नयी भर्ती पूरी नहीं होने (iv) मार्च माह के अन्तिम दिनों में ईसीएस के द्वारा बिलों का निस्तारण नहीं होने, (v) भारत सरकार से समग्र शिक्षा की चतुर्थ किश्त की स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने तथा (vi) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृत राशि से कम राशि की स्वीकृति जारी करने को आरापित की गयी।			
₹ 16.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा पर व्यय			
[05] स्टार परियोजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय)			
मू .	5,952.00	2,775.84	2,775.84
पु .	- 3,176.16		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,176.16 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त स्टार्स योजना की द्वितीय किश्त राज्य सरकार द्वारा एस एन ए (सिंगल नोडल एजेन्सी) में हस्तान्तरित नहीं करने एवं स्टार्स योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में कम राशि की स्वीकृति जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण पर व्यय			
[02] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (एस.सी.एस.पी.) पर व्यय			
मू .	2,008.01		
पु .	- 755.66	1,252.35	1,252.08
			-0.27

₹ 755.66 लाख की प्रत्याशित बचत (i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि को चालान के माध्यम से सरकारी खातों में जमा कराने तथा (ii) मार्च माह के अन्तिम दिनों में ईसीएस के द्वारा बिलों का निस्तारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू .	16,200.00		
पु .	- 7,618.82	8,581.18	8,520.38
			- 60.80

31 मार्च 2025 को ₹ 7,618.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त राशि को समग्र शिक्षा (समसा) द्वारा बजट के अन्तर्गत ऋणात्मक जमा करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 60.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मिड डे मिल			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू .	34,640.00		
पु .	- 10,306.49	24,333.51	24,333.51
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 10,306.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की राशि वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू .	2,058.01		
पु .	- 1,686.58	371.43	369.69
			- 1.74
31 मार्च 2025 को ₹ 1,686.58 लाख का प्रावधान विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना			
[01] विद्यार्थियों के लिए दूध पोषाहार			
मू .	23,600.00		
पु .	- 18,263.70	5,336.30	5,336.30
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 18,263.70 लाख का प्रावधान पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं करने एवं इस राशि को जारी रखने का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तुत करने का निर्देश के कारण अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू .	6,160.00		
पु .	- 3,718.12	2,441.88	2,441.88
			..
₹ 3,718.12 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के द्वारा सीधा हस्तान्तरण किये जाने तथा (ii) पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने को आरोपित की गयी ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू .	3,200.00		
पु .	- 674.79	2,525.21	2,525.21
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 674.79 लाख का प्रावधान कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू .	8,320.00		
		4,595.00	4,595.00
पु .	- 3,725.00		..
₹ 3,725.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू .	45,304.02		
		41,740.44	40,391.90
पु .	- 3,563.58		- 1,348.54
₹ 3,563.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी ।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू .	1,575.00		
		756.00	756.00
पु .	- 819.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 819.00 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत वास्तविक व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू .	210.00		
	
पु .	- 210.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 210.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू .	363.00		
पु .	- 242.00	121.00	121.00
31 मार्च 2025 को ₹ 242.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(23) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस का पुनर्भरण			
मू .	746.55		
पु .	- 746.55
31 मार्च 2025 को ₹ 746.55 लाख का समस्त प्रावधान आर टी ई बालक प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान कॉलेज एज्यूकेशन सोसायटी (आर.ए.जे. -सी.ई.एस.)			
[02] नवीन राजकीय महाविद्यालय (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	234.00		
पु .	- 234.00
31 मार्च 2025 को ₹ 234.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			..
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू .	1,800.00		
पु .	- 598.15	1,201.85	1,201.85
31 मार्च 2025 को ₹ 598.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			-0.01

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू .	1,168.88		
		333.07	333.07
पु .	- 835.81		..
31 मार्च 2025 को ₹ 835.81 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	660.00		
	
पु .	- 660.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 660.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्टेट यूथ महोत्सव			
[01] राजस्थान युवा बोर्ड			
मू .	200.00		
	
पु .	- 200.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) खेलो राजस्थान यूथ गेम्स			
[01] राजस्थान क्रीड़ा परिषद			
मू .	500.00		
		12.44	12.44
पु .	- 487.56		..
31 मार्च 2025 को ₹ 487.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] ग्रामीण अस्पताल और औषधालय आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू .	801.92	629.82	629.13
पु .	- 172.10		
			-0.69
31 मार्च 2025 को ₹ 172.10 लाख का प्रावधान माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार चिकित्सकों की आयु 62 वर्ष तक बढ़ाये जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू .	22,240.01	19,527.43	19,527.18
पु .	- 2,712.58		
			-0.25
₹ 2,712.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) यू.जी.सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] राजमेस अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	4,250.41	153.36	153.36
पु .	- 4,097.05		
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,097.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) पी.जी.सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] राजमेस अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	153.27
पु .	- 153.27		
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 153.27 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) रेयर डिजीज ट्रीटमेन्ट योजना			
[01] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	500.00
पु .	-500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	200.00
पु .	-200.00
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	413.23	202.88	202.88
पु .	- 210.35
₹ 210.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना-दवा			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान			
मू .	16,200.00	12,150.00	12,150.00
पु .	- 4,050.00
31 मार्च 2025 को ₹ 4,050.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ			
मू .	35,000.00	27,120.00	27,120.00
पु .	- 7,880.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,880.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[03] अनुसूचित जातियों हेतु परिवार कल्याण केन्द्र			
मू .	3,138.51	2,803.41	2,800.54
पु .	- 335.10		- 2.87
31 मार्च 2025 को ₹ 335.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यमवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उप केन्द्रों का संचालन			
[03] अनुसूचित जातीय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू .	17,806.01	15,397.92	15,397.91
पु .	- 2,408.09		-0.01
₹ 2,408.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू .	600.00	200.00	200.00
पु .	- 400.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेड बाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना			
मू .	4,558.00		
		7.28	
पु .	- 4,550.72	7.28	..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,550.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
[01] राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू .	1,725.21		
		1,547.05	
पु .	- 178.16	1,547.05	..
31 मार्च 2025 को ₹ 178.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू .	1,328.00		
		..	
पु .	- 1,328.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,328.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[24] राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,750.00		
		..	
पु .	- 1,750.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	2,942.00		
पु .	- 2,265.88	676.12	676.12
31 मार्च 2025 को ₹ 2,265.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[05] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	11,394.13		
पु .	- 5,849.00	5,545.13	5,545.13
31 मार्च 2025 को ₹ 5,849.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,132.10		
पु .	- 467.90	664.20	664.20
31 मार्च 2025 को ₹ 467.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[11] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,698.15		
पु .	- 701.85	996.30	996.30
31 मार्च 2025 को ₹ 701.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[17] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	206.00
पु .	- 206.00
31 मार्च 2025 को ₹ 206.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/ सुधार/पुनरुद्धार			
[02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	4,992.40	1,426.40	..
पु .	- 3,566.00	1,426.40	..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,566.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(55) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (क्षमता निर्माण)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	418.00
पु .	- 418.00
31 मार्च 2025 को ₹ 418.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(56) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईईसी)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	831.00
पु .	- 831.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 831.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	9,654.89	4,677.78	4,677.78
पु .	- 4,977.11		..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,977.11 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[05] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	14,482.32	7,016.64	7,016.64
पु .	- 7,465.68		..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,465.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	493.00
पु .	- 493.00
31 मार्च 2025 को ₹ 493.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[11] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,887.00
पु .	- 1,887.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,887.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार			
[02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	7,488.60	2,139.60	..
पु .	- 5,349.00	2,139.60	..
31 मार्च 2025 को ₹ 5,349.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(58) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (क्षमता निर्माण)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	588.00
पु .	- 588.00
31 मार्च 2025 को ₹ 588.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(59) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई.ई.सी.)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,172.00
पु .	- 1,172.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,172.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(62) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)			
[02] स्वायत्त शासन विभाग-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	536.00	321.60	..
पु .	- 214.40	321.60	..
31 मार्च 2025 को ₹ 214.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/ से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार का			
आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13)			
में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	5,349.00
पु .	- 5,349.00
31 मार्च 2025 को ₹ 5,349.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/ से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[05] ग्रीन टैक्स का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट			
शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण			
(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	3,662.00
पु .	- 3,662.00
31 मार्च 2025 को ₹ 3,662.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/ से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष			
8229-200-(13) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	8,219.00
पु .	- 8,219.00
31 मार्च 2025 को ₹ 8,219.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सोशियल मिडिया एक्टिविटी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	238.00
पु .	- 238.00
31 मार्च 2025 को ₹ 238.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यान्वयन एजेन्सी आरआईएसएल के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध होने तथा विधानसभा चुनाव 2023-24 एवं लोकसभा चुनाव 2024-25 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान कई सोशल मिडिया मॉड्यूल पर प्रचार गतिविधियों के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू .	14,004.00		
		5,152.80	
पु .	- 8,851.20	5,152.80	..
31 मार्च 2025 को ₹ 8,851.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास हेतु अनुदान			
मू .	1,000.00		
		10.00	
पु .	- 990.00	10.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 990.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) अनुसूचित जातियों के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान			
मू .	2,500.00		
		1,292.16	
पु .	- 1,207.84	1,292.16	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,207.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातिय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ			
मू .	3,370.00		
		2,240.90	
पु .	- 1,129.10	2,240.90	..
₹ 1,129.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना			
[01] छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना			
मू.	274.00		
		4.58	4.58
पु.	- 269.42		..
31 मार्च 2025 को ₹ 269.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	20,270.01		
		17,630.05	17,556.37
पु.	- 2,639.96		- 73.68
₹ 2,639.96 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 73.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) राज. अनु.जाति, जनजाति विकास निगम को सहायता			
मू.	3,500.00		
		2,000.00	2,000.00
पु.	- 1,500.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना			
मू.	7,008.01		
	
पु.	- 7,008.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,008.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
[01] अनुसूचित जातियों की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण			
मू .	5,000.00
पु .	- 5,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू .	15,285.01	9,595.84	..
पु .	- 5,689.17	9,595.84	..
31 मार्च 2025 को ₹ 5,689.17 लाख का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू .	998.82	777.95	..
पु .	- 220.87	777.95	..
₹ 220.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों को उनके स्थानान्तरण/पदोन्नति के बाद, विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में अन्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत समकक्ष/पदोन्नति पदों पर तैनात करने और सेवानिवृत्त के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) प्रशिक्षकों की संख्या अनुमान से कम रहने तथा (iii) अतिथि प्रशिक्षकों को नयी निर्धारित दरों और मानदण्डों के अनुसार मानदेय का भुगतान होने को आरोपित की गयी ।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू .	5,800.00	1,767.32	- 2.24
पु .	- 4,032.68	1,765.08	- 2.24
31 मार्च 2025 को ₹ 4,032.68 लाख का प्रावधान राज श्री योजना के 31.07.2024 तक चालू होने तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[43] स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस			
मू .	200.00
पु .	- 200.00
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[02] नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रावास संचालन- (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,700.01	485.02	..
पु .	- 1,214.99	485.02	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,214.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू .	9,000.00	3,943.25	..
पु .	- 5,056.75	3,943.25	..
31 मार्च 2025 को ₹ 5,056.75 लाख का प्रावधान सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति नहीं होने से विभाग द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) को बजट हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[08] अनुसूचित जातियों के लिय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू .	7,586.00	4,754.73	..
पु .	- 2,831.27	4,754.73	..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,831.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[09] अनुसूचित जातियों के लिये इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू .	4,589.00	3,781.63	3,781.63
पु .	- 807.37		
31 मार्च 2025 को ₹ 807.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू .	5,500.00	4,221.91	4,221.91
पु .	- 1,278.09		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,278.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) परित्यक्ता पेंशन योजना			
[02] परित्यक्ता पेंशन योजना (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) विश्वकर्मा पेंशन योजना			
[02] विश्वकर्मा पेंशन योजना (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग			
मू .	8,100.00		
		6,300.00	6,300.00
पु .	- 1,800.00		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,800.00 लाख का प्रावधान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा निजी निक्षेप खातों में निधियां कम हस्तान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2236. पोषण

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[04] आंगन बाड़ी दुग्ध वितरण योजना

मू .	2,000.00		
		256.10	256.10
पु .	- 1,743.90		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,743.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
(पी.एम.एम.वी.वाई.)
[01] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
(पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास
सेवाएं विभाग के माध्यम से

मू .	5,877.10		
		4,661.67	4,661.67
पु .	- 1,215.43		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,215.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि संचालित योजनाएं			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा			
मू .	8,915.00
पु .	- 8,915.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 8,915.00 लाख का समस्त प्रावधान जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू .	4,106.57	3,694.78	3,694.78
पु .	- 411.79		..
31 मार्च 2025 को ₹ 411.79 लाख का प्रावधान (i) एस एन ए को एस एन ए स्पर्श से प्रतिस्थापित करने से एस एन ए में पिछले वर्ष की अव्यतित शेष राशि का उपयोग होने, (ii) एसएनए स्पर्श के अन्तर्गत द्वितीय मदर सेंक्शन जारी नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iii) योजना घटक के मानचित्रण के कारण भुगतान प्रक्रिया विलम्ब से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	1,417.50	437.96	437.96
पु .	- 979.54		..
31 मार्च 2025 को ₹ 979.54 लाख का प्रावधान केन्द्रीयंश एवं राज्यांश के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[29] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोषिक अनाज			
मू .	1,874.70	731.00	731.00
पु .	- 1,143.70		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,143.70 लाख का प्रावधान (i) एस एन ए को एस एन ए स्पर्श से प्रतिस्थापित करने से एस एन ए में पिछले वर्ष की अव्यतित शेष राशि का उपयोग होने, (ii) एसएनए स्पर्श के अन्तर्गत द्वितीय मदर सेंक्शन जारी नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iii) योजना घटक के मानचित्रण के कारण भुगतान प्रक्रिया विलम्ब से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[30] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू .	1,030.00		
		660.70	660.70
पु .	- 369.30		..
31 मार्च 2025 को ₹ 369.30 लाख का प्रावधान केन्द्रीयंश एवं राज्यांश के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[36] तारबन्दी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू .	450.00		
		271.01	271.01
पु .	- 178.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 178.99 लाख का प्रावधान किसानों की कम मांग के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग द्वारा			
[04] फसल बीमा (50 प्रतिशत राज्यांश 50 प्रतिशत केन्द्रीयंश)			
मू .	34,000.00		
		24,964.17	24,964.17
पु .	- 9,035.83		..
31 मार्च 2025 को ₹ 9,035.83 लाख का प्रावधान (i) तीन गतिविधियों यस-टेक, विन्ड एवं एसपीयूएम के कार्यान्वयन में देरी, (ii) समय पर बिल जमा नहीं कराने तथा कुछ बिलों का ईसीएस नहीं होने तथा (iii) मानदेय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग द्वारा			
[17] कृषि विस्तार सेवाएं			
मू .	236.50		
		69.04	69.04
पु .	- 167.46		..
31 मार्च 2025 को ₹ 167.46 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान संवाद (डी आई पी आर) द्वारा फर्मों के पैनल में विलम्ब होने, (ii) अन्तिम भुगतान हेतु किसान महोत्सव बिलों का अन्तिमिकरण नहीं होने तथा (iii) नयी वस्तुओं के लिए आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब तथा मांग एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में आरआईएसएल को निधियां हस्तान्तरित नही करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) बागवानी तथा वनस्पति फसलें (उद्यान विभाग के माध्यम से)			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू .	1,000.00	595.10	595.10
पु .	- 404.90		
31 मार्च 2025 को ₹ 404.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) बागवानी तथा वनस्पति फसलें (उद्यान विभाग के माध्यम से)			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू .	7,500.00	4,828.20	4,828.20
पु .	- 2,671.80		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,671.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) बागवानी तथा वनस्पति फसलें (उद्यान विभाग के माध्यम से)			
[12] सौर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू .	4,500.00	1,548.78	1,548.78
पु .	- 2,951.22		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,951.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	1,530.00	730.34	730.33
पु .	- 799.66		
31 मार्च 2025 को ₹ 799.66 लाख का प्रावधान नवीन भुगतन प्रणाली, एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू .	361.00	110.29	110.29
पु .	- 250.71		
31 मार्च 2025 को ₹ 250.71 लाख का प्रावधान एसएनए-स्पर्श के तहत केन्द्रीयांश एवं राज्यांश के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	1,798.30	547.01	547.01
पु .	- 1,251.29		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,251.29 लाख का प्रावधान (i) एस एन ए को एस एन ए स्पर्श से प्रतिस्थापित करने से एस एन ए में पिछले वर्ष की अव्यतित शेष राशि का उपयोग होने, (ii) एसएनए स्पर्श के अन्तर्गत द्वितीय मदर सेंक्शन जारी नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iii) योजना घटक के मानचित्रण के कारण भुगतान प्रक्रिया विलम्ब से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) पी एम-कुसुम केपोनेंट 'बी' हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	3,700.00	2,899.38	2,892.87
पु .	- 800.62		
31 मार्च 2025 को ₹ 800.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.51 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) सुक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
(एम.आई.एफ.-नाबार्ड)			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	5,950.00	2,486.59	2,485.65
पु .	- 3,463.41		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,463.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(24) राजस्थान कृषि विकास योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	360.00
पु .	- 360.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 360.00 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू . 2,000.00	1,388.07	1,388.07	..
पु . - 611.93			
31 मार्च 2025 को ₹ 611.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन			
[05] पशु रोग नियंत्रण योजना (सी.ए. 60 प्रतिशत)			
मू . 388.20	172.23	172.23	..
पु . - 215.97			
₹ 215.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन			
[12] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू . 279.65
पु . - 279.65			
31 मार्च 2025 को ₹ 279.65 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट)			
मू . 1,926.09	1,632.80	1,632.80	..
पु . - 293.29			
31 मार्च 2025 को ₹ 293.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(21) गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	1,800.00
पु .	- 1,800.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,800.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना			
[01] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	1,349.99	600.00	600.00
पु .	- 749.99		..
31 मार्च 2025 को ₹ 749.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[02] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष			
8229-00-104-(02) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	23,400.00	19,873.00	19,873.00
पु .	- 3,527.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,527.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2404. डेयरी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू .	19,000.00	15,845.00	15,845.00
पु .	- 3,155.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,155.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोक			
मू .	1,233.35		
पु .	- 598.06	635.29	640.02
			+4.73
31 मार्च 2025 को ₹ 598.06 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा लगायी गयी अधिकतम सीमा के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.बी.डी.पी.)			
[01] बाह्य सहायता (ए.एफ.डी.)			
मू .	4,758.32		
पु .	- 3,208.32	1,550.00	1,550.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,208.32 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू .	3,680.00		
पु .	- 3,329.71	350.29	350.29
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,329.71 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति नहीं देने, (ii) ग्राम विस्थापन गतिविधि में निधि के अभ्यर्पण होने, (iii) निर्माण कार्य कम होने तथा (iv) कोषालय द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू .	8,160.00		
पु .	- 3,617.00	4,543.00	4,543.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,617.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना			
[01] एन.एफ.एस.ए. परिवारों को फ्री राशन			
मू .	5,000.00		
पु .	- 1,979.51	3,020.49	3,019.90
			- 0.59
31 मार्च 2025 को ₹ 1,979.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
05. बंजर भूमि विकास
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेट
- [03] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)

मू .	14,977.20		
पु .	- 6,830.47	8,146.73	8,146.73
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 6,830.47 लाख का प्रावधान (i) एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन के कारण किशत की कम प्राप्ति होने, (ii) नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने से निधियां प्राप्त नहीं होने, (iii) अप्रैल से मई 2024 तक राज्य में लोकसभा आम चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्यान्वयन में कम प्रगति होने, (iv) मानसून का समय से पहले आगमन और खेतों में फसलों की उपस्थिति तथा नदियों एवं नालों में पानी होने के कारण कार्य की वांछित प्रगति नहीं होने तथा (v) एसएनए-स्पर्श के अन्तर्गत भुगतान प्रक्रिया में बदलाव के कारण कम प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- [03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)

मू .	18,550.00		
पु .	- 2,906.84	15,643.16	15,643.16
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 2,906.84 लाख का प्रावधान एसएनए खातों में अतिरिक्त किशत की राशि हस्तान्तरित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू .	1,531.40	880.64	880.64
पु .	- 650.76		..
31 मार्च 2025 को ₹ 650.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[03] एन.आर.ई.टी.पी. (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	600.00	425.55	425.55
पु .	- 174.45		..
31 मार्च 2025 को ₹ 174.45 लाख का प्रावधान परियोजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्डोरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)			
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	799.02	614.88	614.88
पु .	- 184.14		..
31 मार्च 2025 को ₹ 184.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने में देरी तथा वित्त विभाग द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	98,085.77	49,683.48	49,683.47
पु .	- 48,402.29		-0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 48,402.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 38,206.39 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 10,195.90 लाख) किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	17,830.00		
		2,168.45	2,168.45
पु .	- 15,661.55		..
31 मार्च 2025 को ₹ 15,661.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	891.50		
		400.00	400.00
पु .	- 491.50		..
31 मार्च 2025 को ₹ 491.50 लाख का प्रावधान (i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अरावली संस्थान की मानव संसाधन सेवाओं पर स्थगन आदेश के परिणामस्वरूप राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण तथा मेनपावर पर व्यय नहीं होने तथा (ii) वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में सूचीबद्ध एजेन्सियों को निर्धारित करने के कारण प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	2,550.24		
		1,501.90	1,501.90
पु .	- 1,048.34		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,048.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(50) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)			
[03] पंचायती राज विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	2,139.60		
		595.31	595.31
पु .	- 1,544.29		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,544.29 लाख का प्रावधान वित्त विभाग के अनुमोदनानुसार अनुदान राशि के कम हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू .	4,559.04	2,812.27	2,812.27
पु .	- 1,746.77		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,746.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू .	10,200.96	6,048.41	6,048.41
पु .	- 4,152.55		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,152.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू .	53,490.00	42,236.46	42,195.16
पु .	- 11,253.54		
31 मार्च 2025 को ₹ 11,253.54 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि कम हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

₹ 41.30 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू . 38,253.60	22,681.50	22,679.32	- 2.18
पु . - 15,572.10			
31 मार्च 2025 को ₹ 15,572.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू . 360.00	180.00	180.00	..
पु . - 180.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 180.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मनरेगा कर्मियों को राज्य निधि से अतिरिक्त रोजगार			
मू . 1,445.00	9.57	8.88	- 0.69
पु . - 1,435.43			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,445.00 लाख का प्रावधान मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को राज्य निधि से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों की कम संख्या के कारण 31 मार्च 2025 को ₹ 1,435.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[02] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू . 900.00
पु . - 900.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
39. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू .	940.01		
		40.00	40.00
पु .	- 900.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 900.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मु.अ. जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	503.00		
		8.33	8.33
पु .	- 494.67		..
31 मार्च 2025 को ₹ 494.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विद्युत् वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्य			
(टेरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	84,049.54		
		69,525.85	69,525.85
पु .	- 14,523.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 14,523.69 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण निगम के लिए गत वर्षों की बकाया टेरिफ सहाय्य के संशोधित अनुमानों में कमी होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू .	266.00
पु .	- 266.00
31 मार्च 2025 को ₹ 266.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(32) डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू .	6,320.01	4,518.84	4,518.84
पु .	- 1,801.17
31 मार्च 2025 को ₹ 1,801.17 लाख का प्रावधान (i) संस्थाओं/बैंकों द्वारा 3262 आवेदनों में से केवल 955 आवेदकों को ऋण वितरित किये जाने तथा (ii) कोषालय द्वारा बिलों का ईसीएस नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू .	1,600.00	34.50	34.50
पु .	- 1,565.50
31 मार्च 2025 को ₹ 1,565.50 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान विभाग द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग नहीं लेने के कारण प्रचार, मेले तथा उत्सव पर कम व्यय होने तथा (ii) पर्यटन विकास निधि से व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग			
[02] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	360.02
पु .	- 360.02
31 मार्च 2025 को ₹ 360.02 लाख का समस्त प्रावधान आरआईएल फाउण्डेशन का निजी निक्षेप खाता खोलने में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[21] बैकएण्ड एण्ड न्यू प्रोजेक्ट्स			
मू .	865.00		
पु .	- 558.06		
	306.94	306.94	..
31 मार्च 2025 को ₹ 558.06 लाख का प्रावधान (i) बैकएण्ड तथा नवीन परियोजनाओं के अन्तर्गत डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस कार्यों का पूर्ण होने, (ii) एआईओटी लैब के अन्तर्गत गत वर्ष की अप्रयुक्त राशि का उपयोग नहीं होने तथा (iii) आईएचएमएस 1.0 में अप्रयुक्त राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] जी आई एस			
मू .	684.00		
पु .	- 238.00		
	446.00	446.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 238.00 लाख का प्रावधान (i) जी.आई.एस. परियोजना के अन्तर्गत 3डी सिटी परियोजनाओं (कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर) के लिए निविदा जारी नहीं होने तथा (ii) राज्य की इमेजनरी खरीद एवं बेसमेप अद्यतन के लिए निविदा जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू .	747.00		
पु .	- 747.00		

31 मार्च 2025 को ₹ 747.00 लाख का समस्त प्रावधान कॉल सेन्टर पर कॉल की संख्या में कमी होने से कार्यान्वयन एजेंसी के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू .	1,622.00		
पु .	- 228.01		
	1,393.99	1,393.99	..
31 मार्च 2025 को ₹ 228.01 लाख का प्रावधान कमाण्ड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अन्तर्गत हार्डवेयर की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण			
मू .	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के निजी निक्षेप खाते में वर्ष 2023-24 की उपलब्ध राशि के उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	180.00
पु .	- 180.00
31 मार्च 2025 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	450.00	35.28	35.28
पु .	- 414.72
31 मार्च 2025 को ₹ 414.72 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा सरकारी भूमि अभिलेखों, स्वास्थ्य अभिलेखों में ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन नहीं मिलने से आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं करने एवं कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	250.01	60.00	60.00
पु .	- 190.01
जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल नवाचार अध्ययन और एक्सेलेटर की स्थापना हेतु प्रावधान अनुमानित था। परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना था। प्रथम चरण में, परियोजना से संबंधित गतिविधियां उपरोक्त चार जिलों में उपलब्ध इनक्यूबेशन केन्द्रों पर संचालित की जानी थी और द्वितीय चरण में, इन चारों जिलों में नवीन सुविधाओं के साथ अटल इनोवेशन स्टडी एण्ड एक्सेलेटर स्थापित किये जाने थे, लेकिन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार केवल प्रथम चरण हेतु प्रावधान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को ₹ 190.01 लाख अभ्यर्पित किये गये।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(23) अनुग्रह सेवा प्रदायगी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	360.01		
पु .	- 180.01		
	180.00	180.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 180.01 लाख का प्रावधान आर्दश आचार संहिता लागू होने एवं वित्त विभाग द्वारा निवेदन प्रस्ताव में देरी होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(24) राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	540.00		
पु .	- 278.10		
	261.90	261.90	..
31 मार्च 2025 को ₹ 278.10 लाख का प्रावधान आर-केट में पूरे स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू .	3,622.01		
पु .	- 881.33		
	2,740.68	2,740.77	+0.09
₹ 881.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू .	7,445.00		
पु .	- 2,040.23		
	5,404.77	5,404.77	..
₹ 2,040.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना			
[01] गैस सिलेण्डर-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	27,000.00		
पु .	- 13,141.79	13,858.21	13,796.09
			- 62.12
31 मार्च 2025 को ₹ 13,141.79 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 62.12 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राजस्थान कृषक समर्थन योजना			
[01] खाद्यान्न क्रय समर्थन			
मू .	4,400.00		
पु .	- 1,733.34	2,666.66	2,666.66
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,733.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	226.00		
पु .	- 226.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 226.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	530.00		
पु .	- 530.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 530.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू .	5,350.00		
पु .	- 1,784.00	3,566.00	3,566.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,784.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019			
(उद्योग विभाग)			
[03] निवेश अनुदान			
मू .	7,200.00	9,000.00	9,000.00
पु .	1,800.00		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत देयता में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2022
(उद्योग)

[04] ब्याज अनुदान

मू .	150.00	328.13	328.13
पु .	178.13		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.13 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत देयता में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2022
(उद्योग)

[05] पूंजी अनुदान-विविध

मू .	0.01	392.95	392.95
पु .	392.94		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 392.94 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुदान के अन्तर्गत देयता में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

2048. ऋण घटाने या उनका परिहार करने के लिए विनियोजन

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) ऋण घटाने या उनका परिहार करने हेतु 8222-101
निक्षेप निधि को अन्तरण

मू .	30,000.00	80,000.00	80,000.00
अ .	6,287.91		
पु .	43,712.09		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,712.09 लाख की अतिरिक्त निधियां राशि को नव निर्मित समेकित सिंकिंग फण्ड में स्थानान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकल का वितरण			
मू.	4,045.92	6,054.81	6,054.81
पु.	2,008.89		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,008.89 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत गत वर्षों के लम्बित दावों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटोप वितरण			
मू.	0.01	1,237.43	1,237.43
पु.	1,237.42		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,237.42 लाख की अतिरिक्त निधियां टेबलेट्स का क्रय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(24) यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग हेतु सहायता			
[01] कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए			
मू.	0.01	1,753.00	1,753.00
पु.	1,752.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,752.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कक्षा 9 से 12 तक की प्रत्येक छात्रा को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) के माध्यम से स्कूल बैग और यूनिफॉर्म के लिए ₹ 800 का हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	720.00	900.00	900.00
पु.	180.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू .	2,296.71	3,154.54	3,154.54
पु .	857.83		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 857.83 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू .	2,228.75	3,038.67	3,038.67
पु .	809.92		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 809.92 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा योजना की राज्य वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत निधियों की स्वीकृति के अनुसार उपलब्ध करायी गयी।			..
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायताार्थ अनुदान			
मू .	12,765.00	14,418.00	14,418.00
पु .	1,653.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,653.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू .	10,000.00	19,000.00	19,000.00
पु .	9,000.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	43,981.00	52,636.08	52,636.08
पु .	8,655.08		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,655.08 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	550.00	1,525.80	1,525.80
पु .	975.80		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 975.80 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[12] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	90.00	243.00	243.00
पु .	153.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 153.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[27] अजमेर पुष्कर सिटी बस लिमिटेड (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	0.01	192.00	192.00
पु .	191.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 191.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) पीएम-ई बस सेवा (इंफ्रास्टेक्चर)			
[02] डिपो आधारभूत संरचना- (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	0.02	255.00	255.00
पु .	254.98		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 254.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(05) पीएम-ई बस सेवा (बीटीएम इंफ्रा.)			
[02] बीटीएम -ऊर्जा आधारभूत संरचना (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	0.01	639.00	639.00
पु .	638.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 638.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	6,849.00	13,371.08	13,371.08
पु .	6,522.08		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,522.08 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	927.00	3,323.67	3,323.67
पु .	2,396.67		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,396.67 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	856.00	3,069.10	3,069.10
पु .	2,213.10		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,213.10 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200(10) में अन्तरण-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	1,783.00	6,392.77	6,392.77
पु .	4,609.77		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,609.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	1,650.00	3,373.46	3,373.46
पु .	1,723.46		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,723.46 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू .	1,340.00	1,786.00	1,786.00
पु .	446.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 446.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[40] लाडो प्रोत्साहन योजना-एस.सी.एस.पी.			
मू .	2,000.00	2,700.00	2,700.00
पु .	700.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की अतिरिक्त निधियां 1 अगस्त 2024 से राज श्री योजना के स्थान पर नयी योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पीडित प्रतिकार योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू .	420.00	588.00	588.00
पु .	168.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पीडित मुआवजा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण			
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि			
[02] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के			
बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में			
अंतरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू .	8,915.00	19,548.00	19,548.00
पु .	10,633.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,633.00 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि में निधियों के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तीर्थ योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना			
मू .	1,000.00	2,100.00	2,100.00
पु .	1,100.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[13] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू .	250.00	797.87	797.87
पु .	547.87		
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 547.87 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रोत्साहन राशि की बढी हुई दरों पर भुगतान हेतु एवं छात्राओं से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू .	5,508.00	6,430.00	6,430.00
पु .	922.00		
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 922.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान			
मू .	216.01	650.40	650.40
पु .	434.39		
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 434.39 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	3,566.00	4,921.94	4,921.94
पु .	1,355.94		
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,355.94 लाख की अतिरिक्त निधियां छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(48) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	0.02	15,080.69	15,080.69
पु .	15,080.67		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,080.67 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के एसएनए बैंक खाते में राशि के हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू .	14,264.00	19,687.80	19,687.80
पु .	5,423.80		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,423.80 लाख की अतिरिक्त निधियां छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान राशि के हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) कृषि उपभोक्तकों को विद्युत दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	2,149.66	2,614.83	2,614.83
पु .	465.17		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 465.17 लाख की अतिरिक्त निधियां अजमेर विद्युत् वितरण निगम की मांग के अनुसार संशोधित अनुमानों में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	0.01	3,735.40	3,735.40
पु .	3,735.39		..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू .	0.01	47,217.47	47,217.47
पु .	47,217.46		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,952.85 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार की जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा योजना के अंतर्गत घाटे की 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, ब्रिज तथा पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण			
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि से संचालित योजनाएँ			
मू .	0.01	1,699.96	1,699.96
पु .	1,699.95		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,699.95 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100 प्रतिशत केन्द्र)			
[05] केन्द्रीय सड़क निधि के बजट शीर्ष			
8449-00-103 में अन्तरण-(एस.सी.एस.पी.)			
मू .	17,830.00	21,041.09	21,041.09
पु .	3,211.09		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,211.09 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
(100 प्रतिशत केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	607.23		
पु .	1,560.33		
		2,167.56	.. -2,167.56

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,560.33 लाख की अतिरिक्त निधियां मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 2,167.56 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,35,815.29 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8,224.29 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹ 1,97,341.69 लाख, ₹ 83,556.69 लाख, ₹ 3,14,598.22 लाख, ₹ 3,26,244.05 लाख तथा ₹ 2,35,815.29 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.18 प्रतिशत से 43.86 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का अधिकांश कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	950.00		
पु .	- 934.67		
		15.33	15.33 ..

31 मार्च 2025 को ₹ 934.67 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	500.00	300.00	300.00
पु.	-200.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निविदाएं/कार्यादेश जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा कार्यों के लिए निविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	400.01	99.15	99.15
पु.	- 300.86		..
31 मार्च 2025 को ₹ 300.86 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)			
मू.	891.50	376.02	376.02
पु.	- 515.48		..
31 मार्च 2025 को ₹ 515.48 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)			
[01] भवनों का तथा ड्राईविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	244.00	53.12	53.12
पु.	- 190.88		..
31 मार्च 2025 को ₹ 190.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा)			
[01] भवन निर्माण			
मू.	373.00
पु.	- 373.00
31 मार्च 2025 को ₹ 373.00 लाख का समस्त प्रावधान आरएसआरडीसी को स्वीकृत राशि हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) सामान्य प्रशासनिक भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	3,600.00		
		100.97	100.97
पु .	- 3,499.03		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,499.03 लाख का प्रावधान स्वीकृति के विरुद्ध कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू .	1,672.52		
		239.03	239.03
पु .	- 1,433.49		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,433.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू .	5,523.00		
		957.89	957.89
पु .	- 4,565.11		..
31 मार्च 2025 को ₹ 4,565.11 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त स्टार्स योजना की द्वितीय किश्त राज्य सरकार द्वारा एसएनए (सिंगल नोडल एजेन्सी) में हस्तान्तरित नहीं करने तथा भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में अनुमोदित राशि से कम राशि स्वीकृत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू .	9,688.00		
		8,652.09	8,652.09
पु .	- 1,035.91		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,035.91 लाख का प्रावधान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) पी.एम.श्री योजना			
[01] राजकीय विद्यालयों में योजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय			
मू .	3,858.00		
पु .	- 1,263.77	2,594.23	2,594.23
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,263.77 लाख का प्रावधान पी एम श्री योजना को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन (अपग्रेडेशन), सुदृढीकरण एवं संबंलीकरण			
[01] राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी			
मू .	500.00		
पु .	- 500.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेजों को आरआईटी दर्जे में अद्यतन करने हेतु संशोधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
[01] महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण			
मू .	1,800.00		
पु .	- 1,727.59	72.41	72.41
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,727.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना			
[01] महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण			
मू .	400.00		
पु .	- 400.00
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) आर्मड फोर्स म्युजियम			
[01] पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप विभागीय स्तर पर कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निर्माण कार्य- आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,069.80
पु .	- 1,069.80
31 मार्च 2025 को ₹ 1,069.80 लाख का समस्त प्रावधान आयुर्वेद विभाग के माध्यम से निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अन्य लेखा शीर्ष से इसकी स्वीकृति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
मू .	11,957.00	4,529.60	4,529.61 +0.01
पु .	- 7,427.40		
31 मार्च 2025 को ₹ 7,427.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू .	600.00	31.23	31.23 ..
पु .	- 568.77		
31 मार्च 2025 को ₹ 568.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू .	585.21		
पु .	- 200.01		
		385.20	384.72
			- 0.48
31 मार्च 2025 को ₹ 200.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू .	2,850.01		
पु .	- 1,571.25		
		1,278.76	1,212.79
			- 65.97
31 मार्च 2025 को ₹ 1,571.25 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) को न्यूरो साइंस संस्थान के भवन निर्माण हेतु राशि हस्तान्तरित करने हेतु निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) कोषालय द्वारा पारित होने के बाद भी बिलों के इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 65.97 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	1,118.85		
पु .	- 480.45		
		638.40	638.40
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 480.45 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने तथा (ii) वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपकरणों की खरीद हेतु निविदा का अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	330.00		
पु .	- 330.00		
	
	
31 मार्च 2025 को ₹ 330.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन-फेज ॥			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	1,865.67	999.99	999.99
पु .	- 865.68		
31 मार्च 2025 को ₹ 865.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन-फेज ॥			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	1,000.00	249.00	249.00
पु .	- 751.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 751.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन-फेज ॥			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	1,845.00	280.00	280.00
पु .	- 1,565.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,565.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन-फेज ॥			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	1,300.00	783.00	783.00
पु .	- 517.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 517.00 लाख का प्रावधान ऋण सीमा की कम स्वीकृति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन-फेज II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	800.00	100.00	100.00
पु .	- 700.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 700.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू .	5,665.00	3,871.07	3,871.07
पु .	- 1,793.93		..
₹ 1,793.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	20,898.00	14,505.04	14,505.04
पु .	- 6,392.96		..
₹ 6,392.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	2,000.00	500.00	500.00
पु .	- 1,500.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान (i) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप उपकरणों का क्रय नहीं होने तथा (ii) भूजल विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (ग्रामीण)			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू .	15,108.57	9,816.96	9,811.98
पु .	- 5,291.61		
31 मार्च 2025 को ₹ 5,291.61 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.98 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (ग्रामीण)			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	309.23	22.99	22.99
पु .	- 286.24		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (ग्रामीण)			
[56] इसरदा बांध निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	3,606.64	1,195.95	1,195.95
पु .	- 2,410.69		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (ग्रामीण)			
[81] माही बांध से जिला बांसवाडा के सज्जनगढ एवं कुशलगढ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	327.65	20.81	20.81
पु .	- 306.84		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू .	17,228.00	11,622.73	11,622.46
पु .	- 5,605.27		

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएँ			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा			
मू .	530.00		
पु .	- 407.08	122.92	122.92
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएँ			
[62] पुनर्गठित शहरी पेयजल परियोजना, बीकानेर			
मू .	2,356.10		
पु .	- 561.48	1,794.62	1,794.62
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 9,577.61 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएँ			
[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना, जिला बांरा, झालावाड, कोटा (शहरी भाग)			
मू .	655.08		
पु .	- 655.08
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएँ			
[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना जिला कोटा एवं बूंदी (शहरी भाग)			
मू .	1,128.37		
पु .	- 1,128.37
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,783.45 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएँ			
[78] देवास जल प्रदाय योजना-तृतीय एवं चतुर्थ(शहरी)			
मू .	3,113.45		
पु .	- 2,684.79	428.66	428.66
31 मार्च 2025 को ₹ 2,684.79 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[08] ब्यावर जवाजा कलस्टर डिस्ट्रीब्यूशन			
मू .	270.01
पु .	- 270.01
31 मार्च 2025 को ₹ 270.01 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	356.01	24.03	24.03
पु .	- 331.98
31 मार्च 2025 को ₹ 331.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर कलस्टर परियोजना- प्रथम चरण भाग द्वितीय (नाबार्ड)			
मू .	180.01
पु .	- 180.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	356.01
पु .	- 356.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 536.02 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई कलस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	0.02	..	- 225.93
पु.	- 0.02		- 225.93
बिलों से कटौती किये गये मोबिलाईजेशन अग्रिम के कारण ₹ 225.93 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा कराने के परिणामस्वरूप मद के अन्तर्गत ऋणात्मक व्यय प्रदर्शित हो रहा है।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू.	540.01	27.44	27.44
पु.	- 512.57		..
31 मार्च 2025 को ₹ 512.57 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	216.01
पु.	- 216.01		..
31 मार्च 2025 को ₹ 216.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[29] पाली जिले के सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू.	267.01	267.00	83.84
पु.	- 0.01		- 183.16
₹ 183.16 लाख की अंतिम बचत फर्म से मोबिलाईजेशन की अग्रिम राशि की वसूली के कारण रही।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[40] चित्तोडगढ़ जिले के भैसरोडगढ़ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	180.01
पु.	- 180.01		..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[43] जल जीवन मिशन के तहत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकडी सरवाड पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढीकरण			
मू .	180.01
पु .	- 180.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग- 'अ'			
मू .	180.01
पु .	- 180.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[46] कालीतीर जल प्रदाय योजना			
मू .	180.01
पु .	- 180.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[47] चम्बल नदी से अलवर एवं भरतपुर जिलों की सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	180.01
पु .	- 180.01
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[48] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादोती सतही जल प्रदाय योजना			
मू .	180.01
पु .	- 180.01

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 1,080.06 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य आवासीय भवन निर्माण			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू .	450.00		
		132.50	
पु .	- 317.50	132.50	..
31 मार्च 2025 को ₹ 317.50 लाख का प्रावधान एएफएस मॉड्यूल में गत वर्ष जारी स्वीकृतियों में बदलाव नहीं होने के परिणामस्वरूप स्वीकृतियों के विरुद्ध कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू .	360.00		
		106.98	
पु .	- 253.02	106.98	..
31 मार्च 2025 को ₹ 253.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	3,566.00		
		1,998.35	
पु .	- 1,567.65	1,998.35	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,567.65 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू .	3,500.00		
		2,999.73	
पु .	- 500.27	2,999.73	..
31 मार्च 2025 को ₹ 500.27 लाख का प्रावधान (i) श्रीगंगानगर शहर में सीवरेज और जलपूर्ति कार्यों के लिए तृतीय चरण के परियोजना ऋण में कम व्यय होने, (ii) परियोजना दौरे के अन्तर्गत पाली, झुंझुनू एवं भीलवाडा के कार्यों के लिए समय विस्तार मामलों को अन्तिमिकरण नहीं करने से कम व्यय होने तथा (iii) वर्ष 2024-25 में टोंक के कार्यों के समय विस्तार मामलों में देरी से अन्तिमिकरण से कार्य बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[02] चतुर्थ चरण (ई.ए.पी.)			
मू.	10,138.00	9,036.31	9,036.31
पु.	- 1,101.69		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,101.69 लाख का प्रावधान (i) ठेकेदार द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति से 12 कार्य अधूरे रहने के परिणामस्वरूप सीवरेज और जलपूर्ति परियोजना के चालू होने के लिए रोकੀ गयी 20 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं होने, (ii) खेतडी और आबूरोड में विभिन्न कारणों से कार्यों पर कम व्यय होने तथा (iii) शाहपुरा में मल-जल उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यय नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[03] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रेन्च-II (ई.ए.पी.)			
मू.	8,411.00	6,320.96	6,320.96
पु.	- 2,090.04		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,090.04 लाख का प्रावधान (i) चतुर्थ चरण के द्वितीय भाग में विभिन्न बाधाओं जैसे भूमि आवंटन में देरी एवं वन विभाग, रेलवे, एनएचआई से अनुमति तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल आवंटन में विलम्ब के कारण कार्यों की धीमी प्रगति होने, (ii) जोधपुर में एसटीपी और भरतपुर में शालिग्राम कुण्ड के सौंदर्यीकरण पर अदालती स्थगन आदेश तथा अन्य कारणों से कार्य की धीमी प्रगति होने तथा (iii) वित्त विभाग द्वारा कोषालय से पारित बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस (ईसीएस) नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोग्राम लोन)			
मू.	2,051.00	667.40	667.40
पु.	- 1,383.60		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,383.60 लाख का प्रावधान (i) झालावाड में सीवरेज कार्य की धीमी प्रगति के कारण कम व्यय होने, (ii) कोषालय द्वारा पारित करने पर भी बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) नहीं होने तथा (iii) बीकानेर और सवाई माधोपुर में बिलों के समय विस्तार मामले में स्वीकृति नहीं मिलने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	10,849.00	1,784.86	1,784.86
पु.	- 9,064.14		..
31 मार्च 2025 को ₹ 9,064.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	70,998.00	11,176.36	11,176.36
पु .	- 59,821.64		..
31 मार्च 2025 को ₹ 59,821.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 20,988.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 38,833.07 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एस.डब्ल्यू.एम.)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	4,579.00	643.84	643.84
पु .	- 3,935.16		..
31 मार्च 2025 को ₹ 3,935.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आईआईएचएल, सीटी/पीटी, यूरिनल्स)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू .	569.00
पु .	- 569.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 569.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन निर्माण			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	1,725.03	1,309.49	1,309.49
पु .	- 415.54		..
31 मार्च 2025 को ₹ 415.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) स्वयं सिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू .	300.00
पु .	- 300.00
31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आगनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस.मिशन मोड अंतर्गत			
मू .	170.00
पु .	- 170.00
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू .	252.18
पु .	- 252.18
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 422.18 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू .	1,000.00	155.49	155.49
पु .	- 844.51		..
31 मार्च 2025 को ₹ 844.51 लाख का प्रावधान (i) कोषालय को भेजे गये बिलों का ईसीएस नहीं होने, (ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद क्रय आदेशों के विरुद्ध आपूर्ति बिलों की प्राप्ति होने, (iii) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में कुछ क्रय आदेशों के विरुद्ध दायर याचिकाओं के तहत आगे की कार्यवाही में स्थगन/निषेध होने, (iv) कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरणों के क्रय के लिए स्वीकृति नहीं मिलने तथा (v) सफल बोलियों पर अनुमानित दरों से कम दरें प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	3,500.00		
पु .	- 799.98	2,700.02	2,700.02
31 मार्च 2025 को ₹ 799.98 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक, पशु चिकित्सा			
अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-			
नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.- XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	300.00		
पु .	- 300.00
31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू .	3,000.00		
पु .	- 1,317.03	1,682.97	1,682.97
31 मार्च 2025 को ₹ 1,317.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू .	885.32		
पु .	- 181.83	703.49	700.94
31 मार्च 2025 को ₹ 181.83 लाख का प्रावधान बिलों का ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			- 2.55

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) परिश्राषित वनों का पुनरारोपण			
मू .	2,836.34	2,127.36	2,127.04
पु .	- 708.98		
31 मार्च 2025 को ₹ 708.98 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.32
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक			
मू .	2,681.29	1,540.43	1,540.19
पु .	- 1,140.86		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,140.86 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.24
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर			
मू .	2,500.01
पु .	- 2,500.01
31 मार्च 2025 को ₹ 2,500.01 लाख का समस्त प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) ईको टूरिज्म लवकुश वाटिका			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू .	1,650.00	946.41	945.50
पु .	- 703.59		
31 मार्च 2025 को ₹ 703.59 लाख का प्रावधान बिलों का ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.91
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू .	188.76	34.39	20.89
पु .	- 154.37		
31 मार्च 2025 को ₹ 154.37 लाख का प्रावधान वित्त विभाग के अनुमोदनानुसार अनुदान राशि के हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 13.50

₹ 13.50 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डोंग जिले			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डोंग क्षेत्र का विकास			
मू .	705.60	444.50	444.50
पु .	- 261.10		
31 मार्च 2025 को ₹ 261.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू .	705.60	443.00	443.00
पु .	- 262.60		
31 मार्च 2025 को ₹ 262.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू .	705.60	446.00	446.00
पु .	- 259.60		
31 मार्च 2025 को ₹ 259.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) बृज मेवात क्षेत्रीय विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू .	360.00
पु .	- 360.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 360.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना			
[01] आधारभूत कार्यों हेतु			
मू .	3,500.00
पु .	- 3,500.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[03] दाईं मुख्य नहर -आर.आई.डी.एफ. XXII			
मू .	480.00		
		215.72	215.72
पु .	- 264.28		..
31 मार्च 2025 को ₹ 264.28 लाख का प्रावधान चम्बल सीएडी कोटा के लक्ष्मीपुरा, हरिपुरा और मऊ जिले एवं इसके माइनर के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों को ठेकेदार द्वारा समय पर पूर्ण नहीं करने कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[09] बाईं मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू .	640.00		
		452.51	452.51
पु .	- 187.49		..
31 मार्च 2025 को ₹ 187.49 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिलों को पारित करने के बाद ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[04] 65 नहरें			
मू .	800.00		
अ.	0.01	154.10	154.10
पु .	- 645.91		..
31 मार्च 2025 को ₹ 645.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[17] द्वितीय चरण की नहरों का नाबार्ड पुनरोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता इगानप, बीकानेर के माध्यम से			
मू .	390.00		
		86.21	86.21
पु .	- 303.79		..
31 मार्च 2025 को ₹ 303.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[18] इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार, आधुनीकीकरण और नवीनीकरण द्वितीय चरण (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
मू .	630.00		
पु .	- 627.90	2.10	2.10
31 मार्च 2025 को ₹ 627.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, आई.जी.एन.पी., जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	2,845.00		
पु .	- 1,666.68	1,178.32	1,178.32
31 मार्च 2025 को ₹ 1,666.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर (द्वितीय चरण)			
[01] चारणवाला ब्रांच केनाल सिस्टम का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVII)			
मू .	1,080.00		
पु .	- 285.69	794.31	794.31
31 मार्च 2025 को ₹ 285.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	13,499.99		
पु .	- 3,500.39	9,999.60	9,999.60
31 मार्च 2025 को ₹ 3,500.39 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	2,700.00		
पु .	- 1,579.25	1,120.75	1,120.75
31 मार्च 2025 को ₹ 1,579.25 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
39. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लि. में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
मू .	3,600.00		
पु .	- 3,600.00
31 मार्च 2025 को ₹ 3,600.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
46. कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	4,950.00		
पु .	- 2,129.57	2,820.43	2,820.43
31 मार्च 2025 को ₹ 2,129.57 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रैक्चरिंग			
प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरीया			
मू .	12,600.00		
पु .	- 6,716.99	5,883.01	5,883.01
31 मार्च 2025 को ₹ 6,716.99 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	2,700.00		
पु .	- 2,262.68	437.32	437.32
31 मार्च 2025 को ₹ 2,262.68 लाख का प्रावधान (i) विभिन्न कारणों से पांच बाँधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के परिणामस्वरूप व्यय नहीं होने, (ii) जी एस टी का बिल लम्बित रहने तथा (iii) कोषालय को भेजे गये बिलों का ईसीएस नही होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू .	2,160.00	1,079.78	1,079.78
पु .	- 1,080.22		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,080.22 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू .	3,510.00	1,592.25	1,592.25
पु .	- 1,917.75		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,917.75 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सिद्ध मुख नोहर परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता विकास क्षेत्र (इ.गा.न.प.)			
बीकानेर के माध्यम से			
मू .	720.00	309.23	305.83
पु .	- 410.77		- 3.40
31 मार्च 2025 को ₹ 410.77 लाख का प्रावधान (i) लोकसभा आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप कम व्यय होने, (ii) मानसून और फसल कटाई आदि के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति बाधित होने तथा (iii) भूमि संरक्षण विवाद एवं अदालती मामलों से खाला निर्माण कार्य बाधित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) भाखडा नहर परियोजना			
[01] भूमि विकास कार्य (मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी.)			
बीकानेर के माध्यम से)			
मू .	1,350.00	1,154.62	1,148.24
पु .	- 195.38		- 6.38
31 मार्च 2025 को ₹ 195.38 लाख का प्रावधान कार्य के संरक्षण संबंधी विवाद, किसानों के बीच आपसी विवाद और मार्च 2025 के अन्तिम कार्य दिवसों के दौरान कोषालय में प्रेषित बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप खाला निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6.38 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
[01] गंग नहर फैज-II			
मू .	596.00		
पु .	- 532.10	63.90	62.04
			- 1.86
31 मार्च 2025 को ₹ 532.10 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से केन्द्रीयंश देरी से जारी होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) एसएनए-स्पर्श के प्लेटफॉर्म में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	4,750.00		
पु .	- 4,750.00
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	4,564.56		
पु .	- 4,564.56
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	6,660.05		
पु .	- 6,660.05
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	6,622.24		
पु .	- 6,622.24
			..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	5,462.50
पु.	- 5,462.50
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ₹ 28,059.35 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान वापस लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी-(एस.सी.एस.पी.)			
मू.	35,000.00
पु.	- 35,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 35,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,540.31 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 19,459.69 लाख) किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
[01] सड़क निर्माण कार्य			
मू.	8,404.00	7,257.45	- 7,257.45
पु.	- 1,146.55
31 मार्च 2025 को ₹ 1,146.55 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7,257.45 लाख का प्रावधान अप्रयुक्त रहने के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें			
[01] योजना में स्वीकृत कार्यों के लिए भूमि अवाप्ति			
मू.	2,674.50	2,197.19	2,197.19
पु.	- 477.31
31 मार्च 2025 को ₹ 477.31 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	2,139.60		
पु .	- 1,833.94		
		305.66	305.28
			- 0.38
31 मार्च 2025 को ₹ 1,833.94 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXIX (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	13,158.54		
पु .	- 8,453.71		
		4,704.83	4,704.83
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 8,453.71 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
01. पर्यटन आधारभूत संरचना			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान पर्यटन संरचना एवं क्षमता विकास			
[01] पर्यटन विभाग			
मू .	200.00		
पु .	- 200.00		
	
31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू .	234.45		
पु .	- 222.73		
		11.72	11.72
			..
31 मार्च 2025 को ₹ 222.73 लाख का प्रावधान कार्य की पूर्ण राशि का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू .	304.79	43.00	43.00
पु .	- 261.79		..
31 मार्च 2025 को ₹ 261.79 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेन्सी से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू .	282.00	25.00	25.00
पु .	- 257.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 257.00 लाख का प्रावधान (i) बैंकएण्ड और नवीन परियोजनाओं के अन्तर्गत डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस का कार्य पूर्ण होने, (ii) एआईओटी लैब के अन्तर्गत गत वर्ष की अप्रयुक्त राशि का उपयोग नहीं होने तथा (iii) आईएचएमएस 1.0 में अप्रयुक्त राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू .	1,368.00	451.00	451.00
पु .	- 917.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 917.00 लाख का प्रावधान (i) जी आई एस परियोजना के अन्तर्गत 3डी सिटी परियोजनाएँ (कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर) के लिए निविदा जारी नहीं होने तथा (ii) राज्य की इमेजरी खरीद एवं बेस मैप अद्यतन के लिए निविदा जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू .	2,200.00	1,755.00	1,755.00
पु .	- 445.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 445.00 लाख का प्रावधान कमाण्ड कंट्रोल सेंटर योजना के तहत हार्डवेयर की स्थापना में देरी होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ एकसीलेन्स			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	228.00
पु .	- 228.00
31 मार्च 2025 को ₹ 228.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा सरकारी भूमि अभिलेखों, स्वास्थ्य अभिलेखों में ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन नहीं मिलने से आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं करने एवं कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	5,800.01	2,357.69	2,357.69
पु .	- 3,442.32
31 मार्च 2025 को ₹ 3,442.32 लाख का प्रावधान कार्य स्थल पर मेनपॉवर उपलब्ध नहीं होने से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर के भवन निर्माण कार्य की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित किया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	560.00	20.00	20.00
पु .	- 540.00
जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल नवाचार अध्ययन और एक्सेलेटर की स्थापना हेतु प्रावधान अनुमानित था । परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना था । प्रथम चरण में, परियोजना से संबंधित गतिविधियां उपरोक्त चार जिलों में उपलब्ध इनक्यूबेशन केन्द्रों पर संचालित की जानी थी और द्वितीय चरण में, इन चारों जिलों में अटल नवाचार अध्ययन और एक्सेलेटर के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को ₹ 540.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(21) अनुग्रह सेवा प्रदायगी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	900.00	450.00	450.00
पु .	- 450.00
31 मार्च 2025 को ₹ 450.00 लाख का प्रावधान आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं वित्त विभाग द्वारा निवेदन प्रस्ताव में देरी होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) शुद्ध के लिये युद्ध अभियान			
[01] आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर			
मू .	35.01		
		1,403.84	
पु .	1,368.83	1,403.84	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,368.83 लाख की अतिरिक्त निधियां अलवर एवं भरतपुर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला भवनों के निर्माण/विस्तार/नवीनीकरण, 10 स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर खाद्य पथों के विकास, 250 केवीए डीजी सेटों का क्रय तथा ऑनलाईन यूपीएस सिस्टम, उच्च तकनीकी वाले उपकरण, बुनियादी उपकरण, एलआईएमएस सॉफ्टवेयर, 10 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स ईकाईयों का क्रय तथा एक माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	5,400.00		
अ .	0.01	9,385.00	
पु .	3,984.99	9,385.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,984.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	2,874.50		
		3,624.43	
पु .	749.93	3,624.43	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 749.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	7,760.00		
		8,978.30	
पु .	1,218.30	8,978.30	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,218.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः) कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	2,660.02		
		4,266.42	4,266.42
पु .	1,606.40		..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,606.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[60] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना (शहरी)			
मू .	2,329.26		
		3,720.27	3,720.27
पु .	1,391.01		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना- चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू .	170.00		
		402.90	402.90
पु .	232.90		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[68] झालावाड जिले की राजगढ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
		185.68	185.68
पु .	185.67		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[69] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ तहसील की चम्बल भीलवाडा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	655.08		
		1,620.00	1,620.00
पु .	964.92		..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[72] जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बीसलपुर			
दूदू परियोजना के अन्तर्गत सुरजपुरा से सांभर तक			
के 539 गांवों हेतु मुख्य ट्रांशमिशन पाइप लाइन की			
पेयजल परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
		546.08	546.08
			..
पु .	546.07		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[73] सिरौही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी.			
उपलब्ध कराये जाने की परियोजना (शहरी भाग)			
मू .	0.01		
		299.10	299.10
			..
पु .	299.09		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,619.66 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(07) राजस्थान मेट्रो ट्रेन परियोजना-संयुक्त उद्यम			
[02] आर.एम.आर.सी.एल. में जे.एम.आर.सी. के माध्यम			
से निवेश-एस.सी.एस.पी.			
अ .	0.01		
		178.00	178.00
			..
पु .	177.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 177.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,			
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण			
पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भवन निर्माण			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	2,000.00		
		2,669.77	2,669.77
			..
पु .	669.77		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 669.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	1,248.00		
पु.	363.67		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 363.67 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान, कार्यों का त्वरित निष्पादन एवं 13 प्रतिशत अनुपातिक कार्यान्वयन के कारण उपलब्ध करायी गयी।	1,611.67	1,611.67	..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[06] पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)			
मू.	1,026.00		
पु.	194.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 194.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	1,220.00	1,219.99	-0.01
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा)			
सीएडीडब्ल्यूएम			
मू.	1,317.00		
पु.	322.72		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 322.72 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।	1,639.72	1,639.72	..
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	2,970.00		
पु.	6,819.60		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,819.60 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर फीडर की रीलाइनिंग के लिए पंजाब सरकार को राज्यांश राशि के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।	9,789.60	9,789.60	..

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
37. परियोजना का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू .	2,609.99	4,931.19	4,930.38
पु .	2,321.20		
			-0.81
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,321.20 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजना का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू .	1,143.00	1,643.84	1,643.84
पु .	500.84		
			..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तकली परियोजना			
मू .	270.00	609.26	609.26
पु .	339.26		
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 840.10 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/ उन्नयन/ पुनर्जीवीकरण			
मू .	2,176.69	2,901.86	2,901.86
पु .	725.17		
			..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 725.17 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर			
मू .	1,950.12	3,096.89	3,096.89
पु .	1,146.77		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,146.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4711. बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियन्त्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य-अन्य जिले			
[01] मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर के माध्यम से			
मू .	895.00	1,154.62	1,154.62
पु .	259.62		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 259.62 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
4885. उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) केन्द्रीय ऋण से यूनिटी मॉल का निर्माण			
[01] जयपुर में यूनिटी मॉल			
मू .	0.01	1,515.00	1,515.00
पु .	1,514.99		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,514.99 लाख की अतिरिक्त निधियां यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू .	8,915.00	11,268.31	11,229.65
पु .	2,353.31		
- 38.66			

अनुदान संख्या 51 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू .	17,830.00	23,497.43	23,497.43
पु .	5,667.43		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	14,335.97	17,296.50	17,296.50
पु .	2,960.53		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	0.01	734.11	734.11
पु .	734.10		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू .	2,674.50	3,268.61	3,258.72
पु .	594.11		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2,139.60	3,799.60	3,703.36
पु .	1,660.00		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) पूंजीगत व्ययों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	0.01	1,072.10	1,053.94
पु .	1,072.09		

अनुदान संख्या 51 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(21) आर.एस.आर.डी.सी. को देय एन्युटी एवं मार्जिन मनी			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	567.00		
पु .	1,825.31	2,392.31	2,392.31
			..

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,866.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्षों "5054-03-789(03), 04-789(03), 04-789(06)[90] एवं 04-789(20)[90]" के अन्तर्गत ₹ 162.95 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 52 – पंचायती राज विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2217. शहरी विकास,
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	93,58,84,78	93,58,84,78	72,64,73,92	-20,94,10,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				20,92,26,88
प्रभारित				
मूल	64	75	58	- 17
अनुपूरक	11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				17
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	14,58,01	14,58,01	-28,39	-14,86,40
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				14,35,03

टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,09,410.86 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 183.98 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास				
80. सामान्य				
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगर निगमों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध				
मू.	2,250.00	1.99	1.99	..
पु.	- 2,248.01			

31 मार्च 2025 को ₹ 2,248.01 लाख का प्रावधान अपरिहार्य कारणों से नगरीय निकायों के आम चुनाव नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू .	2,750.00	3.92	3.92
पु .	- 2,746.08		..
31 मार्च 2025 को ₹ 2,746.08 लाख का प्रावधान अपरिहार्य कारणों से नगरीय निकायों के आम चुनाव नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य हेतु			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	873.32	769.54	769.03
पु .	- 103.78		-0.51
31 मार्च 2025 को ₹ 103.78 लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न मद (प्रतिबद्ध) से कार्मिकों का पदोन्नति उपरान्त आयोजना मद (राज्य निधि) में स्थानान्तरण पश्चात 17 पदों के रिक्त रहने पर वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान			
[03] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	3,007.35	2,655.79	2,654.14
पु .	- 351.56		-1.65
31 मार्च 2025 को ₹ 351.56 लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न मद (प्रतिबद्ध) से कार्मिकों का पदोन्नति उपरान्त आयोजना मद (राज्य निधि) में स्थानान्तरण पश्चात पदों के रिक्त रहने पर वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
(पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेन्ट			
[01] कार्यकलाप संबन्धी			
मू .	57,699.60	23,045.13	23,045.13
पु .	- 34,654.47		..
31 मार्च 2025 को ₹ 34,654.47 लाख का प्रावधान निम्न कारणों से अभ्यर्पित किया गया (i) नवम्बर 2024 से एस एन ए स्पर्श के कार्यान्वयन से किश्त की राशि कम प्राप्त होने, (ii) नई परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने, (iii) लोकसभा आम चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं समय से पहले मानसून आगमन से अप्रैल से मई तक की अवधि में योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन अवधि के दौरान कम प्रगति होने तथा (iv) एन एन ए-स्पर्श पर भुगतान प्रक्रिया में बदलाव के कारण धीमी प्रगति का होना।			

अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) जिला आयोजना कार्यालय			
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,800.52	1,549.45	1,546.76
पु.	- 251.07		
₹ 251.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	68,690.00	12,114.75	12,114.75
पु.	- 56,575.25		
31 मार्च 2025 को ₹ 56,575.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,434.50	2,145.09	2,145.09
पु.	- 1,289.41		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,289.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान			
मू.	9,705.08	5,724.16	5,724.16
पु.	- 3,980.92		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,980.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(50) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)			
[01] पंचायती राज विभाग के माध्यम से (सामान्य)			
मू.	8,243.00	2,311.08	2,311.08
पु.	- 5,931.92		
31 मार्च 2025 को ₹ 5,931.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 52 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी (अन-टाईड) अनुदान			
मू .	17,349.68	14,255.29	14,255.29
पु .	- 3,094.39		
31 मार्च 2025 को ₹ 3,094.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान			
मू .	38,820.32	22,889.84	22,889.84
पु .	- 15,930.48		
31 मार्च 2025 को ₹ 15,930.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान			
मू .	1,45,576.20	85,878.61	85,836.69
पु .	- 59,697.59		
31 मार्च 2025 को ₹ 59,697.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 33,053.99 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,643.60 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
₹ 41.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू .	22,500.00	135.02	135.02
पु .	- 22,364.98		
31 मार्च 2025 को ₹ 22,364.98 लाख का प्रावधान अपरिहार्य कारणों से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 52 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) राज्य निर्वाचन आयोग-प्रतिबद्ध			
मू .	573.15		
		466.33	466.32
पु .	- 106.82		- 0.01

₹ 106.82 लाख की प्रत्याशित बचत (i) राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में पदों के रिक्त रहने तथा (ii) अपरिहार्य कारणों से शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी ।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 1,486.40 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 51.37 लाख अन्वर्धित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(61) ई.वी.एम. वेयर हाउस निर्माण			
[01] राज्य निर्वाचन आयोग			
मू .	493.25		
	
पु .	- 493.25		..

31 मार्च 2025 को ₹ 493.25 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी एजेंसी (पी डब्ल्यू डी) द्वारा ईवीएम वेयरहाउस के निर्माण के संबंध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण अर्धित किया गया ।

4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

103. ग्राम विकास

(01) निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से

[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु

मू .	961.76		
		19.98	- 31.39
पु .	- 941.78		- 51.37

31 मार्च 2025 को ₹ 941.78 लाख का प्रावधान अर्धित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

पंचायत समिति क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण अम्बेडकर भवनों का निर्माण कार्य नहीं हो पाने के कारण ₹ 51.37 लाख की राशि सरकारी खाते में वापस जमा की गयी, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ऋण व्यय दर्शाया गया।

अनुदान संख्या 53 – ग्रामीण विकास विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	45,89,75,94	47,49,81,40	29,48,66,26	-18,01,15,14
अनुपूरक	1,60,05,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				16,76,45,53
प्रभारित				
मूल	2	4,71	4,71	..
अनुपूरक	4,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,83,56,75	11,83,56,76	10,50,34,00	-1,33,22,76
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,33,22,76

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 16,005.46 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 1,80,115.14 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 12,469.61 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू .	30,918.00	26,222.10	26,222.10
पु .	- 4,695.90		
31 मार्च 2025 को ₹ 4,695.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना			
(डीडीयू-जीकेवाई)			
[01] अनुदान			
मू .	3,828.50	3,422.46	3,422.46
पु .	- 406.04		
31 मार्च 2025 को ₹ 406.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
(एन आर ई टी पी)			
मू .	1,000.00	709.24	709.24
पु .	- 290.76		
31 मार्च 2025 को ₹ 290.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्डोरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.)			
[01] अनुदान (सामान्य के लिए)			
मू .	1,186.02	914.57	914.57
पु .	- 271.45		
31 मार्च 2025 को ₹ 271.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)			
[01] अनुदान			
मू .	1,500.00	1,218.42	1,218.42
पु .	- 281.58		
31 मार्च 2025 को ₹ 281.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	2,76,423.56	1,46,293.05	1,46,293.05
पु .	- 1,30,130.51		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,30,130.51 लाख का प्रावधान (i) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिक मांग में कमी एवं वृद्धि के कारण व्यय में बदलाव होने, (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम प्राप्त होने के कारण तथा (iii) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम संख्या में कर्मचारी नियुक्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,08,153.81 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,976.70 लाख) किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(02) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु			
[01] सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु अनुदान			
मू .	3,256.41	938.18	938.18
पु .	- 2,318.23		
31 मार्च 2025 को ₹ 2,318.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(03) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	68,250.00	26,120.96	26,120.96
अ .	0.01		
पु .	- 42,129.05		
31 मार्च 2025 को ₹ 42,129.05 लाख का प्रावधान (i) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने तथा (ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) योजनाओं के अधिशेष कार्मिकों का कार्यकलाप संबंधी व्यय			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (मुख्यालय)			
मू .	1,193.81	915.28	0.04
पु .	- 278.53	915.24	0.04
₹ 278.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने को आरोपित की गयी ।			
101. पंचायती राज			
(01) महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू .	1,360.00	680.00	..
पु .	- 680.00	680.00	..
31 मार्च 2025 को ₹ 680.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(08) जिला नवाचार निधि योजना			
[01] नवाचार गतिविधियों हेतु अनुदान (सामान्य)			
मू .	3,400.00
पु .	- 3,400.00
31 मार्च 2025 को ₹ 3,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(10) मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मनरेगा कर्मियों को राज्य निधि से अतिरिक्त रोजगार			
मू .	3,817.00	37.56	- 3.13
पु .	- 3,779.44	34.43	- 3.13
31 मार्च 2025 को ₹ 3,779.44 लाख का प्रावधान मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या कम होने के फलस्वरूप व्यय में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (आई.एफ.सी.)			
[01] इन्टीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु अनुदान			
मू .	1,566.00	1,773.85	..
पु .	207.85	1,773.85	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 207.85 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 53 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(48) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से (सामान्य)			
मू .	1,283.33		
अ .	16,005.45	37,593.69	37,593.69
पु .	20,304.91		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,304.91 लाख की अतिरिक्त निधियां एवं फरवरी, 2025 में अनुपुरक अनुदान द्वारा ₹ 16,005.45 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा आवास आवंटित करने का उच्च लक्ष्य तथा तदनुसार एसएनए खाते में हिस्सेदारी हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मुख्यालय			
मू .	56,001.84		
		56,835.84	44,369.49
पु .	834.00		- 12,466.35

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 834.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डोंग जिले			
101. डोंग क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू .	2,665.57		
		1,681.00	1,681.00
पु .	- 984.57		

31 मार्च 2025 को ₹ 984.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 53 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	2,665.57		
पु.	- 994.57	1,671.00	1,671.00
31 मार्च 2025 को ₹ 994.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(02) बृज मेवात क्षेत्रीय विकास योजना			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,360.00
पु.	- 1,360.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,360.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बृज क्षेत्रीय विकास योजना के लिए निधियां जारी नहीं होने एवं क्षेत्र का सीमांकन प्रक्रियाधिन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	2,665.57		
पु.	- 983.57	1,682.00	1,682.00
31 मार्च 2025 को ₹ 983.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(01) श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना			
[01] आधारभूत कार्यों हेतु			
मू.	9,000.00
पु.	- 9,000.00
31 मार्च 2025 को ₹ 9,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			..

अनुदान संख्या 54 - ऊर्जा विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,
 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,71,60,61,74	2,11,84,32,43	2,08,77,78,18	-3,06,54,25
अनुपूरक	40,23,70,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,06,54,04
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	10,89,46,23	10,89,46,23	1,70,00,00	-9,19,46,23
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				9,19,46,23
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

- ₹ 30,654.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,02,370.69 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 54 - (क्रमशः)

पूँजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	16,750.00
पु.	- 16,750.00

31 मार्च 2025 को ₹ 16,750.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	16,096.08
पु.	- 16,096.08

31 मार्च 2025 को ₹ 16,096.08 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	23,485.44
पु.	- 23,485.44

31 मार्च 2025 को ₹ 23,485.44 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 16,485.44 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,000.00 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	23,352.11
पु.	- 23,352.11

31 मार्च 2025 को ₹ 23,352.11 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 54- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	19,262.50
पु.	- 19,262.50
31 मार्च 2025 को ₹ 19,262.50 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(09) राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड			
मू.	10,000.00	17,000.00	..
पु.	7,000.00		
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड में अंश पूँजी निवेश के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 55 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,
3456. सिविल पूर्ति और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	9,59,98,15		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	9,59,98,15	7,46,74,69	- 2,13,23,46
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	69,61		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	69,62	69,55	- 7

पूंजी

दत्तमत			
मूल	1,70,05		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	1,70,05	3,16	- 1,66,89

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 21,323.46 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 86.80 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग- प्रतिबद्ध			
मू .	837.90		
पु .	- 121.75		
	716.15	716.16	+0.01

₹ 121.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 55 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से [07] उपभोक्ता संरक्षण- प्रतिबद्ध	मू . 4,401.12 पु . - 1,027.95	3,373.17	3,369.08 - 4.09
₹ 1,027.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
001. निदेशन तथा प्रशासन (02) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना [01] राज्य खाद्य आयोग	मू . 653.03 पु . - 129.98	523.05	523.04 - 0.01
31 मार्च 2025 को ₹ 129.98 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. सिविल पूर्ति योजना (02) खाधान्न वितरण [08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन	मू . 2,671.01 पु . - 1,742.35	928.66	928.66 ..
₹ 1,742.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
102. सिविल पूर्ति योजना (07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना [01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना	मू . 5,260.00 पु . - 588.01	4,671.99	4,673.11 +1.12
₹ 588.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।			
102. सिविल पूर्ति योजना (11) रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना [01] गैस सिलेण्डर-सामान्य	मू . 30,000.00 पु . - 13,177.20	16,822.80	16,739.39 - 83.41
31 मार्च 2025 को ₹ 13,177.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,172.48 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,004.72 लाख) किया गया । जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 55 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(13) राजस्थान कृषक समर्थक योजना			
[01] खाद्यान्न क्रय समर्थन			
मू .	12,200.00		
पु .	- 4,133.99	8,066.01	8,066.01
31 मार्च 2025 को ₹ 4,133.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
106. भार और माप का विनियमन			
(01) उपभोक्ता मामलें विभाग			
[06] जिला कार्यालय- प्रतिबद्ध			
मू .	465.42		
पु .	- 184.00	281.42	281.42
31 मार्च 2025 को ₹ 184.00 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(10) खाद्य विभाग			
मू .	160.00		
पु .	- 159.31	0.69	0.69
31 मार्च 2025 को ₹ 159.31 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कार्यों पर कम व्यय होने को अभ्यर्पित (₹ 156.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2.46 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 56 - उद्योग विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग और
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं
 पूंजी -4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	6,51,49,38	8,98,98,76	-38,47,62
अनुपूरक	2,47,49,38		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			37,82,26
प्रभारित			
मूल	4	4	- 4
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			4
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	12,44,89	77,84,05	- 25,83,32
अनुपूरक	65,39,16		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			25,83,32

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,847.62 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 65.36 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
- ₹ 3,847.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 24,749.38 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू. 3,375.00
पु. - 3,375.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 3,375.00 लाख का समस्त प्रावधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के कारण ईकाइयों को प्रकरण अनुदान का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू. 6,000.00	4,800.00	4,800.00	..
पु. - 1,200.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,200.00 लाख का प्रावधान ब्याज अनुदान के अन्तर्गत देयता अपेक्षा से कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(18) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज क्लस्टर डवलपमेन्ट प्रोग्राम(एमएसई-सीडीपी)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू. 935.00	134.63	134.63	- 0.01
पु. - 800.37			
31 मार्च 2025 को ₹ 800.37 लाख का प्रावधान सी एफ सी परियोजनाओं से संबंधित बिलों का ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू. 266.00	5.00	5.00	..
पु. - 261.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 261.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) आयुक्त, उद्योग विभाग			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,047.43		
पु.	- 326.12	1,721.31	1,721.26
			- 0.05

₹ 326.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः संवेतन मद में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बी.आई.पी.) को अनुदान			
मू.	4,150.00		
अ.	3,500.00	6,647.50	6,647.50
पु.	- 1,002.50		..

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2025 को ₹ 1,002.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 467.99 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 534.51 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(24) अप्रवासी भारतीय विभाग			
[01] राजस्थान फाउण्डेशन			
मू.	300.00		
पु.	- 100.00	200.00	200.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से राजस्थान फाउण्डेशन की संवर्धन गतिविधियों के नये अध्याय खोलने की अनुमति नहीं मिलने और राजस्थान फाउण्डेशन के कार्पस फण्ड से अर्जित ब्याज से वेतन पर हुए व्यय को पूरा करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(27) इंटीग्रेटेड पोसेसिंग डवलपमेन्ट स्कीम (आईपीडीएस)			
[01] आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा अनुदान			
मू.	100.00		
पु.	- 100.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान कोषालय द्वारा पारित बिलों के ईसीएस नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 56 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(32) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	450.00		
		300.40	
		300.41	+0.01
पु.	- 149.60		

31 मार्च 2025 को ₹ 149.60 लाख का प्रावधान ब्याज अनुदान पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता
(09) युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
[01] राजस्थान वित्त निगम

मू.	499.99		
		385.00	
		385.00	..
पु.	- 114.99		

31 मार्च 2025 को ₹ 114.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025) ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[04] जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु पूंजी अनुदान			
मू.	50.00		
		154.08	
		154.08	..
पु.	104.08		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 104.08 लाख की अतिरिक्त निधियां संशोधित अनुमानों के अनुसार अतिरिक्त देनदारियों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

800. अन्य व्यय
(07) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-
2019 (उद्योग विभाग)
[02] पूंजी अनुदान

मू.	600.00		
		1,232.06	
		1,232.06	..
पु.	632.06		

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 632.06 लाख की अतिरिक्त निधियां संशोधित अनुमानों के अनुसार अतिरिक्त देनदारियों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिफ्स)-2022 (उद्योग)			
[04] ब्याज अनुदान			
मू.	200.00		
पु.	1,282.21	1,482.21	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,282.21 लाख की अतिरिक्त निधियां संशोधित अनुमानों के अनुसार अतिरिक्त देनदारियों की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिफ्स)-2022 (उद्योग)			
[05] पूंजी अनुदान-विविध			
मू.	0.01		
अ.	449.38	2,145.00	..
पु.	1,695.61	2,145.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,695.61 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस)-2022 (उद्योग) पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(23) शिल्प माटी कला बोर्ड को अनुदान			
मू.	0.02		
पु.	174.98	175.00	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 174.98 लाख की अतिरिक्त निधियां माटी कला के कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनों के निःशुल्क वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(32) मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना			
[01] मार्जिन मनी			
मू.	294.00		
पु.	746.08	1,040.08	..
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 746.08 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 56 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी			
दत्तमत			
1. ₹ 2,583.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2025 में लिया गया ₹ 6,539.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।			
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
800. अन्य व्यय			
(01) रिफायनरी एरिया पचपदरा में नमक खान धारकों को मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
[02] उद्योग विभाग			
अ .	502.72
पु .	- 502.72
31 मार्च 2025 को ₹ 502.72 लाख का समस्त प्रावधान डीडवाना और पचपदरा का कार्य उद्योग (समूह-1) विभाग को हस्तान्तरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
104. हस्त शिल्प उद्योग			
(02) एमएसएमई एवं हस्तशिल्प हेतु ई-बाजार का विकास			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू .	330.00
पु .	- 330.00
31 मार्च 2025 को ₹ 330.00 लाख का समस्त प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तान्तरित की गयी निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
200. अन्य ग्राम उद्योग			
(03) नमक क्षेत्रों में सड़क निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	180.00	108.68	..
पु .	- 71.32	108.68	..
31 मार्च 2025 को ₹ 71.32 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमान से कम निधियों की मांग करने, (ii) निविदा में कम दरें प्राप्त होने तथा (iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 56 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला उद्योग केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	150.01
पु.	- 150.01

31 मार्च 2025 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, झुंगरपुर के निर्माण हेतु एवं कार्यालय हेतु उपयुक्त किराये का भवन उपलब्ध नहीं होने तथा कार्यालय सुविधाओं के स्थानान्तरण में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य
800. अन्य व्यय
(28) केन्द्रीय ऋण से यूनिटी मॉल का निर्माण
[01] जयपुर में यूनिटी मॉल

मू.	0.01			
अ.	6,539.16	4,065.00	4,065.00	..
पु.	- 2,474.17			

31 मार्च 2025 को ₹ 2,474.17 लाख का प्रावधान निविदा को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 01.04.2025 होने के परिणामस्वरूप कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,474.18 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 999.99 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) राजस्थान वित्त निगम			
मू.	0.01	1,000.00	1,000.00
पु.	- 999.99		..

31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां 2024-25 में बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान वित्त निगम को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अंश पूंजी के रूप में सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 57 – पेट्रोलियम विभाग

(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2802. पेट्रोलियम
 पूंजी – 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व					
मूल	2,71,36				
अनुपूरक	..		2,71,36	2,07,27	- 64,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)					64,10
पूंजी					
मूल	4,00,00,01				
अनुपूरक	..		4,00,00,01	..	- 4,00,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)					4,00,00,01

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष					
2802. पेट्रोलियम					
01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन					
001. निदेशन तथा प्रशासन					
(01) पेट्रोलियम निदेशालय					
[04] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध					
मू.	224.58				
पु.	- 64.69		159.89	159.90	+0.01

₹ 64.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निदेशालय में पदों के रिक्त रहने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 57 - (समाप्त)

पूंजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी-(सामान्य)			
मू.	40,000.00
पु.	- 40,000.00

31 मार्च 2025 को ₹ 40,000.00 लाख का समस्त प्रावधान एचपीसीएल-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) की संशोधित परियोजना लागत के लिए भारत सरकार के परिणामस्वरूप मंजूरी नहीं मिलने से राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 58 – खान विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य और
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
पूंजी – 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,39,28,52			
अनुपूरक	..	2,39,28,52	1,64,89,01	-74,39,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				74,37,99
प्रभारित				
मूल	1,23			
अनुपूरक	26	1,49	1,47	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	7,86,80			
अनुपूरक	..	7,86,80	..	- 7,86,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				7,86,80
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

अनुदान संख्या 58 - (समाप्त)

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[02] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-			
जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय- प्रतिबद्ध			
मू. 12,895.04	10,915.65	10,914.16	- 1.49
पु. - 1,979.39			

₹ 1,979.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन मद में अधिक बजट प्रावधान किये जाने, (ii) कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्त होने से मजदूरी पर कम व्यय होने और (iii) संविदा सेवाओं पर लगे बॉर्डर होमगार्ड्स पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) खनिज सघन पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण एवं मानचित्र योजना			
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग- प्रधान कार्यालय			
मू. 838.14	259.30	259.29	- 0.01
पु. - 578.84			

₹ 578.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन मद में अधिक प्रावधान किये जाने और (ii) राज्य सरकार द्वारा वाहन क्रय करने के बजाय उसे किराये पर लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[09] खान तथा भू-विज्ञान विभाग			
मू. 4,336.64
पु. - 4,336.64			

31 मार्च 2025 को ₹ 4,336.64 लाख का समस्त प्रावधान माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आरएसएमएम को आधिक्य जमा भुगतान के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,092.64 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 244.00 लाख) की गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(06) खनिज भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 786.72
पु. - 786.72			

31 मार्च 2025 को ₹ 786.72 लाख का समस्त प्रावधान संबंधित कार्यालयों द्वारा कार्यालय भवन के लिए मानचित्र एवं उचित तकनीकी अनुमान प्रस्तुत नहीं करने से बजट प्रावधान को मंजूरी नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 59 – पर्यटन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3452. पर्यटन

पूंजी – 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और

7452. पर्यटन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,09,90,86		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	1,09,90,86	93,76,02	-16,14,84
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	1	..	- 1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,57,51,72		
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)	2,57,51,73	45,56,62	-2,11,95,11
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			

- ₹ 1,614.84 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 1,625.52 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) पर्यटन सहायता बल			
[01] पर्यटन विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00		
पु.	- 127.44		
	372.56	372.56	..

31 मार्च 2025 को ₹ 127.44 लाख का प्रावधान रेकॉर्ड विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के बढ हुए 111 स्वीकृत पदों में से 61 पद उपलब्ध नहीं कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 59- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(02) मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल योजना			
[01] पर्यटन विभाग के माध्यम से			
मू.	325.00
पु.	- 325.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 325.00 लाख का समस्त प्रावधान 20,000 युवाओं और लोक कलाकरों के लिए पारम्परिक कला और आतिथ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(13) राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति			
[01] पर्यटन विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00	89.22	89.22
पु.	- 410.78		..
31 मार्च 2025 को ₹ 410.78 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
01. पर्यटन आधारभूत संरचना			
101. पर्यटन केन्द्र			
(01) राजस्थान पर्यटन संरचना एवं क्षमता विकास			
[01] पर्यटन विभाग			
मू.	650.00
पु.	- 650.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 650.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष के दौरान राजस्थान पर्यटन संरचना और क्षमता विकास की कार्य योजना के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 59- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	3,936.89		
पु.	- 3,817.27	119.62	119.62
31 मार्च 2025 को ₹ 3,817.27 लाख का प्रावधान (क) कार्यकारी एजेंसी से निधियों हेतु मांग प्राप्त नहीं होने तथा (ख) संकल्प पत्र 2023 के अन्तर्गत बृज चौरासी सर्किट को भक्ति पर्यटन के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	1,064.81		
पु.	- 1,064.81
31 मार्च 2025 को ₹ 1,064.81 लाख का समस्त प्रावधान (क) जोधपुर के खीचन गाँव में पक्षियों के लिए चारदीवारी गंगलाव तालाब जोधपुर एवं जैसलमेर के तनोट माता मंदिर हेतु कार्यकारी एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं होने तथा (ख) संकल्प पत्र 2023 के अन्तर्गत काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवनारायण कॉरिडोर के निर्माण हेतु कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. को उधार			
मू.	20,000.00		
पु.	- 15,800.00	4,200.00	4,200.00
31 मार्च 2025 को ₹ 15,800.00 लाख का प्रावधान राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को अन्य वित्तीय संस्था से ऋण उपलब्ध कराये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,663.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 136.99 लाख) किया गया।			..

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
01. पर्यटन आधारभूत संरचना			
101. पर्यटन केन्द्र			
(02) राजस्थान पर्यटन संरचना एवं क्षमता विकास			
[01] पर्यटन विभाग			
मू.	0.01		
पु.	- 136.99	137.00	137.00
31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 136.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यकारी एजेंसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को जल महल परियोजना की डीपीआर तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..

अनुदान संख्या 60 – सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,

2220. सूचना तथा प्रचार और

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,

पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल

6,10,92,41

6,10,92,41

4,35,16,41

- 1,75,76,00

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

1,75,75,96

प्रभारित

मूल

1

1

..

- 1

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

1

पूंजी

दत्तमत

मूल

6,14,94,21

6,14,94,21

3,53,50,81

- 2,61,43,40

अनुपूरक

..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2025)

2,61,43,40

टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय

(₹ लाख में)

आधिक्य +
बचत –

2220. सूचना तथा प्रचार

60. अन्य

102. सूचना केन्द्र

(02) सोशियल मिडिया एक्टिविटी

[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.

825.00

..

..

..

पु.

- 825.00

31 मार्च 2025 को ₹ 825.00 लाख का समस्त प्रावधान व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विधानसभा चुनाव तथा 2024-25 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार के सोशल मिडिया मॉड्यूल पर प्रचार कार्य बन्द होने तथा कार्यकारी संस्था आर.आई.एस.एल. के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी।

अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स लर्निंग (रियल फाउन्डेशन)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (जनरल)			
मू .	1,360.02
पु .	- 1,360.02
31 मार्च 2025 को ₹ 1,360.02 लाख का समस्त प्रावधान रियल फाउन्डेशन में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने, पदों का सृजन और प्रबन्ध निदेशक का चयन प्रक्रियाधीन होने से निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] बैकएण्ड एण्ड न्यू प्रोजेक्ट			
मू .	3,602.00	892.97	892.97
पु .	- 2,709.03
31 मार्च 2025 को ₹ 2,709.03 लाख का प्रावधान बैकएण्ड नवीन परियोजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.एस. और ए.पी.एस. का कार्य पूर्ण होने तथा एआईओटी लैब के अन्तर्गत गत वर्ष की हस्तान्तरित राशि का उपयोग नहीं होने तथा आईएचएमएस 1.0 की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण इन योजनाओं हेतु उपलब्ध राशि के उपयोग की संभावना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] जीआईएस			
मू .	2,584.00	1,683.99	1,683.99
पु .	- 900.01
31 मार्च 2025 को ₹ 900.01 लाख का प्रावधान जी.आई.एस. परियोजना के अन्तर्गत 3 डी सिटी परियोजना (कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर) के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं होने तथा राज्य की इमेजनरी खरीद बेसमेप अद्यतन के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] राज सम्पर्क			
मू .	2,822.00
पु .	- 2,822.00
31 मार्च 2025 को ₹ 2,822.00 लाख का समस्त प्रावधान कॉल सेन्टर पर कॉल वॉल्यूम घटने के कारण 1300 सीटों के स्थान पर 600-700 सीटें ही संचालित होने से कार्यकारी एजेन्सी के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,539.56 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 282.44 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] विकास केन्द्र			
मू .	1,360.00	846.20	846.20
पु .	- 513.80		..
31 मार्च 2025 को ₹ 513.80 लाख का प्रावधान कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि (i) डेटा एनालिटिक्स परियोजना के अन्तर्गत ए.टी.एस. नहीं होने तथा (ii) राजकैड परियोजना के अन्तर्गत उपयुक्त मैनपाॅवर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तावित 10 मैनपाॅवर संसाधन के स्थान पर केवल 4 मैनपाॅवर ही लिए गये ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] ई-ऑफिस			
मू .	1,598.00	830.85	830.85
पु .	- 767.15		..
31 मार्च 2025 को ₹ 767.15 लाख का प्रावधान लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वी 2 (नवीन राजकाज वर्जन) में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन/नवीनीकरण हेतु निविदा के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का प्रकाशन नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			
मू .	190.00	6.37	6.37
पु .	- 183.63		..
31 मार्च 2025 को ₹ 183.63 लाख का प्रावधान राजस्व शीर्ष के स्थान पर पूंजीगत शीर्ष के माध्यम से प्रावधान कर कैपेक्स के बकाया दायित्वों का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकड़ा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[35] कमाण्ड और कन्ट्रोल सेंटर			
मू .	6,130.00	5,267.98	5,267.98
पु .	- 862.02		..
31 मार्च 2025 को ₹ 862.02 लाख का प्रावधान कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर परियोजना के अन्तर्गत हार्डवेयर की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(06) जन आधार ई-वॉलिट			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	136.00
पु .	- 136.00
31 मार्च 2025 को ₹ 136.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(08) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	790.00	53.34	..
पु .	- 736.66	53.34	..
31 मार्च 2025 को ₹ 736.66 लाख का प्रावधान (i) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, जोधपुर के मेक शिफ्ट/ट्रांजिट कैम्पस के द्वितीय छःमाही के किराये का बिल विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कम व्यय होने तथा (ii) अध्यक्ष के चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रशासनिक व्यय, विद्युत जल व्यय, आउटरीच/आईईसी गतिविधियां, सेमीनार तथा सम्मेलन इत्यादि पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(10) ब्लाक चैन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	1,720.00	133.28	..
पु .	- 1,586.72	133.28	..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,586.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक चैन टेक्नोलोजी को सरकारी भूमि रिकार्ड, हेल्थ रिकार्ड में लागू करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा इस संदर्भ में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) एवं आई आई टी कानपुर के एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) किया गया लेकिन आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(15) राजस्थान सेंटर फॉर आई.टी. डवलपमेन्ट एण्ड ई-गवर्नेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	204.01
पु .	- 204.01
31 मार्च 2025 को ₹ 204.01 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(18) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	940.01		
		195.00	195.00
पु .	- 745.01		..

दो चरणों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किया जाना था, प्रथम चरण में उपरोक्त जिलों में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्र में मौजूदा सुविधाओं में परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाना था और द्वितीय चरण में इन चारों जिलों में नई सुविधा सहित भवनों में अटल इनोवेशन स्टडी एण्ड एक्सेलरेटर स्थापित किये जाने थे, लेकिन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार केवल प्रथम चरण हेतु प्रावधान करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 को ₹ 745.01 लाख अभ्यर्पित किये गये ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(19) अनुग्रह सेवा प्रदायगी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	1,360.01		
		680.00	680.00
पु .	- 680.01		..

31 मार्च 2025 को ₹ 680.01 लाख का प्रावधान परियोजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी एवं वित्त विभाग द्वारा आर एफ पी का प्रारूप बनाने में बिलम्ब हुआ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. आंकडा सूचना तथा नवाचार प्रभाग			
(20) राजस्थान सेन्टर ऑफ एडवान्सड टेक्नोलोजी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	2,040.00		
		989.40	989.40
पु .	- 1,050.60		..

31 मार्च 2025 को ₹ 1,050.60 लाख का प्रावधान आर-केट में पूर्ण स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्ते, अन्य प्रशासनिक व्यय, बिजली-पानी व्यय, विधि कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 60 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू .	1,665.00		
पु .	- 1,583.00	82.00	82.00
31 मार्च 2025 को ₹ 1,583.00 लाख का प्रावधान बैकएण्ड नवीन परियोजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.एस. और ए.पी.एस. का कार्य पूर्ण होने तथा एआईओटी लैब के अन्तर्गत गत वर्ष की हस्तान्तरित राशि का उपयोग नहीं होने तथा आईएचएमएस 1.0 की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण इन योजनाओं हेतु उपलब्ध राशि के उपयोग की संभावना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] जी.आई.एस.			
मू .	5,168.01		
पु .	- 3,462.02	1,705.99	1,705.99
31 मार्च 2025 को ₹ 3,462.02 लाख का प्रावधान जी.आई.एस. परियोजना के अन्तर्गत 3 डी सिटी परियोजना (कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर) के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं होने तथा राज्य की इमेजनरी खरीद बेसमेप अद्यतन के लिए निविदा प्रशासनिक कारणों से जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] राज सम्पर्क			
मू .	238.00		
पु .	- 238.00
31 मार्च 2025 को ₹ 238.00 लाख का समस्त प्रावधान कॉल सेन्टर पर कॉल वॉल्यूम घटने के कारण 1300 सीटों के स्थान पर 600-700 सीटें ही संचालित होने से कार्यकारी एजेन्सी के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] ई-ऑफिस			
मू .	764.00		
पु .	- 219.94	544.06	544.06
31 मार्च 2025 को ₹ 219.94 लाख का प्रावधान लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वी 2 (नवीन राजकाज वर्जन) में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन/नवीनीकरण हेतु निविदा के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का प्रकाशन नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्यादेश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 60 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[35] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			
मू.	272.00
पु.	- 272.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 272.00 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा 31 मार्च 2025 तक बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[38] कमाण्ड और कंट्रोल सेन्टर			
मू.	8,200.00	6,634.00	6,634.00
पु.	- 1,566.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,566.00 लाख का प्रावधान कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर परियोजना के अन्तर्गत हार्डवेयर की स्थापना में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(23) ब्लाक चैन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	860.00
पु.	- 860.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 860.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी को सरकारी भूमि रिकार्ड, हेल्थ रिकार्ड में लागू करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा इस संदर्भ में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) एवं आई आई टी कानपुर के एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) किया गया लेकिन आई आई टी कानपुर को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी।			
800. अन्य व्यय			
(24) जन आधार ई-वॉलिट			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	408.00
पु.	- 408.00		
31 मार्च 2025 को ₹ 408.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यकारी संस्था राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(26) राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	21,600.01	8,668.47	8,668.47
पु.	- 12,931.54		..
31 मार्च 2025 को ₹ 12,931.54 लाख का प्रावधान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार मेनपॉवर उपलब्ध नहीं होने से भवन निर्माण कार्य की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित किया।			

अनुदान संख्या 60 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(27) साइबर सिक्योरिटी सेन्टर ऑफ़ एकसीलेन्स			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू . 340.00	65.00	65.00	..
पु . - 275.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 275.00 लाख का प्रावधान एसओसी (सुरक्षा संचालन केन्द्र) की आवश्यक खरीद कार्य में अपरिहार्य कारणों के विलम्ब होने से एसओसी (सुरक्षा संचालन केन्द्र) का उन्नयन नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(32) नवाचार अध्ययन एवं त्वरण			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू . 2,118.00	78.00	78.00	..
पु . - 2,040.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 2,040.00 लाख का प्रावधान दो चरणों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक को जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किया जाना था, प्रथम चरण में उपरोक्त जिलों में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्र में मौजूदा सुविधाओं में परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाना था और द्वितीय चरण में इन चारों जिलों में अटल नवाचार अध्ययन और त्वरक के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(33) अनुग्रह सेवा प्रदायगी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू . 3,400.00	1,700.00	1,700.00	..
पु . - 1,700.00			
31 मार्च 2025 को ₹ 1,700.00 लाख का प्रावधान परियोजना पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी एवं वित्त विभाग द्वारा आर एफ पी का प्रारूप बनाने में बिलम्ब हुआ।			

अनुदान संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी विभाग
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
पूंजी - 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	17,27,99	20,37,35	- 3,39,36
अनुपूरक	3,09,36		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			3,28,44
प्रभारित			
मूल	1	1,00	- 1,00
अनुपूरक	99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			1,00

पूंजी

दत्तमत			
मूल	17,16,40	17,16,40	- 13,52,82
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			13,52,82

टिप्पणियां तथा टीकाएं :**राजस्व****दत्तमत**

1. फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 309.36 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था ।
2. ₹ 339.36 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 10.92 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(01) विज्ञान एवं तकनीक			
मू .	425.07	448.35	- 4.71
अ .	100.00		
पु .	- 76.72		

फरवरी, 2025 में अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों हेतु लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

₹ 76.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 61 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क			
मू .	8.00		
अ.	100.00	11.60	11.60
पु .	- 96.40		..

फरवरी, 2025 में अनुपुरक अनुदान द्वारा विशेष सेवाओं पर व्यय हेतु लिया गया ₹ 100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2025 को ₹ 96.40 लाख का प्रावधान विशेष सेवाओं पर व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 42.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 53.86 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

01. भारतीय सर्वेक्षण
800. अन्य व्यय
(12) विज्ञान एवं तकनीक
[01] स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	854.38		
अ.	51.00	791.59	786.85
पु .	- 113.79		- 4.74

फरवरी, 2025 में अनुपुरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 51.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

₹ 113.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 90 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 34 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने और सरसेक उप-केन्द्र जयपुर पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीक			
मू .	1,716.40		
पु .	- 1,352.82	363.58	363.58

₹ 1,352.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) जोधपुर एवं उदयपुर दोनों में डिजीटल प्लेनेटेरियम की स्थापना पर व्यय नहीं होने, (ii) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र कोटा में ऑडिटोरियम, विज्ञान पार्क, झालरापाटन एवं विज्ञान पार्क नवलगढ़ के कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित होने के कारण उपमद 17-वृहद निर्माण कार्य से नहीं करवाये जा सकने, (iii) सरसेक कार्यालय जोधपुर भवन की मरम्मत हेतु बजट प्रवधित पूर्ण राशि की स्वीकृति नहीं दिये जाने और (iv) उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र उदयपुर में जल कनेक्शन हेतु पी.एच.ई.डी. द्वारा व्यय नहीं किये जाने को आरोपित की गयी

अनुदान संख्या 62 – परिवहन विभाग

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2041. वाहन कर,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी – 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,39,33,07	15,39,33,09	9,18,44,90	- 6,20,88,19
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
प्रभारित				
मूल	2,40	56,37	54,06	- 2,31
अनुपूरक	53,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	85,05,93	85,05,93	39,49,15	- 45,56,78
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 62,088.19 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9.69 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 62 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) आयुक्तालय परिवहन			
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,340.36		
पु .	- 353.86	1,986.50	1,984.80
			- 1.70

₹ 353.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

101. संग्रहण प्रभार

(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण

मू.	4,226.74		
पु .	- 3,576.98	649.76	649.63
			- 0.13

31 मार्च 2025 को ₹ 3,576.98 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

3055. सड़क परिवहन

190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

(08) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अन्य सहायता

मू.	50,000.01		
पु .	- 24,000.01	26,000.00	26,000.00
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 24,000.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 23,673.98 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 326.03 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

(12) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में

मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि का पुनर्भरण

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू.	50,000.00		
पु .	- 9,750.76	40,249.24	40,249.24
			..

31 मार्च 2025 को ₹ 9,750.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 62 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण			
मू.	10,756.00		
		3,300.00	3,300.00
पु .	- 7,456.00		..
31 मार्च 2025 को ₹ 7,456.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबन्धन			
मू.	8,900.01		
		62.48	61.36
पु .	- 8,837.53		- 1.12
31 मार्च 2025 को ₹ 8,837.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
800. अन्य व्यय			
(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	10,244.76		
		3,326.74	3,326.70
पु .	- 6,918.02		- 0.04
₹ 6,918.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	2,400.86		
		1,166.79	1,166.79
पु .	- 1,234.07		..
31 मार्च 2025 को ₹ 1,234.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 62 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय			
050. भूमि एवं भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू.	6,000.01		
पु .	- 3,249.44	2,750.57	2,750.56
			- 0.01

31 मार्च 2025 को ₹ 3,249.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,247.64 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1.80 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
(08) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण

मू.	75.00			
पु .	- 75.00

31 मार्च 2025 को ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 63 – आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

(समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य,
2401. फसल कृषि-कर्म,
2425. सहकारिता और
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
पूंजी – 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	1,43,60,91	1,43,60,91	1,15,09,42	– 28,51,49
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				28,51,37

पूंजी				
मूल	2,27,01	2,27,01	68,13	– 1,58,88
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,58,88

टिप्पणियाँ तथा टीकारः

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
111. कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(03) फसलों की पैदावार तथा क्षेत्रफल के अनुमानों के बारे में समय पर सूचना देने हेतु			
मू.	363.00	262.23	..
पु.	- 100.77		
31 मार्च 2025 को ₹ 100.77 लाख का प्रावधान कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुल्यांकन संगठन विभाग			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	960.02	801.57	..
पु.	- 158.45		
₹ 158.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 63 – (समाप्त)
कुल अनुदान

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(01) आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग			
[06] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,132.16		
पु.	- 386.60		
₹ 386.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) विद्युत तथा जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिक एजेंसी			
(03) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को सहायता			
मू.	1,852.00		
पु.	- 1,628.18		
31 मार्च 2025 को ₹ 1,628.18 लाख का प्रावधान जन आधार प्राधिकरण के व्यक्तिगत जमा खाते में गत वर्ष की अनुपयोजित राशि उपलब्ध होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,367.86 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 260.32 लाख) किया गया।			
		1,745.56	1,745.54
			- 0.02
		223.82	223.82
			..

पूंजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
112. सांख्यिकीय			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी के कार्यालय भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	77.00		
पु.	- 64.91		
31 मार्च 2025 को ₹ 64.91 लाख का प्रावधान आई.एफ.एम.एस.3.0 पोर्टल पर नवीन प्रक्रिया तथा लगातार अपडेशन होने के कारण प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देरी से जारी होने तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध समय की अल्पता के कारण ब्लॉक सांख्यिकी विभाग के भवन निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
		12.09	12.09
			..
112. सांख्यिकीय			
(02) योजना भवन का निर्माण एवं आधुनिकीकरण			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	150.00		
पु.	- 93.96		
31 मार्च 2025 को ₹ 93.96 लाख का प्रावधान आई.एफ.एम.एस.3.0 पोर्टल पर नवीन प्रक्रिया तथा लगातार अपडेशन होने के कारण प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देरी से जारी होने तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध समय की अल्पता के कारण योजना भवन के भवन निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
		56.04	56.04
			..

अनुदान संख्या 64 – अन्य सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन, 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059. लोक निर्माण कार्य, 2062. सतर्कता, 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075. विविध सामान्य सेवाएं और 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
पूँजी- 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय और 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	88,96,89			
अनुपूरक	..	88,96,89	78,22,92	-10,73,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	26,89,00			
अनुपूरक	..	26,89,00	2,74,65	-24,14,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				
24,14,35				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 10,73.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राशि ₹ 20.69 लाख अनुअभ्यर्पित रहीं ।

अनुदान संख्या 64 -(क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन 800. अन्य व्यय (03) सुशासन व्यवस्था-प्रतिबद्ध			
मू. 785.46	649.88	649.76	- 0.12
पु. - 135.58			
₹ 135.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण 103. सरकारी मुद्रणालय (01) मुद्रण कार्य [01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू. 2,374.40	1,973.04	1,952.48	- 20.56
पु. - 401.36			
₹ 401.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 160 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की राशि उपलब्ध बजट से अधिक होने के कारण बिल कोषालय नहीं भेजने को आरोपित की गयी।			
₹ 20.56 लाख के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।			
2059. लोक निर्माण कार्य 80. सामान्य 053. रख-रखाव तथा मरम्मत (52) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर [01] भवनों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू. 100.00	30.23	30.23	..
पु. - 69.77			
31 मार्च 2025 को ₹ 69.77 लाख का प्रावधान मुख्यतः कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निधियां उपयोग में नहीं लेने के कारण मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003. प्रशिक्षण (01) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर [02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू. 1,058.01	633.56	633.57	+0.01
पु. - 424.45			
31 मार्च 2025 को ₹ 424.45 लाख का प्रावधान (i) 179 प्रशिक्षु में से केवल 109 प्रशिक्षु ही प्रशिक्षण में उपस्थित होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) मिड केरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 162.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 261.99 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 64 -(समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 2,650.00	236.64	236.64	..
पु. - 2,413.36			

31 मार्च 2025 को ₹ 2,413.36 लाख का प्रावधान (i) 2024-25 में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सी एस ओ आई) में निर्माण हेतु ले-आउट योजना एवं अस्थायी योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा शेष राशि की मांग नहीं करने तथा (ii) अन्य स्वीकृत कार्यों हेतु जारी निविदा में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

परिशिष्ट

(पृष्ठ 19 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
05. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड
06. विधि एवं विधिक कार्य विभाग
08. सचिवालय
09. निर्वाचन विभाग
10. वाणिज्यिक कर विभाग	2,14,25,24	..
11. पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	67,36	..
12. आबकारी विभाग
13. कोष एवं लेखा प्रशासन	1	..
14. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग		
दत्तमत	82,22,39	1,28,00,01
प्रभारित	1	..
15. पेंशन	2	..
16. राजस्व विभाग
17. सामान्य प्रशासन विभाग
18. गृह विभाग	5,00	..
20. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
21. माध्यमिक शिक्षा विभाग
22. उच्च शिक्षा विभाग
23. संस्कृत शिक्षा विभाग
24. तकनीकी शिक्षा विभाग
25. कला एवं संस्कृति विभाग
27. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	50,00	..

शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
3,35	..	+ 3,35	..
59,37	..	+ 59,37	..
7,27	..	+ 7,27	..
1,59,19,31	..	+ 1,59,19,31	..
2,17,11,75	..	+ 2,86,51	..
54,71	..	- 12,65	..
4,42	..	+ 4,42	..
3,38	..	+ 3,37	..
3,14,03,69	80,28,84	+ 2,31,81,30	- 47,71,17
3	..	+ 2	..
3,58,63	..	+3,58,61	..
32,38	..	+ 32,38	..
1,25	..	+ 1,25	..
2,73,21	1,13,53,77	+ 2,68,21	+1,13,53,77
2,10,87	..	+ 2,10,87	..
6,64,25	..	+ 6,64,25	..
22,10	..	+ 22,10	..
27,64	..	+ 27,64	..
3,09	..	+ 3,09	..
19,18	..	+ 19,18	..
42,06,08	..	+ 41,56,08	..

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी (₹ सहस्र में)
28. चिकित्सा शिक्षा विभाग
29. आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग
30. जनजातिय क्षेत्र विभाग	2,80,93,08	4,57,09,04
31. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1	..
32. महिला एवं बाल विकास विभाग
34. श्रम एवं रोजगार विभाग
36. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	26,29,45,02	..
39. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	1	..
40. स्वायत्त शासन विभाग	2,59,92,09	3,08,06,03
41. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	2,96,84,86	3
42. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	6,49,15,41	6,22,59
43. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	39,93,69	3
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग	12,75,89,20	17,51,59,53
45. वन एवं पर्यावरण विभाग	2,50,24,01	1
46. कृषि विभाग

शिष्ट - (क्रमशः)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
40,10	..	+40,10	..
11,82	..	+11,82	..
3,03,08,40	4,71,86,55	+ 22,15,32	+ 14,77,51
2,95	..	+ 2,94	..
1,47	..	+ 1,47	..
2,32	..	+ 2,32	..
8,42,74,67	..	- 17,86,70,35	..
..	..	-1	..
4,24,08,85	9,31,99,01	+ 1,64,16,76	+6,23,92,98
2,29,95,35	88,15	-66,89,51	+88,12
6,13,59,94	34,19,25	- 35,55,47	+ 27,96,66
32,48,97	..	- 7,44,72	- 3
9,68,85,07	18,93,25,28	- 3,07,04,13	+ 1,41,65,75
1,20,17,06	..	- 1,30,06,95	- 1
17,68	..	+ 17,68	..

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
47. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
48. उद्यानिकी विभाग
49. गोपालन विभाग	8,40,70,04	50,00,00
51. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	3,74,36,10	5,22,13,54
52. पंचायती राज विभाग	3	..
55. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें विभाग
56. उद्योग विभाग
58. खान विभाग	43,36,73	8
60. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
62. परिवहन विभाग	1,02,44,76	60,00,03
64. अन्य सामान्य सेवाएं
दत्तमत	73,40,95,06	32,83,10,92
कुल वसूलियां		
प्रभारित	1	..

शिष्ट - (समाप्त)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,99,79	..	+ 1,99,79	..
1,16	..	+ 1,16	..
8,08,49,97	15,97,06	- 32,20,07	- 34,02,94
3,66,51,43	5,60,84,60	- 7,84,67	+38,71,06
2,78	..	+2,75	..
42	..	+ 42	..
9,51,59	..	+ 9,51,59	..
6,37	..	- 43,30,36	- 8
4,99	..	+ 4,99	..
33,26,79	27,50,56	- 69,17,97	- 32,49,47
86	..	+ 86	..
55,05,56,73 *	41,30,33,07#	- 18,35,38,33	+ 8,47,22,15
3	..	+ 2	..

* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 03 हजार का अन्तर है ।

पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 01 हजार का अन्तर है ।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/rajasthan/hi>

